खण्ड-282, अंक-8
गुरूवार, 24 वैशाख, शक संवत् 1892
(14 मई, 1970 ई0)

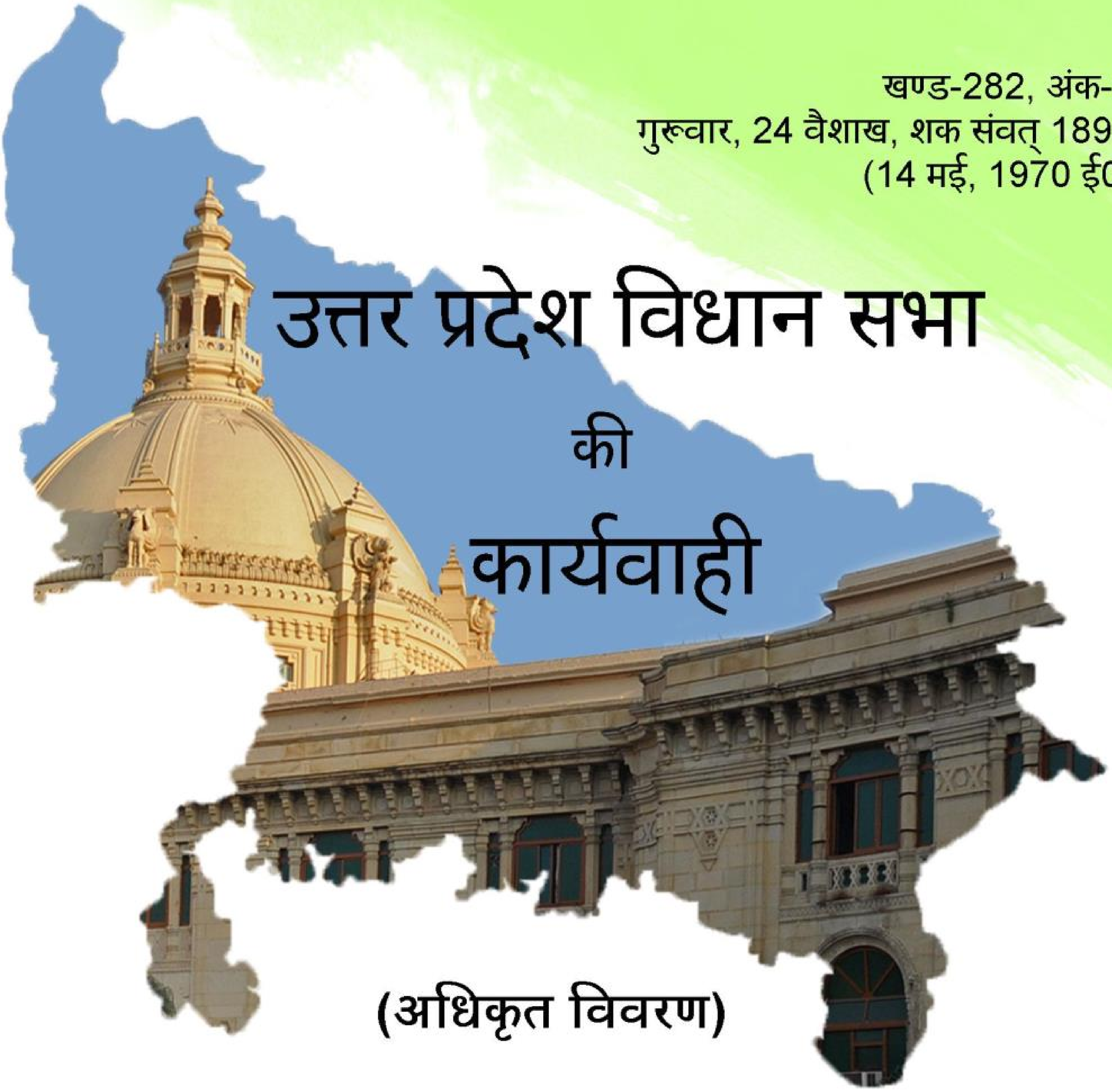

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 282 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८७१–८७४
प्रश्नोत्तर	८७५–९११
रायल होटल तथा दारुलशफा में बढ़ती हुई चोरियों व असुरक्षा के सम्बन्ध में शिकायत	९११–९१२
प्रश्नों के असंतोषजनक उत्तरों के सम्बन्ध में शिकायत ..	९१२–९१४
राजस्व मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (अनुमति नहीं दी गयी)	९१४
श्री सुखपाल पांडेय के साथ पुलिस के सिपाही द्वारा दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	९१४–९१८
इलाहाबाद बिजली घर के कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	९१८–९१९
१९७०–७१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	९१९–९५५
चुनाव के झगड़ों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	९५५
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	९५६–९६१
नत्थियां	९६२–९७२

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १४ मई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३१०

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृया दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री

गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायणमणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्द विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बब्बन, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री

भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद ,श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
राम लखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालता प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री

विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शन्ति देवी, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १४ मई, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

दिल्ली में उत्तर प्रदेश शासन के विशेष प्रतिनिधि के पद की समाप्ति

**१—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि संविद शासन काल में दिल्ली की लियेजन आफिसर की जो जगह खत्म हो गई थी वह दोबारा फिर कायम की गई ? यदि हां, तो उस ओहदे पर इस समय कौन और कब से काम कर रहे हैं तथा उनकी योग्यता क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

दिल्ली में उत्तर प्रदेश शासन के विशेष प्रतिनिधि का एक पद वर्ष १९६९–७० में सृजित किया गया था तथा उस पर दिनांक १९ मई, १९६९ को श्री सैयद इफ्तिखार हुसेन, रिटायर्ड आई० ए० एस० को नियुक्त किया गया था। शासन द्वारा इस पद को दिनांक १ मार्च, १९७० से समाप्त किया जा चुका है।

एडवोकेट पंजीकरण फीस

**२—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद), श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ), श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रूप नाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के विधि-स्नातकों से एडवोकेट-पंजीकरण की फीस के रूप में जो ५०० रुपये फीस के लिये जाते हैं उससे सरकार अविलम्ब मुक्त करेगी ?

बिक्री-कर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

शासन ने विधि स्नातकों से एडवोकेट्स पंजीकरण के लिए स्टाम्प शुल्क ५०० रु० से घटा कर २५० रु० करने का निश्चय लिया है।

श्री रामगोपाल संड—

यह २५० रुपये फीस कब से लागू की जायगी ?

श्री बलवीर सिंह—

इसे जल्दी से जल्दी से लागू करने की कोशिश की जा रही है।

श्री धर्मवीर—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी को विदित है कि इस विषय में काफी दिनों से वहां के स्नातक सरकार से बराबर इस बात का अनुरोध कर रहे हैं कि पहले ढाई सौ रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाता था और बाद में ५०० रुपये कर दिये गये, आपने अपने बयान में बताया कि जल्दी से जल्दी इसको लागू करने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से जल्दी के क्या माने होते हैं ? मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि कब से यह फीस लागू करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, स्टाम्प ऐक्ट की धारा १–डी के आर्टिकिल ३० के अन्तर्गत यह लागू किया था। अब उस में तरमीम होगी उसी के बाद तो यह हो सकता है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जबकि प्रदेश और देश में बेकारी फैल रही है और गरीब क्लास से भी वकील हो जाते हैं हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग भी, तो यह हालत देखते हुए क्या इस फीस को पूरी तरह से माफ करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह—

इस पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि २५० रुपये ऐसी रकम है जो अदा की जा सकती है।

श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

यह ५०० रुपये से मुक्त करने की तिथि कब से होगी ?

श्री अध्यक्ष—

(बिक्री-कर मंत्री से) आप अन्दाज बता दीजिये कि कितना समय लगेगा ?

श्री बलवीर सिंह—

इसकी खास अवधि बताना तो बड़ा मुश्किल है लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि बहुत जल्दी की जायगी।

श्री अध्यक्ष—

क्या-क्या कार्यवाही करने की जरूरत है जिसकी वजह से देर हो रही है यह बता दीजिये।

श्री बलवीर सिंह—

मैं यह कोशिश करूंगा कि एक महीने के अन्दर हो जाय।

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)—

५०० रुपये से पहले कोई फीस नहीं थी। तो जो यह ढाई सौ रुपये करने का निश्चय किया गया है इसका क्या आधार है, और यह माफ करने में मंत्री जी को क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो बता ही दिया।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

यदि कोई स्नातक नकद रुपये नहीं दे पाता तो क्या उससे किस्तों में भी लेने की कृपा करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह—

यह विचार कर के ही रखा गया है कि यह ऐसी रकम है जो दी जा सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

इससे पूर्व जो ७५० रुपये थी उसमें से ५०० रुपये कोर्ट फीस है उसको माननीय मंत्री जी वापस दिलवाने का प्रयास करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह—

ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा सकता।

श्री धर्मवीर—

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि पिछले मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त जी ने इस फीस को घटाने के लिये निश्चित रूप से आदेश पास कर दिये थे ?

श्री बलवीर सिंह—

भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा जनवरी, १९७० में गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह घोषणा की गयी थी कि राज्य सरकार द्वारा ५०० रुपये का स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जायगा ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के ऐडवोकेट्स का एक शिष्ट मंडल आप से या आप के पद के मंत्री से पिछले दिनों मिला था जिसमें उत्तर प्रदेश के ऐडवोकेट्स और मंत्री थे, उनको आप ने क्या आश्वासन दिया था ?

श्री बलवीर सिंह—

इस तरह का शिष्ट मंडल मुझ से ही मिला था और उसको कोई आश्वासन नहीं दिया गया, सिर्फ यही कहा गया था कि इस पर विचार किया जायगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अब तक कितने विधि-स्नातकों का पंजीकरण हो चुका है और प्रतिवर्ष इसका औसत क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

औसत एक साल का बता दीजिये ।

श्री बलबीर सिंह—

इसकी सूचना नहीं है, नोटिस की आवश्यकता है ।

हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स फैक्टरी, लखनऊ के लिये ली जाने वाली जमीन

**३—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित), श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल), श्री गनेशदत्त बाजपेयी (जिला कानपुर), श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव), तथा श्री रामकुमार (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार के अधीन एच० ए० एल० (हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स, लिमिटेड) फैक्टरी के निर्माण हेतु लखनऊ में फैजाबाद रोड पर किसानों की खेती की जमीन एक्वायर की जा रही है ? यदि हां, तो कितनी और किस कीमत पर ? क्या यह सही है कि जिस जगह यह भूमि ली जा रही है वहीं निकट में उद्योगों की स्थापना हेतु काफी जमीन मास्टर प्लान के अन्तर्गत उपलब्ध है ?

उद्योग मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स, लि० की फैक्ट्री की स्थापना के लिये लखनऊ-फैजाबाद रोड के दक्षिण की ओर २०० एकड़ खेती होने वाली तथा खेती के योग्य खाली भमि एक्वायर की जा रही है । उक्त भूमि का मुआवजा बाजार भाव पर दिया जावेगा । कुल मुआवजा लगभग १०–१२ लाख रुपया होगा । जो जमीन एच० ए० एल० के लिये लेना प्रस्तावित है उससे लगभग एक मील आगे "मास्टर प्लान" के मुताबिक उद्योगों की स्थापना हेतु क्षेत्र निर्धारित है मगर इस क्षेत्र में भी जमीन पर खेती होती है और काश्तकारों की ही जमीन अर्जित करनी पड़ेगी ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मास्टर प्लान बी० डी० सनवाल, आई० सी० एस० की अध्यक्षता में बनाया गया था और गवर्नमेंट ने भी उसको एप्रूव किया था तो क्या कारण है कि वह कृषि योग्य भूमि जिसमें लगभग १०० परिवारों को क्षति होगी वह अक्वायर की जा रही है ?

श्री बेनी सिंह—

असल बात यह है कि यह फैक्टरी ७ करोड़ रुपये से लगायी जा रही है और इसके लिए तमाम और प्रदेशों में—तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, बिहार सब अपनी-अपनी शर्तों पर इनको बुला रहे थे। हम लोगों ने भी कोशिश की और ये हमारे यहां आये। ७—८ जगहें इनको दिखलाई गयीं और जो जगह पसन्द की उसको दी और जहां तक मास्टर प्लान का ताल्लुक है वह जहां खेती है उसी के अन्दर है। तो प्लान बना हुआ है, अक्सर प्लान बन जाती है और तबदील भी हो जाया करती हैं।

श्री गनेशदत्त बाजपेयी—

क्या मंत्री जी को सूचना है कि इंडस्ट्रियल वेल्थ में यहां के बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों ने जमींन ले रखी है इसलिए २०० एकड़ जमीन हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स को वहां नहीं दी जा रही है ?

श्री बेनी सिंह—

इसकी सूचना नहीं है। अगर कोई नम्बर बता दें तो पता लगा कर बता दूंगा।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

यह विचार करके कि यह छोटे काश्तकारों की जमीन ले ली जाती है या उपजाऊ जमीन ले ली जाती है तो मंत्री जी क्या भूमि अध्याप्त करने के लिए कोई नियम निर्धारित करते हैं कि इस तरह की जमीन ली जाय ?

श्री बेनी सिंह—

मैंने अर्ज किया कि इस जमीन पर तो सिलेक्शन का ज्यादा हिस्सा पड़ा। एक अफसर आये अक्वायर करने के लिए। ७—८ जगहें—कानपुर रोड, सीतापुर रोड, फैजाबाद रोड पर दिखाई गयीं, उन्होंने कहा कि इस जगह देंगे तब तो ठीक है वरना और जगह देखेंगे। जब ऐसी स्थिति आयी तो सोचना ही पड़ा कि यह दे दी जाय।

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार न कोई ऐसी नीति अपनाई है जिससे छोटे काश्तकारों की जमीन या उपजाऊ जमीन नहीं ली जायेगी ?

श्री बेनी सिंह—

यह नीति तो नहीं है। जो जमीन एक्वायर होगी उसमें छोटे काश्तकारों की भी जमीन आ सकती है और बड़े काश्तकारों की भी जमीन हो सकती है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एच० ए० एल० का कारखाना जो कानपुर रोड पर आलमनगर की तरफ है उसको बदल कर फैजाबाद रोड पर उसके लिये किसानों की जमीन एक्वायर की जा रही है ? तो क्या उस जमीन को न एक्वायर करने के लिये कहेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

हमने जैसा कि अर्ज किया कि उनको कई जगह जमीनें दिखाई गयीं। सरोजिनीनगर के पास, बाराबंकी रोड पर इन्डस्ट्रियल एरिया है वहां दिखाई गयीं, सुल्तानपुर रोड पर दिखाई गई, मोहान रोड पर, कानपुर रोड पर, सीतापुर रोड पर और हरदोई रोड पर सब जगह जमींनें दिखाई गईं। देखने के बाद जब वह इस बात पर अड़ गये कि हमको यही जमीन दी जाय तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है उसके न देने में। ७ करोड़ की लागत का कारखाना लगने जा रहा है जिसमें ३,५०० आदमियों को रोजगार दे रहे हैं। तो इस तरह से इनकार करना ठीक नहीं मालूम होता।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३०-८-६९ को जिलाधीशों के पास आदेश गये हैं कि किसानों की उपजाऊ जमीन न एक्वायर की जाय। तो उसके मातहत जो अनुपजाऊ जमीन कानपुर रोड पर ह उसको लेने के लिये उनको मजबूर करेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

हमारी सारी जमीन नगरमहापालिका के तहत में है और किसी न किसी दिन यह जमीन काश्तकारों को खाली करनी पड़ेगी जैसे जैसे एक्सपैंशन होगा। इसलिये खेती की जो जमीन देहात में होती है और जो शहर में होती है उसमें फर्क होता है। जो आदेश गये हैं उसका मुझ ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि उनको नजदीक में जमीन देनी है, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है और हमारे डेवलपमेंट में मदद करेगी, इसलिये यह रियायत उनको दी गई।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि उस जमीन का मुआवजा बाजार रेट पर देंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो मुआवजा दिया जायेगा वह बैनामा देख कर दिवा जायगा या इसके तय करने के लिये कोई समिति नियुक्त करेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

बैनामा भी देखेंगे और बाजार रेट भी देखेंगे।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर किसानों की उपजाऊ भूमि ली जाय तो उनकी हकतलफी होती है और उद्योग-धंधे न खड़े किये जायें तो उससे प्रदेश का अहित होता है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसी स्थान को देना उपयुक्त समझते हैं ?

श्री बेनी सिंह---

जी हां, मैंने यह बारबार कहा कि जो कम्पनी के लोग आये उन्होंने कहा कि यही जमीन दीजिए वरना हम फैक्ट्री कहां लगावें इसके बारे में फिर से कंसिडर करेंगे। उनके पास कई प्रदेशों के आफर हैं तो एक प्रकार से उन्होंने यहां लगाने के लिए जो तैयार हुए हैं वह हमारे साथ रिआयत की है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नरायन सिंह (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से पूछना चाहता हूं कि अगर यह कम्पनी इसी जमीन को जबरदस्ती चाहती है तो क्या किसानों की इच्छा नहीं देखी जायगी ?

श्री अध्यक्ष---

आप सजेस्ट कर सकते हैं कि यहां फैक्टरी न लगे अगर आप कोई हर्ज नहीं समझते हैं तो।

कुंवर चन्द्र प्रताप नरायन सिंह---

कम्पनी वालों ने कहा कि यहीं लगावेंगे तो क्या सरकार उन्हीं की बात मानेगी जबकि सैकड़ों एकड़ ऊसर जमीन उनको दूसरी दी जा सकती है ?

श्री बेनी सिंह---

हमें यह हक है कि हम कह दें कि जमीन नहीं देंगे जहां वह लगाना चाहें लगावें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

क्या मंत्री जी को पता है कि कानपुर-कालपी रोड पर परगना अकबरपुर, ग्राम दुबारी में ६०० एकड़ और सैनिक कैम्पिंग ग्राउन्ड में १,००० एकड़ जमीन उपलब्ध है ? तो क्या उसके लिए सरकार उस कम्पनी को मजबूर नहीं कर सकती कि वह अपना कारखाना वहां लगावे ?

श्री अध्यक्ष---

मजबूर करने का सवाल नहीं है। वह तो यह कहते हैं कि यह जमीन दो नहीं तो हम दूसरे प्रान्त में लगावेंगे। मजबूर करने का सवाल पैदा नहीं होता है। आप परसुएड करने के लिए कह सकते हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह जमीन कम्पनी को पसन्द है और सरकार नहीं चाहती है ?

श्री बेनी सिंह---

अगर उनको पसन्द है और आप तय करा देंगे तो इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

मान्यवर, एक प्रश्न और पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष---

बस, बहुत हो चुका है।

यू० पी० पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ का प्रबन्ध

**४.---श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर), श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया) तथा श्री अनन्तराम जायसवाल (अनुपस्थित)---

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि रिट पेटीशन नं० ४५२, १९७०, दिनांक २२ अप्रैल, १९७० व रिट पेटीशन नं० ४९४, १९७०, दिनांक ३० अप्रैल, १९७० पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद- लखनऊ बेंच के आदेश द्वारा यू० पी० पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबन्धक व अधिकारी अपने पद का कार्य करने से मना कर दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप बैंक का सारा काम ठप्प है ? यदि हां, तो क्या बैंक का विधिवत् कार्य चालू करने के लिये ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो नियुक्ति कब तक होगी ? उक्त आदेश के बाद बैंक का संचालन

व दैनिक कार्य ठप्प पड़ा रहने के कारण बैंक को जो हानि हुई है और जनता को जो कष्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी किस पर है और क्या सरकार उससे इस हानि की क्षतिपूर्ति करायेगी ?

सहकारिता राज्य मंत्री (डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता)---

जी हां, परन्तु, सूचना मिली है कि हाई कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त कर दिया है जो बैंक का काम चलाएगा। अतः अब प्रशासक की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता। उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है। उसके मिलने पर ही इस विषय पर जांच की जा सकती है।

श्री रामधारी शास्त्री---

श्रीमन्, प्रश्न के अन्त में लिखा है "उक्त आदेश के बाद बैंक का संचालन व दैनिक कार्य ठप्प पड़ा रहने के कारण बैंक को जो हानि हुई है और जनता को जो कष्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी किस पर है और क्या सरकार उससे इस हानि की क्षतिपूर्ति करायेगी ?" श्रीमन्, इसका उत्तर नहीं आया।

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पहला आर्डर आया था वह २ मई को जारी हुआ और जो दूसरा आर्डर दिया है जिसमें कि उन्होंने यहां के लिए रिसीवर नियुक्त किया है वह ७ मई को हुआ है। दो मई और ७ मई के बीच ५ दिन का अन्तर है। इस बीच में यह जांच कराना जरूरी हुआ कि हाई कोर्ट का जो आर्डर है उसकी क्या मंशा है ? अभी हाई कोर्ट का कोई आर्डर गवर्नमेंट को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रामधारी शास्त्री---

मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में कहा कि २ मई का आर्डर है और ७ मई का आर्डर है। श्रीमन्, इसमें जो फर्क है उसका बड़ा असर पड़ेगा। बैंक के एक या दो दिन बन्द होने पर लाखों रुपये का वारा-न्यारा हो जाता है। तो अगर मंत्री जी आज उत्तर न दे सकें तो इसका उत्तर किसी और दिन दे दें क्योंकि यह बड़ा भारी प्रश्न है ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता---

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर हमारे पास इस वक्त भी तैयार है और कोई और समय की जरूरत नहीं है। आप जो पूछ रहे हैं उसकी जानकारी सरकार को नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त नहीं हुये हैं ?

श्री रामधारी शास्त्री---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उनके पास सभी उत्तर हैं और फिर कहते हैं कि उसकी जानकारी सरकार को नहीं है। ये ५ दिन जो काम ठप्प पड़ा रहा इसके बारे में तो जानकारी होगी। बैंक का काम पांच दिनों तक बन्द रहे तो लाखों रुपये का वारा-न्यारा जरूर हुआ होगा। ऐसी स्थिति में उसका पता लगाने में क्या कठिनाई है ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता---

इस प्रकार की सहकारी संस्थायें अपना काम स्वयं करती हैं और बैंक के कार्यों में सहकारिता विभाग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

श्री रामधारी शास्त्री---

मान्यवर, जब तक कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया लाइसेन्स इश्यू न करे कोई बैंकिंग इन्स्टीट्यूशन रन नहीं कर सकता है। क्या मंत्री जी इसके काम्पलीकेटेड नेचर को देखते हुये इसको पुनः देखने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश अभी प्राप्त नहीं हुये हैं और उसके मिलने पर उसकी जांच की जा सकती है। इसके मतलब हैं कि अगर कोई नुकसान हुआ है तो आदेश आ जाने पर उसकी जांच करेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या उसके प्राप्त होने पर उससे सदन को अवगत करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

फिर आप दूसरा प्रश्न भेज दीजियेगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५७ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

देहरादून में अफीम की कथित बरामदगी

*१—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून में १९६९ में बहुत बड़ी मात्रा में अफीम एक धर्मशाला से बरामद की गयी थी ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के नये संवर्ग को गठित करने पर विचार

*२—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आई० जी० पुलिस के ९ अप्रैल के दिये गये वक्तव्य के अनुसार कि अपराधों की जांच-पड़ताल के लिये एक हजार सहायक इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति मई के प्रथम सप्ताह में की जा रही है, इस घोषणा के अन्तर्गत इन सहायक इंसपेक्टरों की रिक्रूटमेंट किस-किस पद्धति से और कैसे होगा तथा कौन व्यक्ति या समिति इनका चयन करेगी तथा उनका कार्यकाल, योग्यता, वेतन तथा महंगाई-भत्ता का कैसा और क्या नियम होगा ?

श्री चरण सिंह—

पुलिस महानिरीक्षक ने इस विषय में ९ अप्रैल, १९७० को कोई वक्तव्य नहीं दिया है। किन्तु सहायक सब-इन्सपेक्टरों के एक नये संवर्ग के गठित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझ को प्रश्न संख्या २ के बारे में कुछ पूछना है। वह बहुत आवश्यक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नकर्ता नहीं हैं अतः उसको अब सबसे बाद में ले लिया जावेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

हरदुआगंज पावर हाउस में ब्वायलर स्थापित करने पर व्यय

*१---श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदुआगंज पावर हाउस, अलीगढ़ तृतीय चरण में दो ब्वायलर के स्थापित कराने (इरेक्शन) में जो विभागीय कर्मचारियों द्वारा कराया गया उसमें कितना व्यय हुआ? उतनी क्षमता वाले उसी स्थान पर चतुर्थ चरण के अन्तर्गत बनाये जाने वाले ब्वायलरों के इरेक्शन के लिये कितने रुपये का टेंडर ठेकेदारों द्वारा लिया गया? क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन दोनों के बीच लाखों रुपये का फर्क है? यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

विद्युत् उपमंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)---

तृतीय चरण के ब्वायलरों के विभाग द्वारा स्थापित करने का कुल खर्च रु० ५९,४४,५९५ ८९ पैसा हुआ जिसमें से लगभग रु० १,००,००० का ऐसा कार्य है जो तृतीय तथा चतुर्थ चरण दोनों के विस्तार में हुआ है।

चतुर्थ चरण के निर्माण कार्य की समाप्ति अप्रैल, १९७१ तक सम्भावित है और तब तक कुल अनुमानित व्यय रु० ५८,५०,०००.०० है। सम्पूर्ण कार्य के लिये टेन्डर नहीं लिये गये हैं। चूंकि तृतीय चरण के सम्पूर्ण खर्च और चतुर्थ चरण के सम्पूर्ण खर्च में रु० १,००,००० ऐसा भी है जो केवल तृतीय चरण के खर्च में ही दिखलाया गया है जब कि वास्तव में सम्पूर्ण व्यय दोनों चरणों के विस्तार में ही हुआ है, अतः स्पष्टतया दोनों चरणों में व्यय में अन्तर नाम मात्र ही है।

श्री सुखपाल पांडेय---

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय चरण में ब्वायलर को स्थापित करने की शुरुआत कब हुई थी और कब समाप्त हुई? साथ ही तृतीय और चतुर्थ चरणों की स्थापना में डेढ़ वर्ष का अन्तर है?

श्री राम प्रसाद देशमुख---

इसके सन् १९७१ तक समाप्त होने की सम्भावना है।

एक सदस्य---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह उत्तर केवल उन्हीं के लिये है।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया दोहरा दें, सुनायी नहीं दिया।

श्री राम प्रसाद देशमुख---

१-४-७१ को समाप्त होने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष---

शुरू कब हुआ ?

श्री राम प्रसाद देशमुख---

सन् ६८ में शुरू हुआ था।

श्री सुखपाल पांडेय---

इसमें जो अन्तर है क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

अन्तर क्या है ?

श्री सुखपाल पांडेय---

तृतीय चरण और चतुर्थ चरण के ब्वायलर की स्थापना में जो अन्तर है।

श्री अध्यक्ष---

कीमत में ?

श्री सुखपाल पांडेय---

जी हां।

श्री राम प्रसाद देशमुख---

अन्तर तो कुछ ऐसा है नहीं। डिटेल्स पूछना चाहें तो मैं बता दूं।

शाहजहांपुर जिले के निगोही ब्लाक में नलकूप को बिजली

*२---श्री उमा शंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर जिले के निगोही ब्लाक में जिन्दपुर से पूर्व उत्तर की ओर स्थित नलकूपों की शृंखला को आगामी वित्तीय वर्ष में बिजली मिल सकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद देशमुख---

शाहजहांपुर जनपद के निगोही ब्लाक में जिन्दपुर तक विद्युत् की लाइन बना दी गई है और दिनांक २७-२-७० को इस लाइन पर विद्युत संचार भी कर दिया गया है। निगोही ब्लाक के इस क्षेत्र में नलकूपों को इस वित्तीय वर्ष में नियमानुसार बिजली मिल सकेगी।

श्री उमा शंकर शुक्ल---

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मेरा प्रश्न था कि जिन्दपुर से पूर्व उत्तर की ओर स्थित नलकूपों की श्रंखला को बिजली मिल सकेगी या नहीं। आपने जिन्दपुर के बारे में कहा है, उसके बारे में तो मुझे भी ज्ञात है। अगर इस वक्त उनके पास सूचना न हो तो एकत्र करके बाद में बता दें।

श्री रामप्रसाद देशमुख---

जो सवाल है उसी का उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष---

इसमें यह लिखा है कि जिन्दपुर से पूर्व उत्तर की ओर स्थित नलकूपों की श्रृखंला ।

श्री रामप्रसाद देशमुख---

बजट मिल जायगा तो हम बना देंगे ।

श्री उमा शंकर शुक्ल---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन्दपुर से उत्तर पूर्व की ओर स्थित जो श्रृंखला है उसमें कब तक बिजली लग जाने की आशा है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

इस बजट में धन मिलेगा तो इसी साल में बना देंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहपुर)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में जो बिजली ट्यूबवेलों को मिलेगी वह कामर्शियल योजना से मिलेगी या फ्री मिलेगी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

हमारी तीन योजनायें हैं---कामर्शियल, सामान्य, और डिपाजिट । जिसमें कंज्यूमर्स चाहेंगे उसमें देंगे ।

कानपुर की राशनिंग स्कीम से वापस आये सचिवालय कर्मचारियों का वेतन

*३---श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें शासन ने अप्रैल/मई, १९६८ में कानपुर की राशनिंग से सचिवालय में पुनः वापस बुला लिया था उन्हें अभी तक इतना समय व्यतीत होने के पश्चात् भी यात्रा भत्ता नहीं दिया गया तथा वापस लौटे हुये उन कर्मचारियों में से कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनके वेतन निर्धारण का कार्य किया जा चुका है और कितने कर्मचारियों का शेष है जिन्हें पूर्व वेतन मय वार्षिक वृद्धि के नहीं प्राप्त है तथा वेतन निर्धारण का कार्य तथा यात्रा भत्ता का भुगतान करने में अभी कितना समय और लगेगा ?

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

वर्ष १९६८ में कानपुर राशनिंग स्कीम में फालतू होने पर सचिवालय में वापिस आने वाले २१ कर्मचारियों में से १३ के वेतन निर्धारित हो चुका है तथा ६ कर्मचारियों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश जारी हो गये हैं । केवल उन २ कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है, जो स्वेच्छा से कानपुर राशनिंग स्कीम में गये थे ।

इन कर्मचारियों को कानपुर से लखनऊ आने के लिये यात्रा भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि न तो इनकी यात्रा जनहित में थी और न ही कानपुर से इनका तबादला हुआ था ।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई---

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि कितना समय लगेगा । मैंने यह नहीं पूछा कि विचाराधीन है या क्या आदेश हुआ है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसमें थोड़ा समय लगेगा ।

श्री अध्यक्ष---

कोई अन्दाज बता दीजिये ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जल्दी से जल्दी कराने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

माननीय उप मंत्री जी ने कहा कि थोड़ा समय लगेगा । तो वह थोड़ा समय कितना है ? साल, २ साल या कितना ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जैसा मैंने निवेदन किया शीघ्र से शीघ्र २, ३ महीने में यह हो जायगा ।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई---

आपके प्रश्नोत्तर से मालूम हो रहा है कि दो आदमी सचिवालय से कानपुर गये थे तो और कहां से गये थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

२१ कर्मचारी यहां से गये थे उनमें ये भी थे ।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई---

जो लोग कानपुर गये थे आदेशानुसार उनका यात्रा भत्ता देने में क्यों तकल्लुफ फरमा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इनका तबादला नहीं हुआ था ।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई---

जब ये लोग यहां से आपके आदेशानुसार गये थे लखनऊ से कानपुर तो इनको यात्रा भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

यात्रा भत्ता तभी दिया जाता है जब यहां से डेपुटेशन पर जायं या तबादला हो । जब वे लोग यहां से न तो ड्यूटी पर गये और न ट्रान्सफर हुआ तो यात्रा भत्ता देने का सवाल नहीं है । उनको ज्यादा वेतन मिला था तो यहां से गये थे । इसलिये उनको दोनों फायदे नहीं दिये जा सकते ।

[१४ मई, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—२---श्री इन्द्रलाल---

[दिनांक १ मई, १९७० को प्र० सं० १२—१३ के अन्तर्गत उत्तरित्त]

बदायूं में मुहम्मद साहब के जन्म दिवस पर जलूस निकालने पर रोक तथा बगरैन गांव में ताजिये न निकलना

*३—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर बदायूं में माह मई, १९६९ में जन्म दिवस हजरत मुहम्मद साहब के उपलक्ष्य में जुलूस निकालने से रोका गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—

बदायूं में मई, १९६९ में हजरत मुहम्मद साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जुलूस निकालने पर विशेष रूप से कोई रोक नहीं लगाई गई थी। शहर में तनावपूर्ण स्थिति होने के कारण २८-५-६९ से ४-६-६९ तक धारा १४४ जा० फौ० के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लागू किये गये थे और वे आम तौर पर सब जुलसों के लिये थे।

*४—श्री मोहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बगरैन तहसील बिसौली, थाना वजीरगज, जिला बदायूं में इस साल ताजिये मोहर्रम के दिनों में क्यों नहीं निकालने दिये गये ?

श्री चरण सिंह—

ग्राम बगरैन के ताजियेदार विगत वर्षों में अपने ताजिये हमेशा एक नियत खाली स्थान पर रखते रहे हैं। गतवर्ष वे एक व्यक्ति के निजी चबूतरे पर ताजिया रखने और चबूतरे पर लगे नीम के पेड़ को काटने की जिद कर रहे थे। परगना मजिस्ट्रेट द्वारा समझाये जाने पर कि उनकी मांग न्याय संगत नहीं है, ताजियेदार नहीं माने और ताजिये को उक्त व्यक्ति के मकान से आगे नहीं ले गये।

देहरादून में श्री रामकरण दास का चालान

*५—श्री नित्यानन्द स्वामी (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून पुलिस द्वारा दिनांक ४ जनवरी, १९६९ को दिन में सरेबाजार सर्वश्री रामकरण दास आढ़ती पार्टनर मेसर्स मोतीमल रामकरण दास को तथा श्री पन्नालाल आढ़ती पार्टनर मेसर्स मनोहर लाल पन्नालाल को घसीटा और कोतवाली लाया गया ? यदि हां, तो उन पर किस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक ४-१-६९ को श्री रामकरण दास का चालान धारा ३४ पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत किया गया था। मौके पर श्री रामकरण दास ने मुचलका जमानत देने से इन्कार कर दिया था इस कारण उनको कोतवाली बुला कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। पुलिस द्वारा उन्हें किसी प्रकार घसीटा नहीं गया।

श्री पन्ना लाल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही उन्हें पुलिस द्वारा घसीटा अथवा कोतवाली लाया गया था।

गजरौला थानान्तर्गत पुलिस से मुठभेड़ में डाकुओं की मृत्यु

*६—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री को यह मालूम है कि दिनांक ५ मई, १९६९ को दिन के तीन बजे थाना गजरौला, अमरोहा जिला मुरादाबाद व नूरपुर, चांदपुर, जिला बिजनौर के इन्चार्ज ने श्री नन्हें, सिद्दीक, व

जीशान, निवासी ग्राम शिकारगा को गांव में से पकड़कर बांध कर ले गये और रात में तीनों को गोली से मार दिया ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दिनांक ५-५-६९ को थाना गजरौला, अमरोहा जिला मुरादाबाद तथा नूरपुर, चांदपुर जिला बिजनौर में नन्हें, सिद्दीक व जीशान को न तो गांव से पकड़ा और न ही उनकी हत्या की। वास्तविकता यह है कि दिनांक ५-५-६९ को लगभग ९ बजे रात केवल थाना अमरोहा की पुलिस से डाकुओं की जब कि वे डकैती डालने की तैयारी में थे, मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में दोनों ओर से गोली चली जिसके फलस्वरूप उक्त तीनों व्यक्ति जो डाकू दल में थे मारे गये।

*७—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मन्त्री को यह भी मालूम है कि एस० पी०, डी० एम०, मुरादाबाद व डी०आई० जी० बरेली को भी सूचना दी गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, एस० पी०, डी० एम० मुरादाबाद तथा डी०आई०जी० बरेली रेंज को इस आशय की शिकायत मिली थी कि पुलिस ने नन्हें, सिद्दीक व जीशान को गिरफ्तार करके इन तीनों को, उनके दुश्मनों के इशारे पर, हत्या कर दिया है। इस पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई। जांच से यह मामला डकैतों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ का पाया गया। पुलिस के विरुद्ध शिकायतें सही नहीं पाई गईं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस इन्काउन्टर में कितने पुलिस विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ने हिस्सा लिया और कितना बड़ा डाकुओं का गिरोह था जिसमें तीन आदमी मारे गये और किस-किस को चोटें आईं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसमें पुलिस के १०, १२ कांस्टेबिल और एक सब इन्सपैक्टर ने हिस्सा लिया था और गिरोह में ६ व्यक्ति थे यह मेरे पास सूचना है।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो मुठभेड़ पुलिस और डाकुओं में हुई उसमें क्या पुलिस को भी चोट आई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पुलिस वालों को कोई चोट लगी प्रतीत नहीं होती।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि ६ आदमियों में जो ये ३ आदमी मारे गये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी चोट बतलाती है और क्या-क्या तफसील बतलाती है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इन तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है और आप आज्ञा दे तो मैं उसको पढ़े देता हूं, उनके गोली की चोटें लगी हैं।

श्री रियासत हुसैन—

सवाल यह है कि गोली से तो मरे ही हैं लेकिन क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बताती है कि गोली की चोटों के अलावा भी मरने वालों के जिस्म पर और चोटें थीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मुख्य चोटें गोली की ही थीं ।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा निश्चित मत है कि उनके पास पोस्टमार्टम की निश्चित रिपोर्ट होगी डिटेल में तो उसमें गोली की चोटों के अलावा और चोटें भी हैं या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इतनी डिटेल्ड सूचना के लिये तो नोटिस चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इन तीनों आदमियों की जिनकी कि मृत्यु हुई है वे किसी जुर्म या डकैती में वांछित थे या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह तीनों डकैतों में से २ पर पहले से १२–१३ के मुकदमें चल रहे हैं और वह वांछित थे ।

श्री आशा राम इन्दु (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सडेन एन्काउन्टर हुआ या उसकी पुलिस को पहले से सूचना थी कि डकैती होने वाली है और यदि पहले से सूचना थी तो पुलिस पार्टी के साथ गजटेड अफसर कोई क्यों नहीं गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पुलिस को मुखबिर के द्वारा पहले से सूचना मिली थी ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही नहीं है कि साढ़े ३ बजे रात को ग्राम शिकारगा से पुलिस के ७०–७५ आदमियों ने इन तीनों को जिन्दा घेरकर पकड़ा और ६ बजे रात को तीनों को अलग-अलग एक को आम के पेड़ से, एक को शीशम के पेड़ से और तीसरे को जामुन के पेड़ से लटका कर गोली से मारा और उसके बाद उस वक्त तक लाशों के पास किसी घर के आदमी को नहीं जाने दिया और दूसरे दिन ४ बजे लाशों को उठाया और फिर वह पोस्टमार्टम के लिये भेजी गई, लाशें घर वालों को नहीं दी गईं और उनको मुरादाबाद के कब्रिस्तान में दफना दिया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी हुई उस में यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह लोग पहले से डकैत थे और ऐसे डकैतों को पकड़ने के लिये पुलिस वालों ने जिस बहादुरी से काम किया है क्या उसके लिये उनको कोई इनाम भी दिया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है ।

श्री चेतराम गंगवार—

इस घटना की गम्भीरता को देखते हुये क्या मंत्री जी सी० आई० डी० इन्कवायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसमें अब सी० आई० डी० की जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह तीन व्यक्ति जब पकड़े गये या एन्काउन्टर के सामने आये तो उनके पास कोई असलाह भी बरामद हुये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, असलाह भी उनके पास थे जो बरामद हुये ।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री बतायेंगे कि मुखबिर से पुलिस को कब सूचना मिली और पुलिस ने रवानगी कब की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वह उसी दिन दोपहर को मिली ।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय—

वह किस तारीख को मिली ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वह ५ तारीख को दोपहर में मिली ।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय—

पुलिस की रवानगी एन्काउन्टर के लिये कब हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इतनी डिटेल्ड सूचना इस वक्त नहीं है ।

(प्रश्न ८ व ९ पुकारे जाने के उपरान्त)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, प्रश्न ६ और ७ के बारे में मुझे एक और प्रश्न पूछना था । और वह है कि ३ आदमियों को पुलिस वालों ने गोली से मार दिया है । श्रीमन्, इससे बढ़कर और कोई जुल्म और क्या हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

अब यह प्रश्न समाप्त हो गया है ।

श्रीमती नत्था निवासी फूलगढ़ी जिला मेरठ का अपने पुत्र की हत्या के संबंध में पत्र

*८—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या दिनांक १२ अगस्त, १९६९ को मेरठ के एक विधायक की चिट्ठी के साथ उन्हें श्रीमती नत्था पत्नी रामचरन जाटव, निवासी फूलगढ़ी हापुड़, जिला मेरठ का प्रार्थना-पत्र दिनांक १० अगस्त, १९६९ प्राप्त हुआ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मेरठ के एक विधायक की चिट्ठी के साथ श्रीमती नत्थे पत्नी श्री राम सरन जाटव निवासी फूलगढ़ी हापुड़ जिला मेरठ का दिनांक १०–८–६९ का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था।

*९—श्री मंजूर अहमद—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या श्रीमती नत्था ने अपने उपर्युक्त पत्र में यह आरोप लगाया है कि उनके पुत्र कन्छी को दिनांक ३ अगस्त, १९६९ को ग्राम सिकेड़ा बें कत्ल किया गया और दिनांक ४ अगस्त, १९६९ को उसकी लाश को जला दिया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस आशय का आरोप उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में लगाया गया है । इस प्रार्थना पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट मेरठ से रिपोर्ट मांगी गई और उनकी रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि श्रीमती नत्था के पुत्र की मृत्यु बिजली की करेन्ट से हुई थी। अतः पंचायनामे के उपरान्त उसकी लाश को जला दिया गया।

श्री मंजूर अहमद—

जिस वक्त कन्छिद की लाश जलायी जा रही थी, क्या उसकी मां लाश के पास पहुंच गयी थी ? क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

श्री मंजूर अहमद—

क्या मृतक लड़के का पोस्टमार्टम कराया गया था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पुलिस को जब यह रिपोर्ट मिली कि लड़का बिजली से मरा है तो वहां पर पुलिस के एस० आई० गये। वहां पर सभी लोगों ने कहा कि वाकई यह लड़का बिजली से मरा था। एस० आई० ने पंचायतनामा भरवाया। लोगों का कहना था कि वह पेड़ काट रहा था और लाश जो वहां पर पड़ी थी, मृतक के शरीर का कपड़ा कुछ जला हुआ था और शरीर का एक अंग भी कुछ जला हुआ था।

श्री मंजूर अहमद—

क्या मृतक का पोस्टमार्टम होना चाहिये था अथवा नहीं ? कायदे के अनुसार ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

चूंकि लाश का पंचायतनामा भरा गया था लिहाजा पोस्ट मार्टम की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री रामधारी शास्त्री—

श्रीमन्, केवल प्रश्न इतना है कि पोस्टमार्टम लाश का होना चाहिये था अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने अभी साफ कर दिया है। केइस लिये उत्तर की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि पंचायतनामा हो जाने के बाद पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं होती है।

श्री मंजूर अहमद—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक किस ग्राम में नौकरी करता था और किसके यहां पर करता था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह हरिजन लड़का था और सिकेडा ग्राम में नौकरी करता था। इसकी मां हापुड़ में रहती थी।

श्री मंजूर अहमद—

श्रीमन्, यह लड़का त्यागियों के यहां पर काम करता था, उसकी मां हापुड़ में थी, उसे कोई सूचना नहीं दी गई और उस लड़के को ३ तारीख को मार दिया गया और ४ को उसकी लाश को जला दिया गया और कहा गया कि लड़के की बिजली से मृत्यु हो गयी, तो क्या माननीय मंत्री जी इस कांड की सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं थी। मेरा कहना है कि जिस किस्म के भी वाक्यात होते हैं उनमें पोस्टमार्टम लाजिमी है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह कानून के जरिये ठीक हुआ। अगर पंचायतनामा भरा गया है और आप समझते हैं कि कानून के जरिये से वह ठीक हुआ या गलत परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है कि बगैर पोस्टमार्टम के लाश नहीं जलाई जा सकती थी। पोस्टमार्टम जरूर होना चाहिये था।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जब गांव के लोगों की यह राय थी कि वह बिजली से मरा है तब ही पंचायतनामा भरा गया और जरूरत नहीं समझी गई कि पोस्टमार्टम होना चाहिये।

श्री मंजूर अहमद—

पंचायतनामे में उसकी मां, उसके चाचा या और किसी के दस्तखत हैं.....

(तत्पश्चात् श्री छांगुर श्री अध्यक्ष की आज्ञा के बिना स्वयं प्रश्न करने लगे)

श्री छांगुर—

मंत्री जी कहते हैं कि पंचायतनामा भरा गया। जब आरोप लगाया गया है निश्चित रूप से कि कत्ल किया गया है तो ऐसी हालत में हम को साफ साफ बतलायें कि उसका कत्ल हुआ है या बिजली से मृत्यु हुई है। इसकी जांच करानी चाहिये थी। अगर नहीं कराई गई तो सी० आई० डी० से इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप मंजूर अहमद साहब की तरफ इशारा कर रहे थे कि वे प्रश्न पूछें परन्तु उसी बीच प्रश्न दूसरे ही सदस्य ने कर दिया। तो इस तरह आप मजबूर कर रहे हैं माननीय मंत्री जी को कि वे जवाब दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं चाहते हैं कि वे बोलें, क्योंकि वे खड़े होकर बोलते रहे।

श्री चन्द्रभानु शर्मा—

मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि जब दूसरे सदस्य। ोलते रहे तो मंजूर अहमद साहब बैठ गये। आपकी बगैर आज्ञा के माननीय सदस्य बोलते रहे और बाद में आप ने उस प्रश्न को मंजूर कर दिया।

श्री अध्यक्ष—

अगर वे बैठ गये तो इसका मतलब यह हुआ कि वे भी मंजूर अहमद साहब का प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री मंजूर अहमद—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मरने वाले हरिजन . . . .

श्री रामबिलास पान्डेय—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने इजाजत देते हुए माननीय मन्त्री जी को उत्तर देने के लिये कहा कि वे इसका उत्तर दें। जब मंत्री जी खड़े हो कर उत्तर देते, तब माननीय सदस्य के फिर यह कहने पर कि आप इस पर व्यवस्था क्या दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। अपने फिर मंजूर अहमद को खड़ा कर दिया। माननीय छांगुर राम जी ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर दिलवायें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मंजूर अहमद—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि पंचायतनामा में मृतक के किसी रिश्तदार या किसी भी बिरादरी के दस्तखत हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

केवल पंचायतनामा ही नहीं है। बल्कि जो मृतक की मां है उसने लिखित तहरीर दी है। वह इस प्रकार है—आदरणीय महोदय, थाना इन्चार्ज.....

श्री मंजूर अहमद—

मेरा सवाल कुछ और है.....

(व्यवधान के बीच)

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अभी मंत्री जी ने कहा कि लाश जल रही थी तब उसकी मां आयी.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप पहले मंत्री जी को सुन तो लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जब यह लाश जल रही थी उसी वक्त उसकी मां आ गयी थी। उसने जो लिख कर दिया है मैं उसे पढ़ रहा था जो इस प्रकार है—

(शोर के बीच पत्र पढ़ा गया)

आदरणीय महोदयवर,

सादर निवेदन है कि प्रार्थी का लड़का कन्छिद जो विहूनी निवासी श्री मुंशीराम के फार्म पर सिखंडा ग्राम में नौकरी करता था कल दाहनी बगल के पास बांह के अन्दर बिजली से

जल कर मर गया था। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने कल हमारे सिखंडा पहुंचने से पहले ही लाश मुंशी राम के लड़के वालों को सुपुर्दगी में दे दी है। अब मैं तथा कन्छिद की माता नत्थो आ गये हैं और प्रार्थना करते हैं कि लाश बाली से हमारी सुपुर्दगी में दिला दी जाय ताकि हम क्रिया कर्म खुद कर सकें। अति कृपा होगी। हमें इसकी मृत्यु में कोई सन्देह नहीं है।

मृतक की माता,
श्रीमती नत्थो।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शांत रहें। मैंने श्री मंजूर अहमद को बुलाया है।

श्री मंजूर अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने कृपा करेंगे कि पंचायत नामा भरने वालों में गांव का कोई आदमी नहीं है, इसके अलावा न ही उसकी मांग के, या उसके भाई के, चाचा के, या किसी भी रिश्तेदार के उसमें हस्ताक्षर हैं, यहां तक कि बिरादरी तक के किसी आदमी के दस्तखत नहीं हैं?

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह सूचना नहीं है कि पंचायत नामा भरने वाले उसके रिश्तेदार हैं या नहीं।

(शेम शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक नहीं है। आप नियम ४९ के अन्तर्गत विवाद के लिये समय मांग सकते हैं। मैं उसके लिये समय दे दूंगा। यहां आप लोग शांत रहें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष जी, मैं आपके मारफत माननीय मंत्री जी से यह चाहता हूं कि जब इस मामले में हाउस इतना एजीटेड है, तो उसकी जांच सी० आई० डी० से करा लें। ऐसी परिस्थिति है कि लोगों को शक है। इसमें आपको क्या आपत्ति है? इसमें यदि किसी का कसूर निकले तो उसका सजा मिलनी चाहिये, मैं किसी को दोषी नहीं बताता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उसके मां-बाप दोनों ने लिखकर दिया है, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

(सत्ता रूढ़ कांग्रेस के अधिकांश सदस्य विरोध स्वरूप अपने स्थानों पर खड़े हो गये।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सदस्यों की एक बड़ी जबरदस्त राय है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको इस तरह की जांच कराने में कोई एतराज नहीं है। हम इसकी जांच कराने का प्रयत्न करेंगे।

श्री धर्मवीर—

सी० आई० डी० की जांच?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

नहीं मैजेस्ट्रीयल ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप नियम ४९ में दे दें, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, तब चर्चा हो जाएगी ।

श्री चेतराम गंगवार---

अभी चतुर्भुज शर्मा जी ने सदन के सामने कुछ कहा, आप उसको दुबारा कहलवा दीजिए, मेरी समझ में नहीं आ पाया है । वह बताएं कि वह सी० आई० डी० की जांच क्यों नहीं कराएंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

आपत्ति कोई नहीं है । मैं मैजेस्ट्रीयल जांच कराऊंगा, उसमें कोई शक निकलेगा तो फिर सी० आई० डी० से करायेंगे । यों हर चीज में सी० आई० डी० द्वारा जांच नहीं हो सकती ।

श्री जगन्नाथ खन्ना---

मंत्री जी ने कहा जब लाश को लाया जा रहा था तब.....

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया अब यह समाप्त होता है । अब मैं इसको नियम ४९ में ले लूंगा । इसमें इस तरह के प्रश्नों से काम नहीं चलेगा ।

*१०---श्री नित्यानन्द स्वामी---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*११---श्री मंजूर अहमद---

[२० मार्च, १९७० को प्र० सं० २९ के अन्तर्गत उत्तरित]

*१२-१३---श्री शिवानन्द नौटियाल---

[४ मई, १९७० को प्र० सं० २१-२२ के अन्तर्गत उत्तरित]

मसौली थाना से रोजनामचा गायब करने की शिकायत

*१४---श्री अनन्त राम जायसवाल (अनुपस्थित)---

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सितम्बर, १९६९ में शासन को यह शिकायत मिली कि थाना मसौली, जिला बाराबंकी के भूतपूर्व इन्चार्ज इस वर्ष स्थानान्तरण पर थाना मसौली से थाना कोठी जाते समय अपने साथ नामुकम्मिल तफतीशों के रोजनामचा खास की जिल्द भी उठा ल गये जिससे दोनों थाना मसौली व थाना कोठी के उपयुक्त स्थानान्तरण के बाद के मुकदमात की तफतीश तीन-तीन चार-चार महीना पिछड़ रही है ?

श्री चरण सिंह---

जी हां, इस आशय की एक शिकायत प्राप्त हुई थी ।

*१५---श्री अनन्तराम जायसवाल (अनुपस्थित)---

क्या गृह मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या उपर्युक्त शिकायत-पत्र में अविलम्ब छापा मार कर उपर्युक्त रोजनामचा खास की जिल्द इन्चार्ज थाना कोठी से बरामद करने की भी प्रार्थना की गई थी? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर क्या और कब कार्यवाही की गई?

श्री चरण सिंह---

शिकायत पत्र प्राप्त होने पर इस मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा आवश्यक जांच किए जाने के लिए शासन ने आदेश दिये थे। अपराध अनुसंधान विभाग के अनुसंधान-कर्ता ने १९ अक्टूबर १९६९ को थाना मसौली पर जाकर यकायक सब कागजात का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण से यह विदित हुआ कि उस समय सभी मुकदमों से सम्बन्धित रोजनामचा खास थाने पर ही थे और कोई भी रोजनामचा खास मसौली थाने के भूतपूर्व थानाध्यक्ष के पास नहीं था।

*१६-१७---श्री रामदेव---

[२८ अप्रैल, १९७० के प्र० सं० ३३-३४ के अन्तर्गत उत्तरित]

लखनऊ में विभिन्न अपराध की घटनायें

*१८---श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) तथा श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जून १९६९ से ३० जून, १९६९ तक लखनऊ नगर में कितने कत्ल, डकती, राहजनी तथा आत्महत्या की रिपोर्टें थानों में हुई हैं और उन पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९६२ पर)

श्री जगदीश गांधी---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले में अपराधों की संख्या पिछले ५ वर्षों में किस गति से बढ़ी है?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसमें लखनऊ नगर की बात पूंछी है, लखनऊ जिले की बात नहीं पूछी है।

श्री जगदीश गांधी---

माननीय मंत्री लखनऊ की स्थिति बताने की कृपा करेंगे कि कितने कत्ल, कितनी डकैतियां, कितनी हत्याएं और कितनी चोरियां हुईं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

लखनऊ नगर में जो मेरे पास सूचना है कत्ल २१, डकैतियां,५, रहजनी १० और आत्महत्याएं ४।

श्री धर्मवीर---

इसमें नगर की स्थिति की बात है। जिला और शहर दोनों को मिला कर बताएं।

श्री अध्यक्ष---

आपने नगर के बारे में पूछा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

नगर के बारे में ही प्रश्न पूछा है।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी---

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि क्या डकैती के सिलसिले में कोई केस न्यायालय के विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष---

(प्रश्न का उत्तर आने में देर होने पर) नहीं है, तो सूचना मांग लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसकी सूचना की आवश्यकता है।

*१९-२०---श्री राम गोपाल संड---

[२८ अप्रैल, १९७० को प्र० सं० ३५-३६ के अन्तर्गत उत्तरित]

*२१-२२---श्री नौनिहाल सिंह---

[४ मई, १९७० के प्र० सं० २३-२४ के अन्तर्गत उत्तरित]

हल्दी थाने में बनवारी की हत्या की रिपोर्ट

*२३---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि २५-८-६७ को बलिया जिला में हल्दी थाने के अन्तर्गत राह चलते श्री बनवारी और सुधाकर दुबे पर आतताइयों ने गोली, लाठी, भाला वगैरह से प्रहार किया, जिससे बनवारी चोट खाकर तत्काल घटनास्थल पर मर गया और सुधाकर घायल अवस्था में थाना हल्दी में पहुंचकर रपट अन्तर्गत धारा ३०२/३९४ भा० दं० वि० के दर्ज कराया, यदि हां तो दिनांक २५ अक्तबर, १९६९ तक इस हत्या-काण्ड में अभियोग पत्र प्रेषित न करने का क्या कारण है?

श्री चरणसिंह---

दिनांक २५/२६-८-६७ की रात्रि में हल्दी थाने पर पहले एक व्यक्ति कमलाकान्त ने धारा १४७/१४८/३०७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें सुधाकर को अभियुक्त नामजद किया। इस रिपोर्ट पर श्री सुधाकर को गिरफ्तार कर थाने लाया गया और वहां उनका यह बयान हुआ कि उनके विपक्षी कमलाकान्त चौबे तथा उनके परिवार के लोगों ने २५-८-६७ को घर आते समय रास्ते में बनवारी तथा उस पर फायर किया, बनवारी की तो तत्काल मृत्यु हो गई और वह स्वयं चोट खाकर गिर पड़ा और उनके सामान को भी छीन लिया गया। इस पर धारा ३०२/३९४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक प्रतिवाद अंकित हुआ और विवेचना प्रारम्भ की गई। चूंकि २५-१०-६९ तक इस मुकदमें में विवेचना पूर्ण नहीं हो पाई अतः अभियोग पत्र न्यायालय नहीं भेजा गया।

*२४---श्री शम्भू नाथ चौधरी---

क्या गृह मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जिन आतताइयों ने उपरोक्त हत्याकान्ड किया, उनको पहले भी फौजदारी के मुकदमों में सजा मिल चुकी है और उनके कई बन्दूक और राइफलों के लाइसेंस जब्त कर लिये गये हैं? यदि हां, तो उसी परिवार में उनके लड़कों के नाम से नया लाइसेंस जारी करने का क्या औचित्य है?

नोट---तारांकित प्रश्न १८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चरण सिंह---

इस घटना से सम्बन्धित जो चार अभियुक्त विवेचना से प्रकाश में आये हैं उनमें से तीन सजायाफ्ता हैं। एक अभियुक्त की बन्दूक जब्त की गई। सूचना मिली है कि उसी अभियुक्त के पुत्र जो पी०ए०सी०में कान्सटेबुल हैं, ने सन् १९६९ में बन्दूक का लाइसेन्स अपनी सर्विस के स्थान से लिया है इसका कोई रेकार्ड स्थानीय पुलिस के पास नहीं है। किसी अभियुक्त के पुत्र को बलिया जिले से असलहा का लाइसेन्स नहीं दिया गया और न ही घटना के बाद बलिया पुलिस ने अभियुक्तों अथवा उनके परिवार के अन्य किसी सदस्य को असलहा के लाइसेन्स की सिफारिश की है।

*२५-२६---श्री वीरेन्द्र वर्मा---

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि-मंडल में समावेश के कारण अपास्त]

*२७---श्री जगदीश गांधी---

[७वें मंगलवार के प्र० सं० ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गंडक नदी के त्रिमुहानी घाट पर नाव दुर्घटना

*२८---श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला थाना खामपार के अन्तर्गत संवरेजी घाट पर जहां से थोड़ी दूरी पर करौना में बैलों का मेला लगता है गत १९ सितम्बर, १९६९ को एक नाव डूब गई जिसमें १२ आदमी मर गये? क्या वहां घाट पर पुलिस का इन्तजाम नहीं था? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरण सिंह---

दिनांक १९-९-६९ को छोटी गण्डक नदी के त्रिमुहानी घाट पर एक नाव दुर्घटना होने की सूचना उसी दिन खामपार थाने पर प्राप्त हुई थी। संवरेजी घाट त्रिमुहानी घाट के सामने नदी के दूसरे ओर है। इस घटना में १२ व्यक्तियों की नहीं बल्कि ४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। करौना का मेला संवरेजी घाट से ७ मील पूरब की ओर लगा था और मेले का घाट से कोई सम्बन्ध नहीं था अतः पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। घाट छोटा है और उस पर पहले भी पुलिस की व्यवस्था नहीं रहती थी।

*२९---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

[२८ अप्रैल, १९७० को प्र० सं० ३७ अन्तर्गत उत्तरित]

शाहजहांपुर जिले में नलकूपों का विद्युतीकरण

*३०---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में चालू वित्तीय वर्ष में जो नलकूपों को बिजली देने के लक्ष्य हैं वह पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों के अनुपात से बहुत कम है जिसके लिये प्रश्नकर्ता तथा जिलाधीश, शाहजहांपुर ने लक्ष्य तुरन्त बढ़ाने के लिये शासन से प्रार्थना की है? यदि हां, तो कितना लक्ष्य बढ़ाया गया?

विद्युत् मंत्री (श्री रामलखन)---

वित्तीय वर्ष १९६९-७० में शाहजहांपुर जिले में सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण का लक्ष्य २०० नलकूपों का विद्युतीकरण था। उस वर्ष इस लक्ष्य के सन्दर्भ में २१४ नलकूपों का विद्युतीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त ५५ कूवों को बिजली देने के लिये लाइन खींची गई मगर उपभोक्ता बिजली लेने की स्थिति में नहीं थे।

जिलाधीश शाहजहांपुर ने नलकूपों के लक्ष्य बढ़ाये जाने के लिये लिखा था पर धनाभाव के कारण यह नहीं किया जा सका।

बुलन्दशहर जिले में कत्ल

*३१—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या गृह मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले के प्रत्येक थाने व पुलिस चौकियों में साल १९६७, १९६८ व १९६९ में कितने-कितने कत्ल हुये हैं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरण सिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिकाओं में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९६३–९६५ पर)

हिंडन व यमुना दोआबे में नलकूपों को बिजली

*३२—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या विद्युत मन्त्री यह कृपया बतायेंगे कि हिन्डन व जमुना के द्वाबे के अन्दर निजी नलकूपों के लिये बिजली दिये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री राम लखन—

हिन्डन व यमुना के दुआबे के अन्दर निजी नलकूपों के लिये बिजली दिये जाने की कोई पृथक योजना नहीं है ।

थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़ में जमुना तिवारी तथा अन्य व्यक्तियों के घर डकैती

*३३—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाने में अक्तूबर, १९६९ ई० से दिसम्बर, १९६९ ई० तक कितनी कहां डकैतियां पड़ी ? इन डकैतियों में कितने डकैत गिरफ्तार किये गये हैं और कितने फरार हैं ?

श्री चरण सिंह—

प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाना में अक्तूबर, १९६९ से दिसम्बर १९६९ की अवधि में दो डकैतियां, एक ग्राम डुहिया मजरा आमापुर बेरी तथा दूसरी ग्राम सुरवां मिश्रपुर में पड़ी । इन डकैतियों में २२ डकैत गिरफ्तार किये गये और ९ फरार हैं ।

*३४—श्री रामदेव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत, थाना रानीगंज में १३–१४ नवम्बर की रात में श्री यमुना तिवारी ग्राम सुरावां मिश्रपुर के यहां एक भीषण डकैती पड़ी और डकैत सम्पूर्ण धन लूटकर भाग गये ? यदि हां, तो आज तक उसमें क्या कार्यवाही की गई ? कितने लोग गिरफ्तार हैं और कितने अभी फरार हैं ?

श्री चरण सिंह—

पुलिस को प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत रानीगंज में १३/१४ नवम्बर, १९६९ की रात में श्री जमुना तिवारी, ग्राम सुरावां मिश्रपुर के यहां एक डकैती पड़ी और डकैत कुछ धन व अन्य सम्पति लूट कर भाग गये । इस अपराध पर धारा ३९५। ३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर विवेचना अरम्भ की गई जिसके फलस्वरूप ११ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और ५ फरार हैं ।

*३५—श्री जगदीश गांधी—

[९वें मंगलवार के प्र० सं० १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर जिले में डकैतियां

*३६—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह नवम्बर, दिसम्बर सन् १९६९ के इन दो महीनों में किसी दिन एक रात में कानपुर जिले में २६ डकैतियां पड़ी ? यदि हां, तो सरकार ने जुर्म को रोकने के लिये क्या कायवाही की ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि इन दो महीनों में कानपुर में कितनी डकैतियां पड़ीं ?

श्री चरण सिंह—

माह नवम्बर-दिसम्बर सन् १९६९ में किसी एक ही रात में कानपुर जिले में २६ डकैतियां नहीं पड़ी। इस अवधि में कानपुर जिले में कुल ९ डकैतियां पड़ी।

थाना तम्बौर संबंधित श्री मोहन पांडे की गिरफ्तारी का मामला

*३७—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के थाना तम्बौर में दिनांक २० जनवरी १९७० को ऐसे कौन-कौन व्यक्ति थे जिनके विरुद्ध भारतीय दन्ड विधान की धारा ३९५ के अधीन गिरफ्तारी के वारन्ट जारी थे परन्तु बाद में वह गिरफ्तार नहीं किये जा सके थे ? इन गिरफ्तार न किये जा सकने वाले व्यक्तियों में ऐसे कौन-कौन हैं जिनके नाम बन्दूक, रिवाल्वर अथवा रायफल के लाइसेंस भी हैं तथा गिरफ्तार न किये जाने वालों के उक्त असलहात के लाइसेंस क्या चार्जशीट के बाद सस्पेन्ड कराये गये अथवा नहीं ?

श्री चरण सिंह—

थाना तम्बौर से सम्बन्धित केवल एक व्यक्ति श्री मोहन पाण्डे पुत्र काशी पाण्डे के विरुद्ध दिनांक २०-१-७० की धारा ३९५/३९७ भा०दं०वि० के अन्तर्गत वारन्ट गिरफ्तारी जारी था जो गिरफ्तार नहीं किया जा सका। श्री मोहन पाण्डे के पास रिवाल्वर का लायसेन्स था जिसे सस्पेन्ड करा दिया गया है।

*३८-३९—श्री कल्यान सिंह—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित]

लहरपुर थाने में डकैती की रपट न लिखने की शिकायत

*४०—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रहलादपुर का पुरवा, मजरे मोहल्ला तोपखाना, कस्बा व थाना लहरपुर, जिला सीतापुर के निवासी जोद्धी पुत्र चन्दी नंगू व गोरी के घरों में दिनांक १६-१७ नवम्बर, १९६९ की रात में डकैती पड़ी और नंगू का लड़का डकैती में घायल होकर अस्पताल में मर गया तथा जोद्धी, नंगू व गोरी जब थाना लहरपुर पहुंचे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये गये तो नहीं लिखी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रिपोर्ट न लिखने का क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—

पुलिस को प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १६-१७ नवम्बर, १९६९ की रात में जोद्धी, नंगू व गौरी निवासीगण तोपखाना, थाना लहरपुर, जिला सीतापुर के घरों में डकैती पड़ी जिसमें नंगू का लड़का घायल हुआ और अस्पताल में मर गया परन्तु यह बात सही नहीं है कि जोद्धी

नंगू व गौरी जब रिपोर्ट लिखाने के लिये थाना लहरपुर पहुंचे तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जोद्धी, नंगू व गोरी रिपोर्ट लिखाने के लिये थाने पर गये ही नहीं थे।

*४१—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जुद्धी पुत्र चन्दी ग्राम प्रहलादपुर का पुरवा मजरे मोहल्ला तोपखाना कस्बा व थाना लहरपुर ने दिनांक १६/१७ नवम्बर, १९६९ को हुई डकैती के सम्बन्ध में रिपोर्ट न लिखे जाने के कारण पुलिस कप्तान, सीतापुर को लिखित प्रार्थना-पत्र दिया और स्थानीय जांच न होने पर पुनः गृह मन्त्री, उत्तर प्रदेश व कमिश्नर महोदय व आई०जी० पुलिस तथा जिलाधीश, सीतापुर को आवेदन-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्बन्धित दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

डकैती के सम्बन्ध में रिपोर्ट न लिखने के बारे में पुलिस के विरुद्ध श्री जोद्धी पुत्र चन्दी के शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे। जांच से आरोपों में सत्यता नहीं पाई गई अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

चंदौली, उधौली जिला बाराबंकी में पुलिस और ग्रामीणों में भिड़ंत

*४२—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले चार-पांच महीने में बाराबंकी जिले के दो स्थानों पर (चन्दौली, उधौली) पुलिस और गांव के रहने वालों में लड़ाई हुई है और इस सम्बन्ध में दोनों स्थानों के लोगों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई ? चन्दौली में विशेष कर १८ या २० घरों को लूटा गया और बेगुनाह लोगों जिनमें औरतें भी शामिल थीं को मारा पीटा गया और उधौली में कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो कि मौके पर मौजूद भी न थे ? अगर हां, तो क्या सरकार इन दोनों स्थानों की घटनाओं की जांच गुप्तचर विभाग से करवायेगी जिससे घटना का वास्तविक रूप मालूम हो सके ? एवं यह भी तय कर सके कि जिले के पुलिस के प्रबन्ध में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाय जिससे इस प्रकार की घटनाओं की रोक थाम हो सके ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक ९-९-६९ को ग्राम चन्दौली, जिला बाराबंकी में थाना जैदपुर की पुलिस ने धारा ३९४ भा० दं० वि० के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गांव के कुछ व्यक्तियों ने पुलिस पर हमला करके अभियुक्त को छुड़ा लिया और सब इंस्पेक्टर का रिवाल्वर आदि भी छीन लिया। इसी प्रकार दिनांक २१-१२-६९ को ग्राम उधौली जिला बाराबंकी के कुछ लोगों ने थाना सफदरगंज की एक पुलिस पार्टी पर, जो वहां एक डकती के मुकदमें के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने गई थी, हमला किया था। चन्दौली की घटना से सम्बन्धित १९ अभियुक्तों में से चार गिरफ्तार किये गये तथा १४ ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। एक अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। मामले में जांच जारी है। उधौली की घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा ९ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा १२ ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेज दिया गया है।

उपर्युक्त दोनों घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस ने न किसी का घर लूटा न किसी को मारा-पीटा और न घटना से असम्बद्ध किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

इन घटनाओं की अपराध अनुसन्धान विभाग से जांच करवाये जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

*४३-४४—श्री माधव प्रसाद, श्री रामनिहोर, श्री कन्हैया लाल, श्री ज्वाला प्रसाद कुरील तथा श्री शिव लाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

पाली पट्टी, जिला गढ़वाल निवासी श्री कुंदनसिंह की हत्या

*४५—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ९ जनवरी, १९७० को ग्राम पाली पट्टी घुरबौड़स्यूं, पो० पावो, तहसील पौड़ी, जिला गढ़वाल के श्री कुन्दन सिंह की पावो नामक स्थान में हत्या करने की सूचना मिली है ? यदि हां, तो हत्यारे को पकड़ने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री चरण सिंह—

१०—१—७० को प्रातः श्री कुन्दन सिंह निवासी ग्राम पाली पट्टी घुरबौड़स्यूं, जिला गढ़वाल की लाश मिलने की सूचना पट्टी घुरबौड़स्यूं के पटवारी को मिली। इस सूचना के प्राप्त होने पर पटवारी ने वादी के साथ तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच कर, पंचों के साथ निरीक्षण किया। पांचों के इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि कुन्दन सिंह की हत्या हुई है, उन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिये भेजी। दो नामजद अभियुक्तों को दिनांक १३—१—७० को गिरफ्तार किया गया किन्तु जांच के बाद साक्ष्य के अभाव में धारा १६९ जा० फौजदारी के अन्तगत उन्हें छोड़ दिया गया। एक अन्य अभियुक्त जिसके विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध हुआ २२—१—७० को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच लगभग पूरी हो गई है और केमिकल इक्जामिनर आगरा से रक्त रंजित कपड़ों आदि के बारे में परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर जांच पूरी की जायगी।

देहरादून के होमगार्ड्स का त्याग पत्र

*४६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या देहरादून के समस्त होमगार्ड्स ने दिनांक २१ नवम्बर, १९६९ को एक प्रतिवेदन, मुख्य मंत्री जी को भेजते हुये, अपने प्रति अन्याय होने के कारण, अपना सामूहिक त्याग-पत्र दे दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में जांच कराई ?

श्री चरण सिंह—

देहरादून के १३१ होम गार्ड्स का ऐसा पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जांच की जा रही है।

मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के दौरे पर व्यय

*४७—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १७ फरवरी, १९७० से पूर्व जो मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा उपमन्त्री महोदयों ने ३ माह के अन्दर दौरे किये हैं उसके ऊपर क्या व्यय हुआ है ?

श्री चरण सिंह—

प्रश्न की अवधि में मंत्रियों, राय मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के दौरों पर कुल ८०,७७० रुपये ८६ पसे व्यय हुआ।

कानपुर जिले में असलहा लाइसेंस के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेने की शिकायत

*४८—चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसे ऐसी सूचना है कि कानपुर जिले के लोगों को बन्दूक के लाइसेंस देने में परगनाधीशों तथा ए०डी०एम०आर०ए० की ओर से नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट में सैकड़ों रुपया जमा करने के लिये लोगों को मजबूर किया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि बिना नेशनल सर्टीफिकेट में लम्बी रकम जमा किये हुये बन्दूक के लाइसेंस किसी को भी सुरक्षा के लिये नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां तो क्या शासन का ऐसा आदेश है ? यदि नहीं, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं। अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

थाना इज्जतनगर, जिला बरेली में मेजर शाह की हत्या

*४९—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतावेंगे कि जिला बरेली के बरेली सैनिक क्षेत्र में, दिनांक २५/२६ दिसम्बर, १९६९ की रात्रि मेजर साह की किसी सैनिक अफसर द्वारा निर्गम हत्या की गई ? यदि हां, तो इस हत्याकांड के रहस्य पर सरकार को अब तक क्या जानकारी प्राप्त हुई ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक २५/२६–१२–१९६९ की रात्रि में थाना इज्जतनगर जिला बरेली में इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि आफिसर्स मैरिड क्वार्टर नं० १२/१ एयर–फोर्स स्टेशन बरेली में उसी रात लगभग साढे ग्यारह बजे छुरे बाजी की घटना हुई जिससे फ्लाइट लैफ्टिनेंट एस० नसीरउद्दीन तथा ११वीं बटालियन ग्रिसेनेदियर्स के मेजर निर्मल शाह सम्बन्धित थे। रिपोर्ट में यह सूचना भी दी गई थी कि मेजर साह जो गम्भीर रुप से घायल हुये मिलिटरी अस्पताल में भर्ती हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना इज्जतनगर में एक मुकदमा धारा ३७० भा०दं० वि० अंकित किया गया जो अस्पताल में मेजर शाह की मृत्यु की सूचना मिलने पर धारा ३०२ भा०दं०वि० के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया। जांच के उपरान्त फ्लाइट–लैफ्टिनेन्ट एस० नसीरउद्दीन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी गई है। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है अतः इस सम्बन्ध में कोई टीका करना सम्भव नहीं है।

अल्मोड़ा जिले में शराब की दुकानों को बन्द करने का आदेश

*५०—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला अल्मोड़ा में शराब के ठेकों को देने के विरोध में जनता आन्दोलन कर रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। शासन ने १७ मार्च १९७० को अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित तीन देशी शराब की दूकानों को बन्द करने के आदेश दिये। यह दुकानें १८ मार्च, १९७० से बन्द कर दी गई।

थाना बाघराय, जिला प्रतापगढ़ में राजेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध रपट

*५१—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि जिला प्रतापगढ़ के थाना बाघराय के अन्तर्गत ग्राम चौरस में दिनांक ४ फरवरी, १९७० को जगदेव नामक हरिजन के ऊपर वहीं के भूतपूर्व जमींदार राजेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा पिस्तौल से गोली चलाई गई ? जिसकी रिपोर्ट दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक के यहां भी की गयी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त काण्ड क्या है तथा उसके बाद पुलिस द्वारा सूचना पाने पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरण सिंह—

जिला प्रतापगढ़ के थाना बाघराय के अन्तर्गत ग्राम शेखपुर चौरास के निवासी जगदेव ने जिला मजिस्ट्रेट को एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें उसने यह शिकायत की थी कि राजेन्द्र प्रताप सिंह ने उसके ऊपर दिनांक ४–२–७० को देशी पिस्तौल से गोली चलाई परन्तु वह एक पेड़ के

आड़ में आने से बच गया। इसकी जांच की गई तो यह पाया गया कि यह शिकायती पत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह के विपक्षी ने आपसी रंजिश के कारण दिलवा दिया था और उल्लिखित शिकायत सही नहीं पाई गई।

*५२—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री रामपूजन पटेल—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि उपरोक्त श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह को पुलिस ने गोलीकान्ड के बाद हिरासत में ले लिया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह को हिरासत में नहीं लिया गया क्योंकि प्रार्थना पत्र में उल्लिखत शिकायत सही नहीं पाई गई।

तालबेहट थाने में सुकवां ठुकवां बांध पर कथित हत्या

*५३—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

क्या गृह मन्त्री को इसकी जानकारी है कि फरवरी, १९६९ में झांसी जिले के थाना तालबेहट के अन्तर्गत सुकवां ठुकवां बांध पर मेले में किसी व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरण सिंह—

झांसी जिले के थाना ताल बेहट के अन्तर्गत ठुकवां ठकुवां बांध पर मेले में किसी व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या किये जने की कोई सूचमो थाने पर नहीं दी गई।

राजाराम पटेल निवासी ग्राम मसानी, जिला इलाहाबाद के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार

*५४—श्री रामपूजन पटेल तथा श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद के थाना नवाबगंज के छोटे दरोगा तथा पुलिस द्वारा श्री राजाराम पटेल अध्यापक, निवासी मसनी, थाना नवाबगंज, जिला इलाहाबाद के साथ किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में डाक्टरी मुआयना नैनी सेन्ट्रल जेल में हुआ और उसके शरीर पर १३ चोटें पाई गई ? यदि हां, तो उक्त दरोगा व पुलिस के विरुद्ध किस धारा के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया ?

श्री चरण सिंह—

राजाराम पटेल, निवासी ग्राम मसानी, जिला इलाहाबाद को धारा ३३२/३५३/२२५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमें के सम्बन्ध में थाना नवाबगंज की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। नैनी जेल में डाक्टरी मुआयना किये जाने पर उनके शरीर पर १२ साधारण चोटें पाई गईं। जांच किये जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि जब राजाराम पटेल की गिरफ्तारी के अवसर पर गांव के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे एक कान्स्टेबिल घायल हुआ, तो पुलिस के सिपाहियों ने राजाराम के साथ दुर्व्यवहार किया। इस सम्बन्ध में तीन कान्स्टेबिलों को लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा एक सब-इन्सपेक्टर को थाने से हटा दिया गया है। इन लोगों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही किये जाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट बस्ती के विचाराधीन माता प्रसाद का इस्तगासा

*५५—श्री रामलखन सिंह (बस्ती) तथा श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को मालूम है कि तारीख २७ अगस्त, १९६९ को श्री माताप्रसाद, निवासी भटहा हाता, जिला बस्ती, थाना पैकोलिया के मकान पर डाका पड़ा था जिनकी रिपार्ट थाना में

दर्ज करायी गयी थी ? क्या इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जांच में स्थानीय पुलिस की ही साजिश पाई गई ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपरोक्त दोषी पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक २७–८–६९ को श्री माता प्रसाद निवासी ग्राम भटहा हाता थाना पेकोलिया के मकान पर डाका पड़ने की रिपोर्ट बस्ती जिले के किसी थाने पर नहीं दर्ज कराई गई थी अतः पुलिस द्वारा जांच करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । श्री माता प्रसाद ने दिनांक ११–९–६९ को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्याय) बस्ती के न्यायालय में एक इस्तगासा धारा ३९५ भा०दं०वि० का दायर किया है जिसमें उन्होंने थानाध्यक्ष पेकोलिया, एक हेड कान्स्टेबिल ९ कान्स्टेबिल तथा २ चौकीदारों को अभियुक्त नामजद करते हुये उनके विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मचारियों ने वादी को मारा और उसके घर में घुसकर जेवरात व नकदी लूट ले गये । इस्तगासा न्यायालय के विचाराधीन है ।

*५६—श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*५७–५८—श्री श्यामलाल—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित]

जौनपुर जिले में विभिन्न अपराध सम्बन्धी घटनायें

*५९—श्री रामशिरोमणि—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर के अन्तर्गत थाना सुजानगंज (बालतरगंज) मछलीशहर, थाना मु० बादशाहपुर में सन् १९६९, १९७० ई० में कितनी डकैतियां हुई और कत्ल हुये और कितने में मुकदमा चलाया जा रहा है तथा कितने दाखिल दफ्तर कर दिये गये और क्यों ?

श्री चरण सिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९६६–९६७ पर)

*६०—श्री छेदालाल चौधरी, श्री तेज नरायन तथा श्री सेवा राम—

[६ठे बुधवार के प्र० सं० ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लोक सेवा आयोग की परीक्षा से अंग्रेजी हटाने की सुझाव

*६१—श्री अवधेश प्रताप मल्ल (जिला देवरिया) तथा श्री राम बचन यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश की राज्य भाषा हिन्दी होने के उपरान्त भी राज्य की सेवा की प्रवेश परीक्षाओं में अंग्रेजी का विषय अनिवार्य रक्खा गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ? यदि हां, तो क्या शासन लोक सेवा आयोग द्वारा निकट भविष्य में हो रही परीक्षा में विभागीय अभ्यर्थियों को अंग्रेजी परीक्षा से छूट देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। राज्य सेवाओं में भर्ती के लिये अंग्रेजी का विषय अनिवार्य रक्खा गया है। इसका कारण यह है कि इस प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों में अभी बहुत से विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। भारतवर्ष का कोई भी पात्र नागरिक हमारे प्रदेश की परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता हैं। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी के पर्चों को हटा लेना संविधान की धारा १६(१) की भावना के अनुकूल न होगा। दूसरे हमारे प्रदेश के बहुत से अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी बैठते हैं जहां अंग्रेजी का विषय अनिवार्य होता है। तीसरे, व्यवहारिक दृष्टि से भी हमारे अधिकारियों को अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। उनको अन्य देशों अथवा प्रदेशों के नागरिकों से मिलना पड़ता है और उस समय विचारों का आदान प्रदान अंग्रेजी के द्वारा ही हो पाता है। केन्द्र में हमारे जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, वहां भी अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। जो विभागीय अभ्यर्थी सीधी भर्ती में बैठते हैं उनको अंग्रेजी की परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकती। सीधी भर्ती की शर्तें बाहरी और विभागीय अभ्यर्थी पर समान रूप से लागू होती हैं और उनको किसी वर्ग विशेष के लिये शिथिल करना संभव नहीं है।

पर्वतीय जिलों में शराब बन्दी

*६२—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९७०-७१ के लिये शराबबन्दी किये जाने वाले आदेश के अन्तर्गत किन-किन पर्वतीय जिलों में पूर्ण या आंशिक नशाबन्दी की गयी है? साथ ही यह भी स्पष्ट करने की कृपा की जाय कि शराबबन्दी किये जाने के लिये जो जिले या जिले के अन्तर्गत स्थान चुने गये हैं उनको चुनने का आधार क्या रखा गया है?

श्री चरण सिंह—

वर्ष १९७०-७१ में जिला टेहरी गढ़वाल तथा पौड़ी गढ़वाल में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया गया। शासन ने धीरे-धीरे मद्यनिषेध लागू करने की अपनी नीति के अनुसरण में उपरोक्त कदम उठाये।

*६३—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिला मद्य-निषेध समिति तथा अन्य व्यक्तियों की ओर से शासन को नैनीताल जिले में भी और अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, और भुवाली शहरों में पूर्ण शराब बन्दी गिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं? क्या सरकार को दिनांक १३ मार्च, १९७० को हल्द्वानी में शराब बन्दी के समर्थन में सत्याग्रह करने तथा सत्याग्रहियों के गिरफ्तार होने की सूचना मिली है? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की है।

श्री चरण सिंह—

जी हां। इन स्थानों पर पूर्ण मद्य-निषेध लागू करने के प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त हुये हैं।

प्रश्नगत तिथियों को हल्द्वानी में सत्याग्रहियों के गिरफ्तार होने की सूचना भी शासन को मिली है। शासन स्तर पर इस विषय में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

*६४—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सचिवालय में सहायक सचिव के स्थायी पद

*६५--श्री चिरंजी लाल (जिला एटा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय में इस समय (मार्च, १९७०) तक कितने सहायक सचिव के स्थायी पद हैं और उन पर कौन-कौन व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह--

सचिवालय में सहायक सचिव के स्थायी पद संख्या में २१ हैं, इनमें से २ पदों को अनुसचिव के वेतन क्रम में स्वीकृत दो स्थायी पदों के एवज में अस्थगित रखा गया है। शेष पदों पर निम्नलिखित अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से प्रथम ६ अधिकारी स्थायी, अगले २ परिवीक्षाधीन तथा शेष (क्रमांक ९ से १९ तक) स्थानापन्न रूप से नियुक्त हैं :--

सर्वश्री :--

१--रजनी रंजन चक्रवर्ती
२--हरचरण सिंह सोंढी
३--आदित्य भूषण पांडेय
४--कैलाशनाथ माथुर
५--वीरेन्द्र बिहारी लाल
६--ओंकार नाथ वर्मा
७--हीरा बल्लभ तिवारी
८--रुद्र प्रसाद श्रीवास्तव
९--राजनारायण शर्मा
१०--जयन्ती प्रसाद भटनागर
११--कान्ति स्वरूप गुप्ता
१२--महेश चन्द्रजफा
१३--जगदीश प्रसाद माथुर
१४--निजामुद्दीन अहमद
१५--रामनाथ बरनवाल
१६--गया प्रसाद तिवारी
१७--नारायण कृष्ण तिवारी
१८--रेवाधर तिवारी
१९--छोटेलाल साहू।

*६६--श्री चिरंजी लाल--

१ जनवरी, १९७० से मार्च, १९७० तक कितने पद स्थायी किये गये और उनमें कौन- कौन नियुक्त हुये ?

श्री चरण सिंह--

१ जनवरी, १९७० से मार्च, १९७० तक कोई पद स्थायी नहीं किया गया। अतएव प्रश्न नहीं उठता।

कसिया तथा हाटा थाने में कत्ल व डकैतियां

*६७--श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के हाटा और कसिया थाने में कितने कत्ल और डकैतियां १९६९ ई० व १९७० ई० में हुयीं ?

श्री चरण सिंह—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९६८ पर)

*६८—श्री बांके लाल—

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कसिया थाने के अन्तर्गत परसहवा ग्राम में ३ और ४ मार्च, सन् १९७० में जो डकैती हुई उसमें कितने मुल्जिम पकड़े गये हैं और उनका नाम व ग्राम क्या है ?

श्री चरण सिंह—

ग्राम परसहवा, थाना कसिया, जिला देवरिया में ३/४ मार्च, १९७० की रात्रि में नहीं बल्कि ४/५ मार्च, १९७० की रात्रि में एक डकैती पड़ी थी। इसके सम्बन्ध में अभी तक एक अभियुक्त बलिकरन, निवासी मौजा कुसुली, थाना चौरीचौरा, जिला गोरखपुर, गिरफ्तार किया गया है।

हाथरस थाने में विभिन्न अपराध की घटनायें

*६९—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस थाने के अन्तर्गत पिछले तीन मासों में कितनी चोरियां, डकैतियां तथा कत्ल हुये हैं तथा पुलिस ने उनमें क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरण सिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९६९ पर)

गैडास बुजुर्ग विकास क्षेत्र में बिजली

*७०—श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में गैडास बुजुर्ग विकास क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार बिजली की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामलखन—

गोंडा जनपद के अन्तर्गत पकड़ी माफी से गैडास बुजुर्ग ग्राम तक एक विद्युत लाइन का निर्माण कार्य मार्च १९७० से आरम्भ कर दिया गया है।

*७१—श्री इन्द्रमणी—

[६वें शुक्रवार के प्र० सं० ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

प्रतापगढ़ जिले के विकास खंडों में विद्युत् व्यवस्था

१—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड कुंडा, कालाकांकर, पटटी तथा देवसरा, जिला प्रतापगढ़ में बिजली विस्तार की क्या योजना है ?

श्री रामलखन—

आसपुर देवसरा विकास खंड में राजा का बाजार (जिला जौनपुर) से आसपुर देवसरा तक ११ के० वी० की लाइन करीब १३ कि०मी० इस वर्ष बनाने की योजना है। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन ३३/११ के० वी० पट्टी विद्युत उप ग्रह से तथा वर्तमान ३३/११ के० वी० कुन्डा विद्युत उपग्रह से इन विकास खण्डों में निम्नलिखित ११ के० वी० की लाइनों के बनाने का प्रस्ताव है:

१—विकास खन्ड कुन्डा

(क) कुन्डा से लवा सुखदेव—लगभग ११ कि० मी०

२—विकास खन्ड पट्टी—

(क) पट्टी खास से बरहमपुर—लगभग १० कि० मी०

(ख) पट्टी खास से पिन्डरा—लगभग १० कि० मी०

३—विकास खन्ड आसपुर देवसरा—

(क) पट्टी खास से उमापुर—लगभग १० कि मी०

इनका बनना ऋण की उपलब्धता पर निर्भर है ।

थाना नवाबगंज, जिला इलाहाबाद में डकैती और कत्ल

२—श्री रामपूजन पटेल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला इलाहाबाद के थाना नवाबगंज में कहा-कहां डकैती और कत्ल जुलाई, १९६९ से दिनांक १५ मार्च, १९७० तक हुये हैं ? उनमें कितनों पर मुकदमे चलाये गये और क्या परिणाम निकले ?

श्री चरण सिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९७० पर)

अनुसूचित जातीय जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक

३—श्री मन्शीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के ५४ जिलों में अनुसूचित जाति के कितने जिलाधीश हैं और वह कहां-कहां कार्य कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—

प्रदेश में इस समय अनुसूचित जाति के ९ जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं और वे क्रमशः फतेहपुर बाराबंकी, उत्तर काशी, बस्ती, जालौन, अल्मोड़ा, बिजनौर, बलिया, तथा मिर्जापुर जिलों मे नियुक्त हैं ।

४—श्री मुन्शीलाल चमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के ५४ जिलों में अनुसूचित जाति के कितने पुलिस अधीक्षक हैं और वह कहां-कहां कार्य कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—

उत्तर प्रदेश के केवल ४८ जिलों में पुलिस अधीक्षक तैनात हैं, जिनमें से ४ जिलों में अनुसूचित जाति के पुलिस अधीक्षक हैं, जो शाहजहांपुर, फतेहपुर, बदायूं तथा सुल्तानपुर में तैनात हैं, तथा एक जिले में अनुसूचित जनजाति (शेड्यूल्ड ट्राइब) के पुलिस अधीक्षक हैं जो खीरी में तैनात हैं प्रदेश के पहाड़ी इलाके के ६ जिलों में पुलिस उपाधीक्षक इंचार्ज तैनात हैं जो जिले के पुलिस प्रशासन की देखरेख करते हैं। किन्तु इनमें से कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति का नहीं है।

मेरठ जिले में विभिन्न अपराध की घटनायें

५—श्री मन्जूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जिले के किठौर, परीक्षतगढ़, सिविल-लाइन्स, मेरठ, खरखौदा, गढ़मुक्तेश्वर, मवाना, गाजियाबाद, परतापुर, छपरौली, बड़ौत, बहादुरगढ़ और बाबूगढ़ थानों के क्षेत्र में माह अक्तूबर १९६९ ई० से माह मार्च, १९७० तक कितनी डकैतियां कत्ल और राहजनी की वारदातें हुई हैं और इन डकैतियों में अलग-अलग कितने-कितने आदमी कब और कहा-कहां मारे गये और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरण सिंह—

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९७१ पर)

प्रतापगढ़ जी०आर० पी० से स्थानान्तरण

६—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतापगढ़ जी० आर० पी० के वर्तमान थानाध्यक्ष के ११ साल के कार्यकाल में कितने सिपाहियों और कितने हेड-कांस्टेबुलों का स्थानान्तरण थानाध्यक्ष की सिफारिश से किया गया तथा उक्त थाने में उक्त सिपाहियों तथा हेड-कांस्टेबुलों का कार्यकाल क्या रहा ?

श्री चरण सिंह—

प्रतापगढ़ जी० आर० पी० के वर्तमान थानाध्यक्ष के एक वर्ष के कार्यकाल में उनकी सिफारिश से एक हेड कांस्टेबुल तथा सात कांस्टेबुलों का स थानान्तरण किया गया, जिनके नाम, तथा कार्यकाल का समय संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९७२ पर)

शाहजहांपुर में 'पुलिस शैडो' के संबंध में जानकारी

७—श्री उमाशंकर शुक्ल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर में कितने लोगों को सरकारी व्यय पर पुलिस शैडो दिया जा रहा है और उसका क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—

इस समय किसी भी व्यक्ति के साथ सरकारी व्यय पर पुलिस शैडो नियुक्त नहीं हैं।

बदायूं जिले में पुलिस चौकियां

८—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले में वर्ष १९७० में कितनी पुलिस चौकियों का और निर्माण किया जा रहा है ?

श्री चरण सिंह—

एक भी नहीं।

हसनपुर तहसील में बिजली

९—श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में मुरादाबाद की तहसील हसनपुर के दक्षिणी क्षेत्र खादर में किन-किन ग्रामों में बिजली पहुंचाई जायगी तथा नई लाइन हसनपुर से गंगेश्वरी ग्राम तक खींची जायगी ?

श्री रामलखन—

वर्ष १९७०–७१ में मुरादाबाद जनपद के तहसील हसनपुर के दक्षिणी क्षेत्र खादर में किन-किन ग्रामों में बिजली पहुंचाई जायेगी, इसकी कोई सुनिश्चित रूपरेखा अभी तैयार नहीं है।

जसपुरा ब्लाक में बिजली

१०—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी (जिला हमीरपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक जसपुरा, जिला बांदा के अन्तर्गत ४५ गावों के समस्त क्षेत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना में बिजली आने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक और किन-किन गांवों में ?

श्री रामलखन—

१९७०–७१ में जसपुरा ब्लाक के ग्राम पैलानी, सिन्धन कलां, नन्दादेव एवं जसपुरा में बिजली पहुंचाने की योजना है।

जसपुरा तक लाइन बन जाने के पश्चात् ही इस ब्लाक के अन्य ग्रामों में बिजली का विस्तार किया जा सकेगा।

रायल होटल तथा दारुलशफा में बढ़ती हुई चोरियों व असुरक्षा के संबंध में शिकायत

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। प्रदेश में बड़ी असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गयी है, दारुलशफा, रायल होटल और मंत्रियों तक वह पहुंच गयी है। श्रीमती सरस्वती अम्मल जिन्होंने राज्य सभा के लिए एलेक्शन लड़ा था, जब घरपर पहुंचीं तो बदमाश आये और बटुआ लेकर भाग गये। रायल होटल और दारुलशफा में बराबर चोरियां हो रही हैं। जब हम लोगों की सुरक्षा नहीं तो दूसरों की क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी व्यवस्था यही है कि आप इस वक्त कह रहे हैं, पहले दे देते तो उनसे जानकारी हासिल कर लेता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--
कल दे दूंगा।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--
क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे . . .

श्री अध्यक्ष--
वह समाप्त हुआ।

प्रश्नों के असंतोषजनक उत्तरों के संबंध में शिकायत

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है। इस नियमावली के नियम ३८ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें यह है--"किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिसके लिए वह सूचीबद्ध किया गया हो। यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तदनुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिए कोई तिथि नियत करेंगे।"

आज मैंने ऐसा महसूस किया कि तारांकित प्रश्नों में नम्बर ४ और यह दूसरा प्रश्न भी है, बड़ी कृपा की आपने नियम ४९ में चर्चा के लिए स्वीकार करके, लेकिन यह सदस्यों का अधिकार है कि हम प्रश्नों का उत्तर बहुत सफाई के साथ जान सकें। श्रीमन्, दोनों प्रश्नों क बारे में, उसके सिलसिले में और इस प्रश्न के सिलसिले में भी, जब इस तरह से हर प्रश्न को लेकर यह कह दिया करेंगे कि हमारे पास सूचना नहीं है तो हमेशा नियम ४९ में दिया जाय, यह आपकी कृपा है कि आप अलग से समय दे दें लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस सरकार को आदेश दिये जायं, मंत्रियों को तम्बीह किया जाय, जो प्रश्न किये जाते हैं पूरा प्रश्न छोड़ देते हैं या आधा छोड़ देते हैं, तो ऐसे कब तक काम चलेगा, ४९ में समय देंगे। बड़ी स्वेच्छाचारिता मंत्रिगण में आ जायगी और हमारे समय का उपयोग नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको बतलाता हूं कि जब मुझे यह प्रतीत होता है कि उत्तर जिस व्यवस्थित ढंग से उनको देना चाहिये उन्हें उस हिसाब से जानकारी नहीं है तो मैं उसे ४९ के अन्तर्गत ले लेता हूं। इसमें उनको जानकारी हासिल करने का मौका मिल जाता है और उनको सूचना संग्रह करनी होती है। ४, ६ दफा जब ऐसा किया जाता है तो वह फिर पहले से ही तैयार होकर आयेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री--

जब नियम ३८ के उपनियम २ में यह व्यवस्था है कि उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया जायगा जिनका उत्तर नहीं मिला है और उसके लिये तिथि निर्धारित की जायगी। अब जब वह प्रश्नों को समुचित उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो इस सेक्शन का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

मुल्तवी करना ठीक नहीं है लेकिन ४९ में मैं उसे ले लेता हूं। इसका मतलब यह होता है कि मैं खुद सेटिसफाइड हूं इस बात से कि जो उत्तर दिया गया है वह काफी नहीं है। इसलिये मैं उसे ४९ के अन्तर्गत लेता हूं और वह ज्यादा कारगर होता है बनिस्वत इसके कि मैं पोस्टपोन करूं। फिर वह पोस्टपोन करने से दो-चार महीने में आयेगा जल्दी नहीं आयेगा।

श्री रामधारी शास्त्री--

मेरे प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी ने ठीक ढंग से नहीं दिया है तो आप इनको ४९ में ही ले लें?

श्री अध्यक्ष--

इस पर अब बहस नहीं हो सकेगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझे विदित था कि मंत्री जी के पास पोस्ट मार्टम की रिपार्ट है और जब उनसे प्रश्न किया कि गोली के अलावा कोई और चोट आई पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में तो उन्होंने तुरन्त जवाब दिया कि सूचना की आवश्यकता है। ऐसा मालूम होता है कि जानबूझ कर मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया। तो हमारे सप्लीमेंटरी क्वेश्चन्स कैसे पूरे होंगे, इसकी आप व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष--

४६ में लेने पर मंत्री जी को जवाब देना पड़ता है। लम्बा जवाब देना पड़ता है। लिहाजा वह सजग हो जाते हैं।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)--

एक आदमी ५ दिन से भूख-हड़ताल कर रहा है लेकिन उसकी क्या मांगें हैं इस पर अभी तक आप एक वक्तव्य भी नहीं दिलवा सके। क्या आजमगढ़ का पूरा शहर आकर भूख-हड़ताल करेगा तभी वक्तव्य आप दिलवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास वह आदमी आया था। मैंने उससे बातचीत की। मैंने कहा कि अपनी मांगों की नकल मुझे दे दो। मुख्य मंत्री जी मौजूद नहीं हैं या फिर तुम ही मुख्य मंत्री जी के पास चले जाओ। मैं उनसे जानकारी कर लूंगा। उन्होंने आज मेरे कमरे में आकर मुझे लिख कर दिया है और मुझ से कुछ हो सकेगा उन मांगों के सम्बन्ध में तो मैं तुरन्त करूंगा ताकि इन्सान टूट न जाय। मैं विश्वास करता हूं कि जिस किसी ने भी अनशन किया हो तो उसे हर कोई खत्म कराने की कोशिश करता यहां तक कि परमात्मा भी उस अनशन को खत्म करने में मदद देता है। जैसे कि अभी यहां एक माननीय सदस्य ने अनशन की। मैंने भी उनसे कहा और माननीय किदवई साहब ने भी उनसे अनशन खत्म कर करने के लिये कहा। साथ ही अन्य लोगों ने भी कोशिश की।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे तीन दफे निवेदन कर चुका हूं कि इस सदन में जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें आपने यह फैसला किया है कि एक प्रश्न के ऊपर ५ या ६ सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछ सकते हैं किन्तु यहां देखा यह गया है कि माननीय सदस्य २०-२० और ३०-३० सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछ लेते हैं और कुछ लोग तो उस पर बहस भी करने लगते हैं। इस तरह से हमारे राइट का हनन् होता है। तो मान्यवर, आप हमें बतायें कि हम कौन-सा तरीका अख्तियार करें। इस पर आप व्यवस्था करें ?

श्री अध्यक्ष--

आपका कहना बिलकुल ठीक है और मैं भी इसी राय का हूं। यह बात नहीं होनी चाहिये। लेकिन आप देखते हैं कि सदन का कुछ वातावरण ऐसा हो जाता है कि जब यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं और जो उनके उत्तर दिये जाते हैं वे कभी-कभी ठीक नहीं होते और कई लोग तो इस पर गरम भी हो जाते हैं। इस तरीके से मुझे आगे का कार्यक्रम भी सदन का चलाना होता है। मैं इसे बिलकुल पसन्द नहीं करता हूं। दण्ड की नीति मैं अपनाना नहीं चाहता क्योंकि उसमें

[श्री अध्यक्ष]

काफी देर लग जाती है। जो कुछ आपने कहा है वह ठीक कहा है। आप ५–७ या १० सवाल तक पूछ सकते हैं किन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये कि २०-२० और ३०-३० प्रश्न पूछ लें।

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

अभी आपने देखा कि इस सदन के एक माननीय सदस्य ने अनशन किया था और सरकार ने और मुख्य मंत्री जी ने कसा रुखा-सूखा जवाब दिया था। यदि आप पवित्र और विशाल हृदय के न होते तो श्रीमन्, हो सकता था कि वह माननीय सदस्य आज भी अनशन करते रहते। किन्तु मान्यवर, एक आदमी जो इस सदन का सदस्य नहीं है वह मेरे यहां भूख-हड़ताल कर रहा है इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। मान्यवर, इसका नाम रामकुंवर है। आज उसे अनशन करते हुये ५ रोज हो गये हैं और आप कहते हैं कि वह मरेगा नहीं? तो श्रीमन्, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। कल से यह सदन ४ रोज के लिये उठ जायेगा और वह हड़ताल पर रहेगा। उसकी समस्या को सुलझानें वाले मान्यवर, आप ही हैं। मुझे सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री जी से बहुत कम भरोसा है।

राजस्व मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास दो प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना के आये हैं। एक तो मुझे कल माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी ने दिया था जो कि यूनिवर्सिटी के बारे में है और जिसके सम्बन्ध में कल इस सदन में माननीय राजस्व मंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा जी ने वक्तव्य दे दिया था और उस पर प्रश्न भी हुये थे। उन्होंने यह सूचना दी थी कि परीक्षा १९ मई से शुरू हो जायेगी इस प्रकार की सूचना उन्हें यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर से मिली है। लेकिन वाइस चांसलर कामयाब नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने डिक्लेअर कर दिया कि इम्तहान इन्डेफिनिटली पोस्टपोन किये जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि उन्होंने उनसे जानकारी हासिल करने के बाद ही वक्तव्य दिया था। यूनिवर्सिटी एक आटोनामस बाडी है, उसके बारे में कोई वक्तव्य वे उनसे जानकारी हासिल करने के बाद ही दे सकते हैं। जो सूचना उन्होंने दी, उसको उन्होंने बता दिया। ऐसी जानकारी पर जब कोई मंत्री वक्तव्य देता है तो उसके ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता। दूसरी जानकारी जो उनको कल मिली, उसके ऊपर कल चर्चा हो गयी, वह भी आपको उन्होंने दे दी। इसलिये इस विषय में विशेषाधिकार के प्रश्न की मैं इजाजत नहीं देता।

श्री सुखपाल पाण्डेय के साथ पुलिस के सिपाही द्वारा दुर्व्यवहार करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय सुखपाल पांडेय जी ने दिया है। जब मैं सदन में कल आ रहा था तो उस समय माननीय धर्मवीर जी भी वहां मौजूद थें। मैंने देखा कि पुलिस वाले ने मेरे रास्ते को साफ करने के लिये, उनका हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि यह तो मेंबर हैं, उनका हाथ न पकड़ों। और उनसे मैंने पूछा कि आपको इन लोगों ने कुछ कहा तो नहीं। उन्होंने कहा कुछ नहीं है। मैंने समझा कि इतना ही काफी है। अगर वे उसको प्रेस करने की जरूरत अनुभव करते तो उसी समय प्रेस कर देते लेकिन उन्होंने कहा, कुछ नहीं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, आपने जो बताया वह सही है। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से है कि सदस्यों के आने-जाने में दिक्कत होती है। जिस बात की व्यवस्था करने के लिये आपने पीछे के गेट को बंद किया है, वही भीड़ अब इधर लगने लगी है। जो सुरक्षा के सिपाही यहां खड़े रहते हैं वे नहीं समझते कि कौन सदस्य हैं और कौन नहीं हैं। जब आप या कोई सरकारी मंत्री यहां आते है तो पुलिस वाले बड़ी तत्परता प्रदर्शित करते हैं और उसके लिये झटका-पटकी करने लगते हैं। आपको या सरकारी मंत्रियों को देखकर वे घबरा जाते हैं। इसकी चेतावनी आप दे दें और मेम्बरों को दिक्कत न हो। कभी-कभी कोरम नहीं होता तो घंटी बजती है, मेंबर लोग यहां जल्दी से आना चाहते हैं और रास्ता ब्लाक होता है। इसलिये आप ऐसा कोई प्रबंध कर दें कि मेम्बरों को आने जाने में असुविधा न हो।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय जब आप अपने कमरे से आ रहे थे, मैं माननीय धर्मवीर जी और मनोहर लाल जी से बातें कर रहा था, उस घटना के बारे में जो अखबारों में छपी थी। मैंने पूछा कि आप तो माननीय मंत्रीजी के पार्टी के आदमी हैं, किस प्रकार से लुट गये। उधर से आप आये। इतने में थानेदार वर्मा ने मेरा हाथ पकड़ कर उधर को किया। आपने मुझसे पूछा, क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं। मैंने यह सोचा कि आप यह पूछ रहे हैं कि मुझसे कोई गलती हो गयी, इसलिये मैंने कहा, कुछ नहीं। कल मैंने जो आपको इसके बारे में प्रश्न नहीं दिया उसका कारण यह था कि मैं उनके बारे में पता लगा रहा था। कल नाम, पता नहीं चला, आज चला है, तब आपको लिख कर दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो उसको अस्वीकार कर दिया है। कल जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि, कुछ नहीं। मैं समझा कि अब इसमें किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है और आपके ही सामने मैंने उसको कहा था कि इस प्रकार से किसी मेम्बर को हटाना ठीक नहीं है, आपको किसी मेम्बर का हाथ नहीं पकड़ना चाहिये। अब आपने 'कुछ नहीं' कह दिया और मैंने उससे ऐसा कह दिया तो मैं समझा कि इतना काफी है।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आपने कहा कि क्योंकि माननीय सदस्य ने कल बल नहीं दिया, इसलिये आप उसको मंजूर नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि कल उन्होंने इसलिये नहीं दिया था कि वे उसका नाम जानना चाहते थे। कल वे उसका नाम नहीं जान सके। यह घटना आपके सामने की है और उन्होंने यह जो कहा कि 'कुछ नहीं' तो वह उन्होंने अपनी गलती के संबंध में कहा। यह ज्यादती जो हुई है वह पुलिस वाले की तरफ से हुई है, इसलिये आप विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की इजाजत दे दें। अगर आपने उसको अस्वीकार कर दिया तो माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो उसको उसी समय डांट दिया था।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय सुखपाल पांडेय जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न दिया, उसका एक आधार है। घटना के समय जो आपने उनसे पूछा उस समय उनको कुछ गलतफहमी हो गयी। आपने पूछा मामला क्या है, लेकिन उन्होंने गलतफहमी में कह दिया, कुछ नहीं। इसी आधार पर

[श्री रियासत हुसैन]

आपने अन्दाज लगा लिया कि उनको कोई शिकायत नहीं थी । लेकिन जब आज उन्होंने लिख कर दे दिया और अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि उस समय मैंने यह नहीं कहा था कि इसमें मेरा अपमान नहीं हुआ । और कल उन्होंने उसका नाम जानने के लिये उसे नहीं दिया । क्योंकि यहां बहुत से पुलिस वाले और गार्ड लगे रहते हैं, इसलिये वह ठीक नाम जानना चाहते थे कि वह कौन-सा थानेदार था । दूसरी बात यह कि उन्होंने जो "कुछ नहीं," कहा, गलतफहमी में कह दिया । उनका मतलब यह नहीं था कि उनको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक्चुअल बात दूसरी थी, जो आज उन्होंने लिखकर दे दी । इसलिये आप इसको स्वीकार कर लें । कौंसिल हाउस में बहुत से थानेदार और पुलिस वाले घूमते रहते हैं और भी भीड़-भड़क्का रहता है, रोज ऐसी घटनायें हो सकती हैं । इसलिये आप इसको स्वीकार कर लें, ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, आपने अभी सदन को अवगत कराया कि जब आप अपने कमरे मे आ रहे थे तो आपने माननीय सदस्य का हाथ पकड़ते हुये, पुलिस वाले को देखा । श्रीमन्, आप ऐसी कुर्सी पर विराजमान हैं जिसकी गरिमा और गौरव बहुत बड़ा है । लेकिन आपने स्वयं देखा और माननीय सुखपाल जी का विशेषाधिकार का प्रश्न आपने स्वीकार नहीं किया । उसको देखकर आपके हृदय को तकलीफ भी हुई और आपने उसकी इम्पार्टेन्स को भी आंका । लेकिन केवल एक दिन की देरी उसको लिख कर देने में हो गयी, इसलिये आप उसको स्वीकार न करें यह उचित न होगा । आप उसकी इम्पार्टेन्स को समझते हुए उसको स्वीकार कर लें । मैं तथा जनसंघ दल के सभी सदस्य चाहते हैं कि उसको आप स्वीकार करें । श्रीमन्, जब से यह सरकार आयी है, तब से यह पुलिस वाले हम सदन के सदस्यों को यह समझते है कि हम लोग उनसे ज्यादा भ्रष्ट हैं और उनकी ज्यादतियां हम लोगों के साथ बढ़ती जा रही हैं । हमारा दल चाहता है कि आप इस प्रश्न को स्वीकार कर लें । और इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज भी नहीं है । एक प्रिविलेज का सवाल मैं भी पहले ला चुका हूं जानता हूं कि उसमें क्या होता है । वहां अगर कोई यह कह दे कि क्षमा कीजिये उसको क्षमा कर दिया जाता है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको स्वीकार कर लें ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह घटना जो माननीय सदस्य के साथ घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह अच्छी बात नहीं है लेकिन मालूम होता है कि किसी विधायक को रास्ता देने के लिये पुलिस वाले ने यह गलती की कि उसने माननीय सदस्य का हाथ पकड़ा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया । लेकिन मैं समझता हूं कि इसको विशेष महत्व न देकर आप माननीय सदस्य को और पुलिस वाले को अपने यहां बुला कर माफी मंगवा दें और इसको खतम करें । ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझकर ऐसी गलती की, अनजाने में ही उससे ऐसी गलती हो गयी, लगती है । इसलिये इसको अपने ढंग से आप खतम करा दें तो अच्छा रहेगा । (व्यवधान)

श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, कल जो घटना माननीय सुखपाल पांडेय जी के साथ घटी है वह बहुत ही गम्भीर मामला है। जब यहां पर आपकी आंख के सामने पुलिस इस तरह से एक माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार कर रही है तो उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि देहातों में पब्लिक के साथ पुलिस क्या व्यवहार करती होगी । मान्यवर, यहां पर मैं देख रहा हूं कि एक परम्परा सी बन गयी है, अंग्रेजों के जमाने की परम्परा आज भी कायम चली आ रही है कि गवर्नर महोदय जब आते हैं तो उनके लिये लाल कारपेट बिछाया जाता है, जिसका संसोपा नेता माननीय राजनारायण ने विरोध भी किया था । इसी तरह से जब कोई मिनिस्टर साहब आते हैं तो पुलिस वाले इस तरह से सतर्क हो जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा आफिसर या गवर्नर आ रहा है

जिसके लिये पुलिस वाले रास्ता खाली कराने लग जाते हैं । पुलिस को यह समझना चाहिये कि जनतंत्र में एक मिनिस्टर की वहीं वकत है जो एक माननीय सदस्य की वकत है, कम से कम इस सदन में । आप इसको एक गम्भीर मामला समझ कर इस पर विचार करें । आपको इस भावना में नहीं जाना चाहिये कि पुलिस वाला शायद आपके लिये रास्ता खाली करा रहा था इसलिये उसके ऊपर आप रहम कर दें । यह एक सदस्य की मानहानि का सवाल है, इसलिये आप इसको स्वीकार करें ।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं भी देख रहा हूं कि इस सदन के अन्दर जो पुलिस वालों की ड्यूटी लगायी गयी है वे माननीय सदस्यों की इज्जत नहीं करते है और बाहर भी इज्जत नहीं करते हैं । जब कोई मंत्री महोदय आते हैं तो फौरन पुलिस वाले सैल्यूट मारने के लिये खड़े हो जाते हैं । हम लोग भी उसी तरीके से निर्वाचित होकर इस सदन में आये हैं जिस तरीके से ये मंत्री लोग आते हैं लेकिन हम लोगों को ये एक दम हेय दृष्टि से देखते हैं । इसलिये माननीय सदस्यों के लिये भी सदन में आने जाने के लिये रास्ता खाली कराने की उचित व्यवस्था की जाय वरना हमें यहां भी आत्म सम्मान प्राप्त नहीं होगा और बाहर भी प्राप्त नहीं होता । मुझे तो ऐसा लगता है कि शहर के जितने डकैत और उठाई गीर हैं वे सब लाकर यहां की पुलिस में भर दिये गये हैं ।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)

मान्यवर, जो घटना घटी है यह बहुत ही गम्भीर बात है । जब से यह पुलिस राज्य हुआ है तब से इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं । जैसे चिता में से एक आदमी को निकाला गया, उसी तरह का मामला मैं देख रहा हूं कि आपके सामने किसी विधायक को पकड़ा जाता है जो इस आदरणीय सदन का मेम्बर है। हमारे पास चिट्ठी आती है, तार आता है कि पटवारी और तहसीलदार आदमियों को लूट रहे हैं और अगर आप भी इस तरह से मामले को दबायेंगे तब तो यहां पुलिस राज्य का ही बोलबाला हो जायेगा । इसलिये आपसे मेरा निवेदन है कि उस प्रश्न को जरूर विशेषाधिकार समिति के लिए स्वीकार करें ।

अगर पुलिस राज से बचाना है तो आप इसे स्वीकार करें वरना पुलिस राज तो पूरा कायम हो रहा है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि यह जो मामला माननीय सदस्य के बारे में उठ रहा है इस पर आप जल्दी निर्णय ले लीजिये क्योंकि बजट पर बहस चल रही है और इसमें समय काफी निकला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे विचार करना होगा । मैं आपको कल फैसला दूंगा । मुझसे जो और बात करनी हो इसकी गहराई के बारे में तो मेरे कमरे में आकर कर लीजियेगा ।

श्री रामकुंवर (जिला आजमगढ़)—

मुझे यह कहना है कि इस तरफ जो गेट बन्द कर दिया है तो क्या सरकार के सामने कोई खास समस्या है जो यह बन्द कर दिया गया है ? अगर इस गेट को खोलने की व्यवस्था नहीं हो पायेगी तो आप लाख कोशिश करें यह समस्या हल नहीं होगी । इसलिये यह गेट खुलवाने की व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था और यह तय किया था कि यहां से लोग आते हैं इसलिये भीड़ होती है। तो सदस्यों के लिये मैं इतना कर दूंगा जरूर कि यहां से और लोग न आयें क्योंकि और लोग चले आते हैं तो लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है कि वह सदस्य हैं या गैर सदस्य हैं। तो मैं कल फैसला करूंगा।

इलाहाबाद बिजली घर के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल करने के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब विद्युत मंत्री इलाहाबाद के बिजली कर्मचारियों की भूख हड़ताल के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे।

विद्युत उप मंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)--

प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग के गेट पर यू० पी० बिजली कर्मचारी संघ की ओर से ८ मई को प्रातः ८ बजे से भूख हड़ताल शुरू हुई जो कि १० मई को सुबह समाप्त हो गई (भूख हड़ताल पर ८ मई को प्रातः ८ बजे से सर्वश्री जमील अहमद और लारेंस जोजफ जो दोनों ही परिषद के कर्मचारी नहीं है) भूख हड़ताल पर बैठें। इनके साथ परिषद्, के पांच कर्मचारी (बेलदार) भी भिन्न भिन्न समय के लिये भूख हड़ताल पर बैठे। यह पांचों कर्मचारी ड्यूटी छोड़ कर नहीं बैठे बल्कि ऐसे समय पर बैठे जबकि आफ डियूटी पर थे। ९ मई को श्री श्री जमील अहमद के स्थान पर पर प्रातः ८ बजे से श्री के० पी० अग्रवाल एडवोकेट भूख हड़ताल पर बैठे। साथ-साथ श्री लारेंस जोजफ ने भी भूख हड़ताल जारी रखी। उपरोक्त पांचों बेलदारों ने भिन्न-भिन्न समय पर सहयोग दिया।

२--एक सामूहिक ४८ घंटे की भूख हड़ताल का नोटिस अन्डरटेकिंग के रेजिडेंट इंजीनियर को ८ मई को ही लगभग पौने दस बजे सुबह प्राप्त हुआ था जिसमें निम्नलिखित मांगें थी--

१--१९६४-६५, १९६५-६६ और १९६६--६७ का बोनस १९६९-७० के बोनस के साथ जल्दी दिया जाय।

२--भूतपूर्व मार्टिन कम्पनी से हस्तांतरित कर्मचारियों की सेवा निरन्तरता प्रदान की जाय।

३--केंद्रीय वेतन मंडल की सिफारिश जल्द लागू की जायं।

उपरोक्त लिखित मांगों की स्थिति निम्न प्रकार है:--

१--१९६४-६५, १९६५-६६ और १९६६-६७ का बोनस १९६९-७० के बोनस के साथ जल्दी दिया जाय।

परिषद् को जो कानूनी सलाह मिली है उसके अनुसार पेमेंट आफ बोनस ऐक्ट १९६५, परिषद् में लागू नहीं होता। फिर भी परिषद् ने कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध बनाये रखने के लिये अपने समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों को उनके उपार्जित वेतन के ४ प्रतिशत की दर से १९६७-६८ एवं १९६८-६९ के वित्तीय वर्षों के लिए एक्स ग्रेशिया भुगतान कर दिया है। अतः १९६४-६५, १९६५-६६ एवं १९६६-६७ के वर्षों के लिये बोनस देने की मांग में कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। जहां तक १९६९-७० वर्ष के लिए एक्स ग्रेशिया भुगतान की मांग है यह परिषद् के विचाराधीन है।

२—भूतपूर्व मार्टिन कम्पनी से हस्तान्तरित कर्मचारियों को सेवा निरन्तरता प्रदान की जाय ।

भूतपूर्व लाइसेंसधारियों से हस्तांतरित कर्मचारियों की सेवा निरन्तरता का मामला अभी विचाराधीन है।

३—केंद्रीय वेतन मंडल की सिफारिशें जल्द लागू की जायं ।

केंद्रीय वेतन मंडल ने अपनी सिफारिशें दे दी है। भारत सरकार के आदेश आ जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

३—कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने किये जाने के लिये उनके शिष्ट मंडल से भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी जी द्वारा विचार विमर्श किया गया था ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी ने बताया कि कर्मचारियों को ६७-६८ और ६६-६७ का बोनस मिलेगा और यह भी बताया गया कि ६९-७० के साल के बोनस के लिये विचार हो रहा है और कर्मचारियों की सेवाओं की निरंतरता का भी विचार हो रहा है। तो मैं मंत्री जी से विनम्रता से कहूंगा कि वह कितनी जल्दी निर्णय करेंगे, यह बताने की कृपा करें ।

श्री रामप्रसाद देशमुख—

मैंन पढ़ कर सुना ही दिया है कि यह विचाराधीन है, जल्दी करने की कोशिश में हम हैं ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

चूंकि वहां पर भूख-हड़ताल चल रही है और एसेंशियल सर्विसेज हैं, भूतपूर्व मंत्री जी से विचार हो रहा है, तो वर्तमान स्थिति को संभालने के लिए और जो उनकी मांगें हैं उन पर विचार जल्दी करने के लिए प्रयत्न करेंगे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

वहां कोई स्थिति नहीं है । बगैर नोटिस के वह बैठ गये और काम छोड़ कर चले गये । उन्होंने मांगें रखी हैं, उन पर विचार होगा ।

१९७०—७१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

*श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

मैं कल आपकी सेवा में निवेदन कर रहा था कि यह जो १९७०-७१ का बजट प्रस्तुत किया गया है इस सदन में उसमें हमको नये ख्यालात, नये विचार और वह नयी हलचल जो इस देश में और प्रदेश में प्रारम्भ हो रही है पिछले कई महीनों से उसका प्रतिबिम्ब उसका साया दिखाई नहीं पड़ा । उसी के सिलसिले में यह भी निवेदन किया था कि जहां पर यह कमियां और खामियां इस बजट में हैं वहां पर क्षेत्रीय इम्बैलेंस की कमी भी इस बजट में दृष्टि-गोचर होती है । मेरा इशारा बुन्देलखंड की तरफ है, पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वीय क्षेत्र के संबंध में है।

मैं इस समय बुन्देलखंड क्षेत्र की समस्या आपके सन्मुख रखना चाहता हूं । पिछली तीन योजनाओं में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड में केवल एक प्रतिशत व्यय किया जब कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इन पिछले तीन वर्ष की योजनाओं में १०—१२ प्रतिशत व्यय किया । मैं

---

†१३ मई, १९७० की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्ण चन्द्र]

समझता हूं यह अन्याय है । आप झांसी से ले लें । तांबें का पता लगाया जा रहा है कि वहां पर यह खनिज पदार्थ है या नहीं और श्रीमन्, यह पता लगाने वाली एजेंसी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है, बल्कि जब हम लोगों ने भारत सरकार से बात की तब भारत सरकार ने अपनी एजेंसी के द्वारा वहां कापर का पता लगाने के लिये विशेषज्ञ भेजे । मुझे हर्ष है इस सदन को सूचना देने में कि वहां पर कापर इतना मिल रहा है कि विशेषज्ञों का ख्याल है कि एशिया में तीसरे नम्बर पर होगा और हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर होगा । फिर भी उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है ।

सिंचाई के संबंध में जहां और क्षेत्रों में १० प्रतिशत व्यय किया गया है वहां बुन्देलखंड पर केवल ५ प्रतिशत व्यय हुआ है। हमें दलील दी जाती कि चूंकि जनसंख्या कम है इसलिये ५ प्रतिशत कम व्यय कर रहे हैं । श्रीमन, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंख्या का आधार अस्पताल हो सकते हैं, स्कूल और कालेज हो सकते हैं, लेकिन जहां भूमि का सवाल है, सिंचाई की योजनायें हैं, पी०डब्लू०डी० की योजना है तो वे जनसंख्या का आधार नहीं बन सकती। अगर सिंचाई कहीं पर हो सकती है तो वहां पर अन्न उत्पन्न होगा और उस जगह के लोगों को बाहर से अन्न मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बल्कि अगर अधिक पैदावार हो गया है तो दूसरी जगहों को भी वे भेज सकेंगे ।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम सिंचाई का प्रश्न करते हैं तो कहा जाता है कि इनकोनामिक एरिया है । यहां ट्यूबवेल खोदे नहीं जा सकते, बड़े बन्ध बनाये नहीं जा सकते क्योंकि अनइकोनामिक होगा और दूसरे प्रकार के साधन भी नहीं दिये जा सकते । पिछली तीन योजनाओं में श्रीमन्, तीन बन्ध बने हैं हमारे जिले में और जो बन्ध बना है माताटीला का उससे हमको सीमित लाभ हुआ है। दूसरे जिलों को उससे अधिक लाभ पहुंचा है । तो श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मंत्रिमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुन्देलखंड में सिचाई की योजना आरम्भ करना अनइकोनामिक है इसलिये ये योजनायें वहां चलाई नहीं जा सकती तो मैं कहूंगा कि यह बजट प्लानलेश है। अब देखना यह है कि बुन्देलखंड के लिए और क्या कोशिश की गई । अगर वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकती है जिससे अन्न पैदा हो तो बुन्देलखंड के लिये वह कौन सी योजनायें हैं जिनके चलाने से उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा हो सके और वे ऊपर उठ सकें । श्रीमन्, न तो बुन्देलखंड को उद्योग दिया जा रहा है, न उनको सिंचाई के साधन दिये जा रहे हैं जिससे खेती कर सकें और न कोई और ही साधन उनको दिये जा रहे हैं जिससे उन्नति कर सकें तो मैं प्रजातंत्र की सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस स्वतंत्रता के युग में उनको, वहां की जनता को, बुभुक्षित ही रखेंगे, वहां की जनता को उपेक्षित रखेंगे और तिरस्कृत रहेंगे, यह मेरा प्रश्न है सरकार से? क्या समाजवाद इसी प्रकार से आयेगा ?

श्रीमन्, जब हम कहते हैं एक कि आप प्लान इस तरह का बनायें जो समाजवादी प्लान हो तो कहा जाता है कि समाजवादी समाज की स्थापना करना केन्द्र का कार्य है । श्रीमन्, चाहे केन्द्र का कार्य हो या प्रदेशीय सरकार का कार्य हो, हम जनता से यह नहीं कह सकते कि प्रदेश की सरकार के लिये समाजवादी समाज की रचना करना असंभव है । श्रीमन्, केन्द्र में भी हमारे ही नेता हैं । अगर केन्द्र की सरकार न्याय हमारे साथ करने में विलम्ब करती है तो श्रीमन्, यह हमारा और हमारी सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि हम केंद्रीय सरकार को मजबूर कर दें कि वह इस प्रदेश के साथ न्याय करें, और समाजवाद की स्थापना करें । श्रीमन्, हम जानते हैं कि १९५० से अब तक कई सरकारें आई हैं और कई मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों ने स्तीफे दिये हैं । लेकिन यह कारण नहीं था कि प्रदेश के साथ अन्याय किया जा रहा है, समाजवाद की ओर सरकार कदम नहीं उठा रही है बल्कि एक संकीर्ण, संकुचित और दलीय भावनाओं से प्रेरित होकर दिये । तो श्रीमन्, मैं कहता हूं कि यह अपराध आपने भी किया है, आप भी उस अपराध से नहीं बच सकते, आप भी शरीक हैं । श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

हमको एक पावरफुल, शक्तिशाली आवाज उठानी चाहिये और आवाज उठाकर के इस प्रदेश के साथ न्याय कराना चाहिये और समाजवाद की स्थापना हो इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

*श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)––

माननीय तिवारी जी ने जो बजट पेश किया है यह नीरस है, बेजान है, राजनैतिक शब्दों के जाल से भरा है और यह गरुण पुराण है । जब माननीय तिवारी जी बजट भाषण पढ़ रहे थे तो एक अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय इस तरह से चलता रहा इसलिये मैंने गरुण पुराण कहा और मैंने बेजान इसलिये कह दिया कि माननीय तिवारी जी जब सरकार में थे, गुप्ता जी की सरकार में थे और नियोजन मंत्री थे तो शाहजहांपुर पधारे थे और नेतीपुर ब्लाक में अधिकारियों से पूछा था कि यह ब्लौक क्यों पिछड़ गया है और उन्होंने आदेश दिया था कि इस ब्लाक के लिये एक अलग से योजना बनाई जाय लेकिन जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया उसमें उस योजना की कोई बात नहीं दिखलाई दी । इस बजट में किसानों की कोई योजना नहीं है यह काश्तकार विरोधी बजट है, गांव वालों के फायदे का नहीं है । जिस तरह से बजट पिछले गत वर्षों में बनते चले आये हैं उसी की यह पुनरावृत्ति की गई है ।

माननीय तिवारी जी को मैं बहुत स्नेह करता हूं और वह बहुत योग्य है, विद्वान हैं उन्होंने बजट की भाषा में कवि केशव की भाषा डाल दीं लेकिन बिहारी की माधुरी लाने में असमर्थ रहे । वित्त मंत्री जी क्षमा करें, शायद वह लाना भी चाहते रहे हों लेकिन यह जो जुड़वा गवर्नमेंट है ट्विन सरकार है उसमें मजबूर थे और वह मुख्य मंत्री जी की पार्टी को संतोष न दिला सके और जिस तरह का बजट वह प्रस्तुत करना चाहते थे नहीं कर सके । उनकी जो भावनायें हैं वह प्रगतिशील विचार की रही हैं । समाजवादी विचाराधारा का उन्होंने प्रतिपादन किया है लेकिन वह समाजवाद जैसे एक पिंजड़े में कोई, क्षमा करे, तोता बैठाल दिया जाय और जैसा पढ़ाया जाता है वह पढ़ता है आजकल वह बेचारे उसी तरह पिंजड़े में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं । वह मजबूर है और मैं उनकी मजबूरी को समझता हूं और उन्होंने अपने फर्ज की अदायगी बजट पेश करने में कर दी । श्रीमन्, यहां सदन में जब बात होगी तो गांवों के उत्थान की चर्चा होती है लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक २० वर्ष के शासन में, और शासन के जिम्मेदार मैं इधर के बैठने वालों को भी मानता हूं क्योंकि जब कांग्रेस में मतभेद नहीं था तो दोनों ही शासन में थे शहरी क्षेत्र की जिस रफ्तार से तरक्की हुई उस रफ्तार से ग्रामीण अंचलों की नहीं हुई जिसकी वजह से बहुत से गांव ऐसे उपेक्षित है कि उनकी जो दशा ब्रिटिश शासनकाल में थी वैसी ही अब भी है न वहां पुस्तकालय है न शाफाखाना है और न वहां के बसने वालों की सुविधा की कोई सामग्री है । तो श्रीमन्, ऐसी सूरत में जो ग्रामीणों की भलाई की बात करते हैं, लगान घटाने की बात करते हैं लगान माफ करने की बात करते हैं मुख्य मंत्री जी को या उनकी सरकार को क्या यह पता है कि गांवों के रहने वाले ६० प्रतिशत भाई ऐसे है जिनके पास मकान नहीं है, जानवर खेती करने के लिये नहीं है, बैठने के लिये बैठक नहीं है और जाड़े के दिनों में आग के सहारे बठकर रात व्यतीत करते हैं ? क्या सरकार का ध्यान इधर आकर्षित हुआ और समाजवाद का नारा तो हर एक लगाते हैं । माननीय मंत्री जी भी समाजवादी विचारधारा के रहे हैं । मैं तो सभी को समाजवादी विचारधारा का पाता हूं फिर व कौन से लोग हैं जो समाजवादी विधारधारा के विरोधी है और उसको आने नहीं देते हैं । प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी चाहती हैं कि समाजवाद आ जाय परन्तु समझ में यह नहीं आता है कि इसको रोके कौन है, इसकी अटक कहां पर है और वह क्यों नहीं आ रहा है ।

पिछले वर्ष एक अभियान चला था कि शुगर मिल्स का राष्ट्रीकरण, नेशनलाइजेशन किया जाय । माननीय गेंदा सिंह जी बैठे हैं उन्होंने हम सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करवाये थे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

उसमें मैंने भी दस्तखत किये थे कि जल्दी से शुगर का नेशनलाइजेशन हो क्योंकि यह हमारे प्रदेश के काश्तकारों के लिये हितकर होगा। प्रधान मंत्री से भी उन्होंने बातचीत की थी इस विषय में। इस वर्ष एक कमेटी भी बनाई जिसमें माननीय गेंदा सिंह जी भी उसके मेम्बर हैं। जब वित्त मंत्री जी भाषण दे रहे थे तब गेंदा सिंह जी बजट भाषण में यह देखने का प्रयास कर रहे थे कि किस स्थान पर नेशनलाइजेशन का जिक्र किया गया है परन्तु उनको वह नहीं मिला। मैं भी इसको देख रहा था और मुझको भी इसमें निराशा ही मिली। गेंदासिंह जी ने इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया। यह सरकार बिल्कुल ही निकम्मी हो गई है और ला ऐन्ड आर्डर सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि उसका कोई अन्त नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। यदि यहां पर मुख्य मंत्री जी होते तो अच्छा होता।

सबसे पहले तो मैं पुलिस के बारे में ही कहूंगा। हमारे उप मंत्री जी श्री ओम प्रकाश जी इस बात को जानते हैं। जहां के वे हैं वह है थाना फतेहगंज और मैं भी वहीं से होकर जाता हूं। अभी डेढ़ महीना हुआ कुछ गुन्डों ने एक स्कूल की बालिका को रेप करने के लिये पकड़वाया। इस पर अध्यापक और लड़कों में बहुत रोष पैदा हुआ। इस पर उन गुन्डों ने उसको छोड़ तो दिया परन्तु उन व्यक्तियों पर कोई भी ऐक्शन नहीं हुआ। इसके लिये वहां के लोग मुख्य मंत्री जी के पास लिखित रूप से शिकायत ले गये। उप मंत्री महोदय से भी उसकी शिकायत की परन्तु उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं के दरोगा साहब ने चोरी की १८ किलो अफीम बरामद की। उनके कारिन्दों ने यह सलाह दी कि १८ किलो अफीम को देने की क्या जरूरत है और केवल आधे किलो में ही काम चल जायगा। उन लोगों ने साढ़े १७ किलो अफीम को तो ब्लैक से बेंच दिया और खा गये और केवल आधे किलो अफीम को लेकर उसका चालान किया गया। जब उप मंत्री जी बरेली गये थे तो उनसे वहां पर एक शिष्ट मंडल मिला था और उसने इस बात की शिकायत की और यह भी कहा कि उस थाने का दरोगा इस तरह का है और लड़की वाला तथा अफीम वाली बात सही है और उस पर कार्यवाही होनी चाहिये। मुझे खेद है कि उस दरोगा के खिलाफ कोई कार्यवाही न की गई अथवा वह उसमें असमर्थ रहे। वह दरोगा जो हैं वह हमारे मंत्रि परिषद् के सबसे बड़े मंत्री के निकटस्थ अपने को बताते हैं। इसी प्रकार से मैं और भी उदाहरण देना चाहता हूं कि अधिकारी किस प्रकार से जनता को हैरेस करते हैं और किस प्रकार से जनता की कोई भी बात सुनी नहीं जाती है। जब हमारी संविद सरकार थी १९६७ में और उस समय चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री बने थे उस समय उनके भाई बृजपाल सिंह.....

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर सदस्य महोदय बजट भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं अथवा कोई व्याख्यान अथवा कथा कह रहे हैं। बजट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

अध्यक्ष महोदय, वह सुपरिन्टेन्डेन्ट थे। एक हाउस के मामले में उनकी शिकायत की गई जिसकी मुख्य मंत्री जी से भी शिकायत हुई। बाद में वह केस कोर्ट में गया उन्होंने १९७० में हाई कोर्ट में अपील की। यह ठीक है कि वह एक अधिकारी थे और अपना काम ठीक से कर रहे थे पर उनको हाई कोर्ट भी जाना पड़ा। इसी तरह से, श्रीमन्, अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है और जो अधिकारी या कर्मचारी किसी बी० के० डी० के सदस्य पर आरोप लगाता है वह कितना ही गुनाह करे सब माफ है उनकी शिकायत होती है तो कह दिया जाता है कि जांच होगी।

मान्यवर, वन मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना इस प्रदेश में इसलिये हुई कि देश–विदेश की मांग थी कि पशु–पक्षियों की बहुत सी स्पेसीज ऐसी हैं जो कम होती चली जा रही हैं, उनकी रक्षा की जाय। आप तो गांधी जी के देश वाले हैं। उनका भी यही विचार था कि बेकार में न मारा जाय। आखेट आखेट के लिये हो, कसाईपने के लिये न हो। तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना हुई? लेकिन वन विभाग के सबसे उच्च अधिकारी ही नियमों को तोड़ते हैं। श्रीमन्, आपने लाल बत्ती जला दी। मुझे अभी अपनी बात कहनी है। कृपया पांच मिनट और दे दें। श्रीमन्, वन विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी चीफ कंजरवेटर हैं वह जनवरी में हल्द्वानी डिवीजन में गए। उनके दामाद भी वहां थे। तमाम इलाके में अनधिकृत शिकार किया। तमाम चीतल, मुर्गे आदि बहुत से जानवरों को मारा। जिन चीतलों के पेट में बच्चे थे वह निकाले गए पेट से। वन विभाग के हाथियों का स्तेमाल किया गया। आप उनकी जांच सी० आई० डी० से कराएं। नन्दौर नदी में क्लाउड मछली का जखीरा है। वहां डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया। यह सूचना कई विधायकों ने लिखकर मुख्य मंत्री जी को दी है। एक कंजरवेटर गोरखपुर है श्री बी० बी० श्रीवास्तव, गोन्डा रेन्ज के हैं। वहां भी बेतहाशा जानवर, तीतर–बटेर अप्रैल के महीने में मारे गए। उनकी लड़की की शादी हुई तो फी रेन्जर ने १० हजार रुपए दिए। मैं यह आरोप लगाता हूं। सी० आई० डी० से इसकी जांच कराएं, विजीलेन्स से कराएं। दिसम्बर, ६९ के बाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जानवर मार सकने की फेसीलिटी को रिन्यू नहीं किया लेकिन फिर भी इन्होंने यह अनियमितता की। एक गरीब आदमी अगर गांव में बन्दूक से चिड़िया मार लेता है तो १०० रु० जुर्माना होता है। इन पर कोई जुर्माना नहीं हुआ।

मान्यवर, आपने भी अखबार में पढ़ा होगा, झांसी में अमेरिकन्स ने कुछ जानवर मारे। उन पर १००–१०० रु० जुर्माना हुआ। एक मलेरिया वाले ने खरगोश मार लिया, ८०० रु० जुर्माना हुआ। हमारे लायसेन्स कैन्सिल कर दिये जाते हैं। मैं वन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जानवर हमारे यहां से बिलकुल चले जाएंगे। लैपर्ड और पैन्थर कम हो गए हैं, शेर की तादाद भी कम हो रही है। चकिया में गिरि वाले शेर छोड़े गए। हजार रुपया इनाम मैं उस जंगल के अधिकारी को दूंगा जो एक भी शेर मुझे दिखला दे। सब मार डाले। अमेरिकन्स के हाथ १०–१० हजार में उनकी काठी बेची गयी। हां, गुजरात में वाकई वाइल्ड लाइफ बोर्ड बहुत काम कर रहा है। तो, मान्यवर, जब तक अधिकारी लोग ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे तब तक यह काम नहीं चल सकता।

*श्री चन्द्रभान शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं दो रोज से यह देख रहा हूं कि फाइनेन्स के पंडित जो हमारे वित्त मंत्री हैं, जो उन्होंने यह बजट यहां पर पेश किया है इधर से या उधर से जो आता है एक स्वर से जब बोलता है तो आलोचना के तरीके से अपनी हर एक बात यहां पर पेश करता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद ज्यादा आमदमियों ने इस बजट को पढ़ने की और इसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की या हम लोगों में इसके समझने की बिलकुल कमी हो गई है। इसके सिलसिले में ऐसा मालूम होता है कि इनके साथ ऐसा बरताव हो रहा है कि हर एक आदमी इस बजट की आलोचना करता है :—

"हजारों साल नरगिस अपनी बेनूबी पे रोती है
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।"

ऐसी हालत में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बजट के पहले साल जो १९६९–७० में बजट पेश हुआ था उसके अन्दर हमारे पिछले वित्त मंत्री ने १६० करोड़ रुपये खर्च करने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

को रखा था लेकिन हमारे वर्तमान वित्त मंत्री ने १७९ करोड़ रुपये का यह बजट पेश किया है। इसमें २९ करोड़ रुपया ज्यादा बढ़ाया गया है जो हमारे प्रदेश के ऊपर खर्च होगा और जिससे प्रदेश की तरक्की होगी। इसके बावजूद कुछ अपने जाती मसलहत और अपने जिले की राजनीति तथा कुछ अपनी जरूरतों के मुताबिक हर एक आदमी इसकी आलोचना करता है। मैं तो इस बजट की प्रशंसा इसलिये कर रहा हूं कि मुझे इस बजट के अन्दर कुछ खसूसियत दिखाई पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मस्कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक परफारमेंस बजट की सिफारिश जो इस कमीशन ने की है हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इसके अन्दर उसका प्राविजन किया है और इसको कार्यान्वित करने का वादा किया है। यह अहम चीज है जो इस बजट के अन्दर पेश की गई है। इसके बावजूद इसकी तनकीद की जा रही है तो मुझे ताज्जुब होता है। हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट के अन्दर यह वादा किया है कि इंडियन रोड कांग्रेस और जो दूसरे देशों के अन्दर बहुत सी ऐसी सोसाइटी हैं जिन्होंने इस बात की सिफारिश की है उस पर ध्यान दिया गया है। आज तक हमारे बजट इस तरीके से बनाये जाते रहे हैं कि जब आखिरी साल आता है और इस वक्त तक अगर किसी मुश्किल से वह कार्य पूरा नहीं हो सका है तो वह हमारी ग्रान्ट लप्स हो जाती है या जल्दी जल्दी में वह रुपया खराब कर दिया जाता है। इस बजट के अन्दर हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बात के लिये सुझाव रखा है बल्कि उसको कार्यान्वित करने का वादा किया है और इसको पूरा भी कर दिया है कि आइन्दा जितनी भी ग्रान्ट होंगी वह लैप्स नहीं होंगी और उनको सहूलियत के साथ पूरे साल खर्च किया जा सकेगा। मान्यवर, पिछले सालों बजट के अन्दर जब ये ग्रान्ट लैप्स हो जाती थीं या कार्य बीच में रह जाता था या गवर्नमेंट गिर जाती थी या गवर्नमेंट कमजोर हो जाती थी या हमारी सरकार को यकीन यह नहीं होता था कि कितना खर्च किया जायगा या और तरह से रुपया देने में देर हो जाती थी जिससे रुपया भी खराब होता था तो उस कमी को दूर करने के लिये और रुपया बचाने के लिये और योजनाओं को जारी रखने के लिये इसके अन्दर प्राविजन किया गया है जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इसका स्वागत करता हूं और अपने माननीय वित्त मंत्री को जो ऐसे खयालात उन्होंने प्रस्तुत किये हैं, ऐसी स्कीम का एलान करके उसके लिये उनको मुबारकबाद देता हूं।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पहली मर्तबा हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट के अन्दर बजट मैनुअल और फाइनेन्शल हैंड बुक और दूसरी सर्विस बुक के अन्दर दोबारा गौर करने के बारे में, उसको रिवाइज करने के बारे में कदम उठाया है यह बड़ा ही सराहनीय कदम है। यह बजट जैसा कि उनकी आदत है, जैसा कि वह अपने खयालात जाहिर करते हैं, उनके दिल के प्रोग्रेसिव व्यूज का नकशा पेश करता है। उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिये इसी तरह से पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं और उसके लिये तमाम पार्टीज की जो एक कमेटी ऐसी बनाई है जो पिछले साल के निर्माण कार्यों की हर साल जांच करेगी और हर तरह की देख रेख रखेगी, यह एक नेक कदम है जो आज तक इससे पहले नहीं उठाया गया था, इसके लिये भी मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी तरह से आप देखें कि कृषि, हाइडल और सिचाई विभागों में बजट का ७४ प्रतिशत व्यय रखा गया है इससे पूरे सूबे की सही दिशा में तरक्की होगी। पिछले साल ६९–७० में कृषि के लिये १९.२ प्रतिशत टोटल बजट का रखा गया था लेकिन अब उसको बढ़ा कर २०.६ प्रतिशत कर दिया गया है, इसी तरह से सिचाई पर पिछले बजट में १०.६ प्रतिशत टोटल बजट का रखा गया था जिसको बढ़ाकर अब उन्होंने ११.२ प्रतिशत कर दिया है। यह हमारी सिंचाई योजनाओं के लिये बहुत हौसला अफजां है। अगर वह इसी तरह से चलते रहे तो वाकई सूबे की तरक्की हो सकती है। साथ ही इस बजट में माननीय

वित्त मंत्री जी ने सवा ३ एकड़ तक लगान वाले किसानों को लगान की छूट दी है, फरटिलाईजर्स पर से सेल्सटैक्स हटाया गया है, इन तमाम चीजों से ऐसा लगता है कि काफी राहत किसानों को और जनता को इस बजट में दी गई है। लेकिन इतने पर भी ताज्जुब होता है कि माननीय वित्त मंत्री जी की इस तरह से आलोचना सुन पड़ रही है कि यह पहला मौका कि हरिजनों के लिये पुलिस कांस्टेबिल तैयार करने की ट्रेनिंग फ्री फूडिंग और लाजिंग की व्यवस्था के साथ दी जायगी, यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। अपने विचारों के अनुसार हर एक माननीय सदस्य ने अपने विचार इस बजट पर यहां रखे हैं, कुछ लोगों ने केवल बुराई के पहलू पर ही नजर डाली है लेकिन जो ज्यादातर अच्छाई की चीजें माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें रखी हैं उनके लिये वह काबिले तहसीन और तारीफ के काबिल हैं।

सिर्फ थोड़ी सी शिकायत उनसे हमें भी है और वह यह कि उन्होंने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से पिछले सालों ने पच्छिमी अजला को नजरअन्दाज किया गया है और उस तरह नलकूप, सड़कें और बिजली की लाइनों के मामले में उन्होंने बड़ी कन्जूसी दिखाई है, इस तरह की थोड़ी शिकायत हमें भी है लेकिन इस के यह माने नहीं है कि बजट सारे का सारा आलोचना के काबिल है। उनका बजट रिजिड है या प्रोग्रेसिव नहीं है यह कहना मुनासिब न होगा।

यह ठीक है कि पच्छिमी जिला के साथ थोड़ी ज्यादती हुई है और मुझे उन से पूरी आशा है कि वह आइन्दा इस तरफ खयाल करेंगे। एक कमी का हमें और अहसास होता है जैसा कि कहा गया है कि—

" बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का
जो चीरा तो इक कतरये खूं न निकला।"

इस बजट के अन्दर वह जरूरी चीज आनी चाहिये थी जिस के बारे में इसी हाउस में बहुत बहस हो चुकी है। नेशनेलाइजेशन आफ शुगर इंडस्ट्री की बहुत चर्चा थी लेकिन उस तरफ कोई इशारा तक नहीं है। इस से हमें शुना होता है कि सरकार की तरफ से यह कोई बहकावा मात्र तो नहीं है। इस तरफ मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंआ।

इसके अलावा मुझे एक बात यह भी कहना है कि यह जो प्रोफेशन टैक्स की बात है उसके सम्बन्ध में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने थोड़ी सी और अधिक उदारता से काम नहीं लिया। आप समझें कि आजकल ४,२०० रुपए में क्या होता है, उस की जो हालत होती है उसका मुकाबला माननीय मंत्री महोदय अपने आप से कर लें चूंकि उन को भी करीब १ हजार वेतन, फ्री फर्निचर और फरनिश्ड क्वार्टर मिलता है, मेरे खयाल से यह राहत कुछ आगे जानी चाहिये थी और इस संबंध में वह कंजूसी कर गये। इस बजट में छोटे कर्मचारियों, अध्यापकों प्रोफेसरों और अन्य अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के लिये कोई चीज नहीं रखी है। इस मामले में भी मुझे संकोच होता है कि इस बजट को हम प्रोग्रेसिव बजट नहीं कह सकते।

श्रीमन्, एक बहुत बड़ी समस्या को नजरअन्दाज कर दिया गया है। इस प्रदेश के अन्दर करोड़ों रुपया सरकार का चकबन्दी में, चक रोड्स और नालियां बनाने में लगाया जा रहा है लेकिन प्रान्त में किसी जगह प्रकाश में नहीं आ रहा है। इसी वजह से छोटे-छोटे किसानों के शिर फट रहे हैं, उनमे झगड़े हो रहे हैं। इन हालात के अन्दर काश्तकार को चक रोड दिलावें उनको सिंचाई की सुविधाओं के लिये नालियां बनवायें और कोई ऐसा कानून बनायें जिनसे उनके बीच में रोड़ा अटकाने वाले हैं, वे किसी प्रकार का रोड़ा न लटकावें। तब किसानों को बड़ी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। हर चक वाला दूसरे चक वाले के साथ लड़ाई झगड़ा और मुकदमेंबाजी करते हैं और यह समस्या प्रदेश में बड़ी भारी बन गयी है। मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर इन चीजों का अगर समावेश हमारे मंत्री जी करदें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

कमियां रह भी गयी हैं, उनको पूरा करने की कोशिश यह सरकार करेगी और अगर हो सकेगा तो सप्लीमेंट्री बजट में पूरा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बार फिर ऐसा अच्छा बजट पेश करने के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को मुबादरकबाद देता हूं।

*श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मुझे दुःख है कि माननीय वित्त मंत्री जी सदन से जा रहे हैं।

मान्यवर, यह जो बजट है, जब यह आने वाला था तो हम लोगों को बड़ी आशायें थी, प्रदेश की जनता को बड़ी आशायें थीं कि यह बजट एक क्रान्तिकारी शक्ल में आयेगा, प्रदेश की गरीब जनता की हालत को देखते हुए, किसानों की गरीबी को, मजदूरों की बेकारी को देखते हुए, और प्रदेश में फैली हुयी बेरोजगारी को देखते हुये एक ऐसा बजट होगा जो कल्याणकारी होगा। उन्हीं के शब्दों में यह एक ऐसा बजट होगा कि जो आज हमें किसी भी खतरे का मुकाबला करने में सहायक होगा लेकिन इस सरकार ने यह बजट ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया है कि जिससे न जनता के कल्याण की पूर्ति होती है, न आवश्यकता की पूर्ति करता है। न यह जवानों के लिए है, न नन्हें मुन्नों के लिए है, जिससे भविष्य का निर्माण हो सके और वर्तमान युग में सुधार हो सके।

हमारे देश में २ विचारक रहे हैं। एक थे डाक्टर राम मनोहर लोहिया और दूसरे थे दीन दयाल जी। इन महान विचारकों ने जो विचार प्रस्तुत किये हैं, जनता की के लिये जो प्रेरणा दी और कदम उठाये और उन्होंने देश की जनता के सामने जो विचार प्रस्तुत किये अगर उनमें से एक भी विचार बजट में परिलक्षित होता तो बड़ा अच्छा होता। इसमें कोई चीज नहीं मिलती जिससे मालूम हो कि आने वाली सुबह होगी। मैं तो समझता हूं कि इससे निराशा की खाई बढ़ती ही चली जायगी और प्रदेश की जनता के सामने एक जीवन-मरण का सवाल पैदा हो गया वह चाहे जिस प्रकार से हल करें चाहे क्रान्ति से चाहे अहिन्सा से करे चाहें जिसको नक्सलपंथी कहते हैं, उससे हल हों लेकिन इस बजट में जो प्रस्तुत किया गया है केवल एक आंकड़ों की भीड़ प्रस्तुत की गयी है। दुबले, पतले और कमजोर जो किसान हैं, उनकी आवाज भीड़ में कहीं सुनाई नहीं पड़ती है। भले चन्द मंत्रियों के कागजों में, चन्द मंत्रियों के कमरे में भले हों, लेकिन उन्होंने प्रदेश को पीछे रखकर, देश को पीछे रख कर इस प्रदेश में जो भावनायें लाये हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह बजट मुर्दा बजट है। यह लाश के समान है जिसकी शव परीक्षा नहीं हो सकती। इससे दुगन्ध आती है। यह जनता को उबा देने वाला बजट है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बजट में आखिरकार जो उपेक्षित लोग हैं, जो प्रदेश का पिछड़ा भाग है, चाहे वह बुन्देलखंड हों, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो क्या उनके बीच की खाई को पाटने का प्रयास होगा? परन्तु मैं देखता हुं कि इस बजट में बड़ा-बड़ा होगा और छोटा-छोटा होगा और जो मिट रहा है वह मिट जायेगा। जो दिया बुझ रहा है वह बुझ जायेगा और जो मशाल है वह जलेगा। एक कहावत है कि आंधी उसी को सहायता करती है जो मजबूत हो। जो अग्नि मजबूत होती है वह प्रज्ज्वलित होती है परन्तु जो टिमटिमाता दीपक होता है वह हवा के एक झोंके से ही बुझ जायेगा। अब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं। मैं सदन में इस बात की सूचना देना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनके विधायकों ने मिल कर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक मोर्चा कायम किया है और उनके उद्देश्य श्रीमन् ये नहीं हैं कि प्रदेश खंडित हो बल्कि उनका उद्देश्य यह है कि वे विधायक सदन में पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याओं को सामने लाकर उनकी चर्चा करेंगे और यह चाहेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो पिछले बाईस सालों से उपेक्षित दृष्टि से देखा गया है। अगर उसकी इसी प्रकार उपेक्षा की गई तो सम्भव हो श्रीमन्, मैं अलगाव के रूप में तो नहीं जाना चाहता परन्तु इस प्रकार अलगाव की बात अपने आप पैदा हो जाती है। क्योंकि मरता क्या न करता। आज ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की है। मैं सड़कों के बारे में भी कहना चाहूंगा कि जो विशेष ध्यान सड़कों पर देना चाहिये वह नहीं दिया गया। श्रीमन्, सिंचाई की बात करूं तो सिंचाई के विषय में भी ध्यान नहीं दिया गया। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जिस उपेक्षित दृष्टि से आज की सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश को देख रही है और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की शान्ति है वही आने वाली क्रान्ति की एक सूचना है और सम्भव हो वह आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में सदन में प्रकट हो जाय या बाहर प्रकट हो जाय।

मैं अपने जिले मिर्जापुर की बात चन्द लमहों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी-अभी हम लोगों ने, मिर्जापुर की जनता ने आवाज उठाई थी कि वहां जो बिजली कम्पनी है उसको राज्य विद्युत परिषद् बिजली देती है। वह १३ नये पैसे पर बिजली देती है नगर के उपभोक्ताओं को। यह बिजली वहां के पूंजीपति के द्वारा दी जाती है। श्रीमन्, मैं तो यह कहना चाहता था कि सरकार का रुपया, सरकार का साधन और सरकार की बिजली और एक पूंजीपति उससे दस लाख रुपये पैदा करे और वहां की जनता का शोषण करे। यह कैसा समाजवाद कहा जाय। हमने कई बार इस बात को उठाया कि उस बिजली कम्पनी का सरकारीकरण कर लो अपने हाथ में ले लो ताकि उपभोक्ताओं को विद्युत मिले।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि यहां पर सरकारीकरण क्यों नहीं हो रहा है। उसका एक कारण है। अध्यक्ष महोदय, जो यहां के वित्त विभाग के सचिव हैं श्री तिवारी, उनके खिलाफ काफी शिकायतें थीं। यह जो बिजली कंपनी है उसके मालिक से उनका कुछ न कुछ रिश्ता है। स्वच्छ प्रशासन के नाम पर माननीय मुख्य मंत्री ने उनका गाजीपुर डी० एम० के पद पर ट्रांसफर कर दिया, किन्तु वहां चार्ज लेने से पूर्व ही उसे फिर कैन्सिल कर दिया तो स्वच्छ प्रशासन के नाम पर अगर इसी तरह का कार्य होगा तो स्वच्छ प्रशासन केवल धोखा ही रह जायेगा। मैं तो समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री हृदय से स्वच्छ प्रशासन और प्रदेश की उन्नति चाहते हैं। मगर स्वच्छ प्रशासन के नाम पर आज जो कुछ हो रहा है उसे देख कर ऐसा लगता है कि यह सब कुर्सी और स्वार्थ के लिये ही हो रहा है। आज भी विद्युत विभाग उसी के हाथ में है जिसके हाथ पहले थे।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, विद्युत विभाग के लिये जो बजट रखा गया है वह करीब १ करोड़ रुपये का है। इतना बड़ा बजट, और उसमें से इतनी कम रकम उसके लिये रखना बहुत कम है।

आज ओवरा थर्मल पावर स्टेशन में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस तरह से वहां धन का दुरुपयोग हो रहा है, मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय उसकी जांच के लिये एक कमेटी बिठा दें। उससे एक बहुत बड़ा राज खुलेगा और यह पता चलेगा कि किस तरह से रुपया गरीबों के पास न जाकर अमीरों के पास जा रहा है। चन्द भ्रष्ट आफिसरों द्वारा वहां काफी धन का दुरुपयोग हो रहा है।

मान्यवर, हमारे जिले के साथ सरकार की नीति बड़ी ही उपेक्षा की रही है। काशी और प्रयाग में तो मद्य निषेध लागू है, किन्तु हमारे यहां मिर्जापुर में उसे लागू नहीं किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों वहां पर मद्य निषेध लागू नहीं किया गया? विन्ध्याचल एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां पर प्रदेश के कोने-कोने से लोग आते हैं। वहां पर भी मद्य निषेध नहीं हुआ है।

सतिया की हत्या की बात भी मैं पुनः उठाना चाहता हूं। हमारे यहां के लोग सबसे पिछड़े हुये लोग हैं। दैवी प्रकोप के भी आघात और अत्याचार उन पर बराबर होते रहते हैं। इस गरीबी की हालत में अगर वहां लोगों को शराब पिलायी जायेगी तो वे किस दृष्टि से अपनी मां, बहिन और बेटियों को देखेंगे। जब शराब का दौर चलेगा तो वहां क्या हाल होगा, मिर्जापुर तो काशी और प्रयाग के बीच चकनाचूर हो जायेगा। जब आपने नशाबन्दी का एक आधार माना, तो उस आधार के अन्तर्गत मिर्जापुर में क्यों नहीं नशाबन्दी लागू की। मैं कहना चाहूंगा कि इससे केवल साढ़े ४ लाख की आय होती है जिसमें ढाई लाख प्रशासन पर खर्च हो जाता है। ऐसी

[श्री विजय बहादुर सिंह]

हालत में सरकार को इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपको इसे तुरन्त बन्द कर देना चाहिये। पंडित कमलापति जी पूर्वी उत्तर प्रदेश के महान नेता है। प्रयाग की हमारी प्रधान मंत्री हैं। लिहाजा उन दोनों के यहां नशाबन्दी लागू कर दी गयी, मिर्जापुर को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां के लोगों की आवाज तो, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, वहां के पत्थरों से टकराती है और लौट आती है। जब-जब भी हमने वहां के लिये कोई प्रश्न उठाया, हमारी आवाज सुनी ही नहीं गयी। हमने तो बड़ी उम्मीद की थी माननीय वित्त मंत्री से---सदस्य नैनीताल से कि वह बड़ी ऊंचाई से नीचे की ओर देखेंगे। लेकिन उनकी दृष्टि उस कटघरे की तरह हो गई है जिसके बारे में पूज्य लोहिया जी कहा करते थे---जो चोरों की चाल थी। माननीय वित्त मंत्री जी जवान थे और हम भी जवान हैं उनको मालूम होना चाहिये कि आज जवानों के अन्दर एक बौखलाहट है, एक छटपटाहट है, वह देश की गरीबी को दूर करने के लिये आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके लिये वे कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हैं। मैं उनसे उम्मीद करता था कि वह कोई क्रान्तिकारी बजट लायेंगे।

सरकार की राजनीति में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, कुछ मेम्बर इधर से उधर गये और कुछ उधर के इधर आये, लेकिन मैं बजट में देखता हूं कि इस बजट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं हुआ है। आज बजट में यह प्राविजन होना चाहिये था कि बेकारों को काम देना चाहिये था। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि सूती मिलों और ऊनी मिलों को बन्द कर दिया जाय और कपड़ा हाथ से बनाया जाय इससे लाखों बेकारों को काम मिल सकेगा केवल जो कपड़ा निर्यात होता है, वही मिलों में बने और बाकी कपड़े के निर्माण पर बैन लगा देना चाहिये और वह हथकरघा और कुटीर उद्योग द्वारा निर्माण किया जाय। यदि इस प्रकार की व्यवस्था इस बजट में होती तो हर हाथ को काम मिलता, हर बेकार को काम मिलता। आज चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। राज्य कर्मचारियों में अपनी मांगों को लेकर भारी परेशानी है, अध्यापक अलग परेशान हैं, मजदूर अलग परेशान हैं। मुझे डर है कि कहीं इन परेशान और मुसीबतजदा लोगों की आहों से सरकार भस्म न हो जाय, जल कर राख न हो जाय। आने वाला समय कुछ और ही संकेत करता है क्योंकि यह सरकार इधर ऐसे उधर जाने वाले लोगों से बनी है और इधर से उधर, और उधर से इधर आने जाने वालों का यानी दल बदलुओं का तांता बना हुआ है, यह सरकार अधिक दिनों तक टिक नहीं सकती। यह सरकार प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बजट के सम्बन्ध में हमें बोलने का मौका आपने दिया है, उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की जन आबादी आज ९ करोड़ और १० करोड़ के बीच है और हम लोग यहां पर ४२५ मेम्बर्स यहां पर बैठे हुये हैं। जन प्रतिनिधित्व नियमावली के अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या डेढ़ गुना होना चाहिये, जो कि पूरी नहीं हुई है।

दूसरी बात ५४ जिलों का यह प्रदेश है, यहां पर ४५-५० मंत्री बने बैठे हैं, इनसे इस प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का जब तक बटवारा नहीं होगा, जब तक इस प्रदेश का पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी व मध्य इलाके में बंटवारा नहीं होता है, यहां की जनता का कल्याण नहीं हो सकता है। आपको देखना चाहिये कि हमसे छोटे प्रान्त केरल, आन्ध्र, हरियाना और पंजाब प्रदेश है, वहां के लोगों ने अपने-अपने प्रान्त को अलग-अलग राज्य बना लिया है। आज हम वहां पर जो उन्नति और विकास देख रहे हैं उसका मूल कारण है कि वे प्रदेश छोटे-छोटे हैं और उनमें कार्य करने की

लगन है। जिस समय मुख्य मंत्री गोविन्द वल्लभ पन्त यहां थे, उस समय बटवारे की मांग जोर से उठी थी और काफी सदस्यों को इसका समर्थन भी प्राप्त था, आज हमारे जो मुख्य मंत्री हैं वे भी उस समय चाहते थे कि प्रदेश का बंटवारा हो। परन्तु आज उनकी आवाज भी चीफ मिनिस्टर बन कर बैठ गये हैं, इसलिये बन्द हो गई है। प्रदेश का तभी भला हो सकता ह, तभी कल्याण हो सकता है, तभी विकास हो सकता है जब इस प्रदेश का बंटवारा हो और मैं यह कहता हूं कि जब तक यह बंटवारा नहीं होगा तब तक इस प्रदेश का कतई विकास नहीं होगा, चाहे करोड़ों, अरबों और खरबों रुपये क्यों न खर्च किये जायं। चाहें अरबों रुपये का बजट बनाया जाय लेकिन बटवारा हुये कल्याण नहीं है। इस प्रदेश की जनता को सरकार सुविधा नहीं प्रदान कर सकती है, चाहे यह सरकार हो या और कोई दूसरा हो। इसलिये बटवारा से प्रदेश की जनता सुख सुविधा प्राप्त करेगी और पिछड़ा पन दूर होगा? आप इस प्रदेश का बटवारा कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

धीरे-धीरे अपनी बात कहिये जिससे ठीक तरह से सुनायी दे।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज प्रदेश में जितनी पुलिस है, आई० सी० एस०, पी० सी० एस० अफसर हैं वह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आज नक्सलवादी क्यों बढ़ते जा रहे हैं? २२ साल से शासन कर रहे है लेकिन गरीबी नहीं मिटायी। हरिजनों की नौकरियों में जो रिजर्व सीटें हैं वह पूरी नहीं की गयीं। गांव का हरिजन आज पानी के लिये तड़प रहा है। यह इस शासन की देन है। यह जो बजट बना कर रख दिया है इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसमें साफ-साफ नहीं कहा गया है कि किस जिले पर कितना पैसा खर्च होगा, जहां चाहें मंत्री जी खर्च कर सकते हैं। आज बजट का रूप बदलना चाहिये। जिस विभाग का पैसा खर्च नहीं किया जाता है वहां के अफसरों को मुअत्तल कर देना चाहिये। सरजू कैनाल बनने वाली थी। ३५ करोड़ रुपये का प्राविधान था वह ४६ करोड़ तक चला गया। उससे पूर्वी जिलों का भला हो सकता था लेकिन सरजू नदी का पानी शारदा कैनाल में मिला दिया जो पश्चिम की तरफ कर दी गयी, पूर्व वाले ज्यों के त्यों रह गये। पूर्व वालों के लिये कोई योजना पानी की नहीं है। दूसरी तरफ नलकूप विभाग हमारे यहां हैं, गोंडा और बहराइच दो डिवीजन हैं, सैयद अली नकवी एक्जिक्युचिव इंजीनियर, नलकूप विभाग, बहराइच ने सैकड़ों आपरेटरों को निकाल दिया है। यही नहीं बलरामपुर मिल ने कुछ नलकूप लगाये हैं। उसमें सुनने को आया है कि खुल्लमखुल्ला १८ सौ रुपये प्रति नलकूप लिया है। लेकिन कई बार चिट्ठी लिखने के बाद माननीय मंत्री जी, श्री वीरेन्द्र वर्मा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वह जहां-जहां जाते हैं वहां पर दरबारे-आम लगाते हैं। दरबार लगा कर न्याय करेंगे। वहां भी वर्मा जी आज पक्षपात कर रहे हैं। गोंडा और बहराइच में, हमारे यहां कोई सिंचाई का साधन नहीं है। नलकूप ही एक सहारा है। जब वहां नहर नहीं दे रहे हैं, सरजू का पानी नहीं दे रहे है, तो हमारे यहां नलकूप का विस्तार करें जिससे हमारे यहां सिंचाई का साधन हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कहां जाता है कि देश में अन्न की कमी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज देश में अन्न की कमी दूर हो सकती है, अगर माननीय वित्त मंत्री जरा सा देखेंगे, छोटे किसान जो हैं, उनका माननीय गुप्ता जी जब थे तो सवा छः एकड़ तक लगान माफ किया था, यह सरकार पांच बीघे तक का लगान माफ करने जा रही है। लगान माफ करने स समस्या का हल होना न मुमकिन है जब तक सिंचाई की पूरी सुविधा किसानों को न दी जाय? मैं कहता हूं कि न तो ६ १/८ एकड़ का लगान माफ करो, न ५ बीघे का लगान माफ हो। आप पानी, खाद तथा बीज का उत्तम प्रबन्ध करें जिससे काश्तकार अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। अगर आप लगान माफ कर देंगे तो क्या होगा? भूतपूर्व जमींदार लाठी लेकर जबरदस्ती खेतों पर कब्जा कर लेंगे। लिहाजा आज किसान के लिये पानी, बीज तथा खाद का प्रबन्ध कीजिये। आप किसान को १५, २० रुपये किलो बीज दे रहे हैं, आप कम कीमत पर यह बीज दें ताकि वह

[श्री गंगा प्रसाद]

अपने अनाज का उत्पादन कर सकें। आज बेकारी की समस्या बढ़ रही है और सरकार उसके प्रति उदासीन है। पढ़े लिखे नवजवानों में बेकारी आज बढ़ती चली जा रही है। इस बेकारी को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि आज जो ५५ वर्ष की सर्विस की जगह ५८ वर्ष पर रिटायर करते हैं इस ५५ वर्ष सर्विस घटा कर कर ५० कीजिये, ५० साल पर रिटायर कर दीजिये तो यह समस्या कुछ हद तक हल हो सकेगी। देहातों में लघु उद्योग खोलिये जिससे नौजवान को रोजगार मिले। जो लड़के आई० टी० आई० से पढ़ कर निकलते हैं या पाली टेकनिकल स्कूल से निकलते हैं उनको छोटे उद्योग धन्धे खोलने के लिये प्रोत्साहित कीजिये, उनकी धन से सहायता कीजिये ताकि वे अपने बल बूते पर खड़े हो सकें और प्रदेश पर जो वह भार स्वरूप है वह समस्या भी हल हो सके। उन नवयुवकों को भोजन मिल सके ?

प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। जिला परिषदें तो अब खत्म हो गयी हैं। सरकार के पास तो साधन है कि वह समय के अन्दर उनको वेतन दे दे। साथ ही उनके वेतन में वृद्धि भी होना चाहिये क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। अध्यापन कार्य करने पर भी सुख व शान्ति के साथ आज उनको खाना नहीं मिल पाता है। इसके लिये एक कमेटी बिठाइये जो प्रदेश के अध्यापकों की समस्या को हल करने की रिपोर्ट सरकार को दे ?

हरिजन उद्धार तथा छुआछूत मिटाने की बात कही जाती है। हरिजन विभाग सरकार का है। उसके उप डिप्टी डायरेक्टर हरिजनों का छुआ पानी नहीं पीते। अपने ही आदमी को भेज कर पानी मंगाते हैं या अन्य सामान मंगाते हैं। क्या छुआछूत इस तरह से समाप्त होगा। पूज्य गांधी जी के जन्म दिवस पर ऐसे-ऐसे उप डायरेक्टर इस विभाग में हैं। सदन को इस पर गौर करना चाहिये कि ऐसे व्यक्तियों को विभाग में क्यों रखा गया है ?

गोंडा में नबाव गंज तथा वजीरगंज क्षेत्र में फाइलेरिया की बीमारी बहुत जोर पर है। कहीं गला बढ़ रहा है तो कहीं फ़ोता बढ़ रहा है पांव मोटा हो रहा है। रोकथाम के लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा वहां पर फाइलेरिया की बीमारी बहुत जोर पकड़ रही है। इसकी रोकथाम सरकार को करनी चाहिये जिससे वहां की जनता सुखी रह सके।

मान्यवर, मैं पुलिस के भ्रष्टाचार की कहानी के बारे में सदन को कुछ बतलाना चाहता हूं। वहां पर मेरे क्षेत्र में रोज हजारों की संख्या में लोगों की दरख्वास्तें पहुंचती हैं। पुलिस वाले वहां पर जांच करने जाते हैं। पहले तो जांच हफ्तों तक नहीं होती हैं क्योंकि पुलिस की संख्या अभी प्रदेश में बहुत कम है। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि यदि प्रदेश से भ्रष्टाचार को दूर करना है तो आप पुलिस की संख्या बढ़ाइये। जब तक पुलिस की संख्या नहीं बढ़ाई जायेगी और इसकी कोशिश नहीं की जायेगी तब तक भ्रष्टाचार की समस्या दूर नहीं हो सकती। आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ नक्सलवादियों के कारनामे हो रहे हैं जैसा कि आप पश्चिमी बंगाल की हालत देख रहे हैं वैसा ही इस प्रदेश में भी हो जायेगा यदि आपने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये पुलिस की संख्या नहीं बढ़ाई। पहाड़ी जिलों की हालत भी गिरी हुई है। इसलिये हमें अभी से सजग होना चाहिये और शासन को मजबूत होना चाहिये। मान्यवर, प्रदेश से भ्रष्टाचार तभी दूर हो सकता है जब आप गरीबों को खाना, कपड़ा, रहने का मकान, उनके बच्चों के लिये पढ़ने लिखने का प्रबन्ध तथा साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य के लिये यथोचित प्रबन्ध करेंगे। अन्त में एक बार मैं फिर यह कहूंगा कि इस प्रदेश का बंटवारा होना चाहिये जिससे जनता को हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त हो।

श्री राम पति (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत १९७०–७१ के सामान्य बजट पर चर्चा के सम्बन्ध में उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक बजट की परिभाषा है वह यह है कि बजट सरकारी आय-व्ययक का अनुमानित लेखा है। इस सम्बन्ध में यह बजट साढ़े

चार अरब रुपये के लगभग का दिखलाया गया है। इसमें २३ करोड़ कुछ लाख रुपये का घाटा दिखलाया गया है और इसके लिये स्वच्छ, कुशल और सुदृढ़ प्रशासन कहा गया है। इस सम्बन्ध में स्वच्छ प्रशासन का जहां तक सवाल है—इस प्रशासन में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जिसकी गणना नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार सभी जगह फैल गया है। कचेहरी में, देहातों में, कर्मचारियों में तथा हर आदमी में इस प्रकार की भावना आ गई है। प्रान्त के प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी भावना आ गई है कि जो इससे बचना और दूर रहना चाहता है उसके अन्दर भी यह भावना जागृत हो गई है कि इससे कैसे बचा जाय। जो बचना चाहता है उसे मजबूरी से भ्रष्टाचार में लाया जाता है। इस बजट में स्वच्छता का शब्द रखा गया है वह बिलकुल बेकार और निरर्थक है इसलिये स्वच्छ प्रशासन चल रहा है, ऐसा कहने का इस सरकार को बिलकुल हक नहीं है। मान्यवर, २३ करोड़ कुछ लाख रुपये के घाटे के बजट को कुशलता का प्रमाण नहीं कहा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट सबको बनाना पड़ता है। बजट एक परिवार को भी बनाना पड़ता है और उसी के अनुसार उस परिवार को चलना होता है, उसी के अनुसार वह परिवार सीमित रहता है। मान लीजिये किसी को कलकत्ते जाना पड़ता है उसे पहले बजट बनाना पड़ता है। यदि उसका बजट कम आता है तो उसे पूरा करने के लिये किसी की जेब काटनी पड़ती है। उसी प्रकार यह घाटे का बजट पेश किया गया है। यह सरकार की डकैती का एक सबूत है। ऐसी स्थिति में इस बजट को सुदृढ़ बजट कैसे कहा जा सकता है।

मान्यवर, मैं शिक्षा की तरफ आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज कितनी बिडम्बनायें हो रही हैं विद्यार्थियों की परीक्षा के बारे में, स्कूलों के बारे में, अध्यापकों के बारे में। वे सब अलग-अलग चिल्ला रहे हैं। पाठ्यक्रम इतना वृहत् बना दिया गया है कि लड़कों के लिये मुश्किल हो जाता है कि कौन सा विषय उन्हें लेना है। क्या-क्या विषय उसे पढ़ना है इसे समझने में वह असमर्थ है। अध्यापक भी अपनी योग्यता का सही परिचय नहीं दे पाते हैं इसलिये यह तमाम बिडम्बनायें हो रही हैं। जैसे कि नार्मल पास करने के बाद जब लड़के ट्रेनिंग करने के लिये जाते थे तो निरीक्षक लोग कह दिया करते थे कि आपका पाठ्यक्रम ठीक नहीं है इसलिये लड़के बदमाशी कर रहे हैं। उसी तरह से यदि इस असेम्बली के, अधिकारियों को अध्यापक मान लें और जनता को लड़के मान लें तो आज जो जनता जगह-जहग बदमाशी कर रही है, उसका मतलब यह हुआ कि उसमें जनता का कोई दोष नहीं है बल्कि उसके लिये हम विधायक गण जो यहां अध्यापक की हैसियत से हैं, अधिकारी हैं, उनका सारा पाठ्यक्रम ही खराब है जिससे उनको बदमाशी करने का साहस है और उसका श्रेय हमी लोगों को होना चाहिये।

जहां तक निर्माण का सम्बन्ध है, इसमें कहा गया है कि आवर्तन बजट का सर्जन किया गया है ताकि जो धनराशि मंजूर हो वह लैप्स न हो। लेकिन मुझे मालूम है कि साल का बजट जो बनता है, विकास क्षेत्र में या कोर्ट कचेहारियों में जो खर्च होता है, अधिकारी वर्ग साल भर तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और जब मार्च का महीना आता है तो अपने बजट की खपत के लिये अनाप शनाप काम कर बैठते हैं और इस तरह से सरकार के सामने एक कार्यवाही दिखला देते हैं। जो बहुत गया गुजरा काम होता है उसको कार्य रूप में दिखला देते हैं। सभी इस बात को जानते हैं कि जो काम एक साल में हो जाना चाहिये उसको लेकर दो दो तीन तीन साल बैठे रहते हैं। और दो तीन साल का काम अनापशनाप तरीके से एक बार में कर डालते हैं। ऐसी सूरत में साल का जो बजट हो उससे अधिक खर्च न हो इसके लिये भी नियमों में सुधार की बात होनी चाहिये। अगर त्रैमासिक, छः मासिक, नौ मासिक या साल भर पर ही टर्न-बाई-टर्न काम पूरा होता रहे तो उससे काम भी अच्छा होगा और दाम के लिहाज से भी अच्छा रहेगा।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, बजट के विश्लेषण में यह दिखलाया गया है कि उत्पादन बढ़ा है लेकिन मेरी समझ में आता है कि उत्पादन बढ़ा नहीं है बल्कि उत्पादन की कीमत बढ़ी है जिसे रुपये की तादाद में दिखलाया गया है। इसका अन्दाजा इसी बात से लगता है कि देहात के रहने

[श्री राम पति]

वालों को अधिकारी कहते हैं कि जो अच्छे पैमाने पर पैदा करेगा उसे इनाम दिया जायेगा। इस पर लोग यह करते हैं कि अपने छोटे खेत में उसके पैदावार की आठगुनी, दसगुनी लागत लगा कर बहुत अच्छी पैदावार करते हैं। उस खेत का वह हिस्सा जो उपजाऊ किस्म का होता है एक डिसमिल या दो डिसमिल, उसकी पैदावार को पूरे क्षेत्रफल के आंकड़े में लगा देते हैं कि एक एकड़ में इतनी उपज हुई और उसको कार्यकर्त्ता या अधिकारी पैमाने के तौर पर सरकार के सामने रख देते हैं लेकिन वास्तव में वह गलत होता है। ऐसी स्थिति में सरकार को भुलावें में नहीं रहना चाहिये कि पैदावार बढ़ी है। हो सकता है कि नाम मात्र को किसी हिस्से में पैदावार बढ़ी हो तो किसी हिस्से में दैवी प्रकोप हो गया हो जिस पर काबू लाने में सरकार कोशिश नहीं कर रही है हालांकि वह काबू में लाने की चीज है।

सिंचाई का जहां तक सम्बन्ध है, अब जो सरकारी ट्यूबवेल लगाये गये हैं, ऐसा होता है कि बहुत दूर की एरिया में एक ट्यूबवेल लगाया गया है जिससे किसान की रही सही शान्ति भी भंग हो जाती है कि उसको पानी मिला और उसको पानी नहीं मिला। इस तरह से कोई घूस देता है, कोई नही देता है और तब पानी चलता है। अगर पानी चला गया तो उसके बदले शान्ति की जगह अशांति पैदा हो जाती है और वहीं लाठी लठौवल और तमाम किस्म की अशान्ति पैदा होती है। यहां तक भी देखा गया है कि कहीं-कहीं पर रात में मोटर में तेजाब डाल देते हैं जिससे आग लग जाती है और वह जल जाता है, नष्ट हो जाता है। वे कहते हैं कि मैं तो जा ही रहा हूं लेकिन तुम्हें भी लिये चला जाऊंगा। तो यह इतना न्यूनतम प्रबन्ध है कि जिससे एक दूसरे में बजाय सद्भावना के दुर्भावना पैदा हो रही है। जैसे मेरे क्षेत्र के एक हिस्से में सरयू नदी के किनारे पड़ता है वह बैलाघाट का इलाका है सरयू और कुआनो के बीच में मेरा क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र के अन्दर जब से स्वतंत्रता हुई तब से वहां कोई काम नहीं हुआ। वहां के लोगों को स्वतंत्रता का कोई आभास नहीं है इसलिये कि वहां पर कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। इस संबंध में मैंने मंत्री लोगों से भी लिखापढ़ी की, बजट की छानबीन कर डाली लेकिन कोई भी निर्माण का कार्य हमारे क्षेत्र में नहीं किया गया। आज तो मैं सोशलिस्ट होकर आया हूं, लेकिन मेरे पहले अनवरत कांग्रेस सरकार रही। उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये पूर्वी जिलों में भी वह अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिये उस तरफ ध्यान अधिक देने की मैं सिफारिश कर रहा हूं।

जहां तक स्वच्छ प्रशासन की बात है, कचेहरियों में अपने मुकदमों को बदर्जा मजबूरी से लोग जाते हैं। एक मामूली सी बात होती है उसकी भी पचासों तारीखें पड़ती हैं और उन पचासों तारीखों में आने जाने में और वकील का मेहनताना देने में ही उसका कचूमर निकल जाता है। तो यह कचहरियों की हालत है। इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले।

पुलिस का क्या कहना है। पुलिस तो अंग्रेजों का शासन करने की डंडेमार मशीनरी थी जिसको इस सरकार ने भी अपना रखा है। उनमें न कोई योग्यता है, न कोई सूझबूझ है। एक काम उनका है—डंडामार। इसकी पूरी तरह से ओवरहालिंग करने की जरूरत है। यह तो शासन करने की एक मूर्ख संस्था अंग्रेजों की थी। आवश्यकता तो इस बात की है कि जो चोर बदमाश हैं उनका सुधार किया जाय। ऐसी सीख उनको न दी जाय कि एक मर्तबा चोरी किया तो फिर दोबारा और बढ़ कर चोरी करें। पुलिस शासन का स्तर पुराना है, उसके अन्दर कोई नवीनता, कोई सुव्यवस्था और सुलझी हुई स्थिति आनी चाहिये थी। इसको बिल्कुल बदल कर इसे देश, काल और स्थिति के आधार पर बनाना चाहिये। आज जो स्कूलों में अव्यवस्थायें हो रही हैं, मास्टरों और लड़कों में, तो शुरू में तो उनमें वैमनयता थोड़ी ही होती है लेकिन जब पुलिस पहुंचती है तो वह आयं, बायं, सायं करके उस छोटे से वितंडावाद को इतना वृहत बना देती है कि सरकार भी परेशान हो जाया करती है। ऐसी हालत में सतर्कतापूर्वक एक सीमित दायरे में पुलिस से काम लेना चाहिये।

मैं इस सदन में इसी बार आया हूं, लेकिन कोई ऐसी बैठक नहीं हुई जिसमें जो महानुभाव बोलने के लिये खड़े हुए हों उन्होंने हरिजनों के प्रति उदारता न प्रकट की हो । लेकिन यह शब्द जाल कब तक चलेगा मेरी समझ में नहीं आ रहा है । इन दीन और निर्दोष व्यक्तियों का और इस वर्ग का उद्धार कब होगा यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । कहा जाता है कि हरिजनों के आवास निवास के लिए उनको भूमि दी जायगी, लेकिन कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें ५ प्रतिशत हरिजनों के घर मजरूआ जमीन में दर्ज न हों । अब रिजर्वेशन वाले मामले में कहा गया कि १८ प्रतिशत के बजाय २५ प्रतिशत, ४७ प्रतिशत, ४५ प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जायगा । मैं दावे के साथ कहता हुं कि अगर यह निर्णय सरकार ले लें तो जितने पढ़े लिखे हरिजन बेकार हैं उन सब की खपत हो जायगी, लेकिन सरकार अपनी आंख उससे बचाती है, कोई सक्रिय और हार्दिक काम करने का विचार नहीं है । मैं समझता हूं कि हरिजनों की उपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में की जा रही है, चाहे वह कांग्रेसी शासन हो, चाहे मिली जुली सरकार रही हो और चाहे आज की हो । वह क्षेत्र उपेक्षित रहा है । यही कारण है कि वह अवहेलित और दरिद्र रहा है यदि इस क्षेत्र और जाति के साथ आप उदारता बरतेंगे और वह बरतनी चाहिए तो यह वर्ग विशेष पस्त होने से बच सकता है । मैं आग्रहपूर्वक यह मांग करता हूं कि इस वर्ग विशेष के साथ उपकार किया जाय और निर्माण आदि के कार्य अवश्य किये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

राजा रणंजय सिंह (जिला सुलतानपुर)—

मान्यवर, इस आय-व्ययक के सामान्य चर्चा के अवसर पर आपने तो मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं । इस आय-व्ययक का निर्माण बहुत सोच समझ कर किया गया है । यदि जनता के हित के लिये निर्माण कार्य करने के संबंध में कर लगाना भी पड़े तो लगाना चाहिये । जो कार्य किये जाने आवश्यक हैं उनके लिये यदि धन की कमी रह जाती है तो उसके लिये बारम्बार प्रयास किये जाते हैं । लेकिन यदि बार-बार धन की कमी की बात कही जाय तो मूल कारण जो उनका है वह कुछ ढीला सा पड़ जाता है । इसलिये इस सरकार की सराहना करूंगा कि मद्यनिषेध, आबकारी के विषय में एक करोड़ सत्तर लाख का घाटा होते हुये भी जो कदम सरकार ने उठाया है उससे समस्त प्रदेश में नशाओं को दूर करने का आभास भी मिलता है । इसके लिये पहली सरकार ने ११ जिलों में नशाबन्दी की । उसके बाद आशा थी कि और जिलों में भी नशाबन्दी होगी, लेकिन वह दूर हो गयी और कहा गया कि प्रान्त भर में मंगलवार को एक दम से दूकानें बन्द रहा करेंगी । होते-होते यह भी आशा बंधी कि धीरे-धीरे यह कदम उठाया जायगा और १७ मार्च, १९७० को अकस्मात महामहिम राज्यपाल ने स्पष्ट घोषणा की कि अब प्रदेश में एक दिन नहीं अपितु दो दिन शराब की दूकानें बन्द रहा करेंगी । लेकिन अब तक ऐसे आदेश नहीं पहुंचे है कि शराब की दुकाने मंगलवार और शुक्रवार को बन्द रहेंगी । अब तक मंगलवार के लिये ही आदेश हैं । अपने यहां हम देखते हैं कि मंगलवार को भी दुकानें खुली रहती हैं और शराब के पीने वाले अपने आपको ही नहीं बल्कि अपने साथियों को भी बुला कर वहां लाते हैं और शराब पीते है उन बड़ी बड़ी दुकानों पर जो मेन रोड पर हैं । मेरा निवेदन हैं कि कम से कम अगर इन दुकानों को बन्द न करें तो उनको वहां से हटा अवश्य दें ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया था कि अबकी बार ये दुकानें वहां से हटा दी जायेंगी लेकिन अभी तक वे वहां से हटी नहीं हैं । सुना है कि ठेका भी बढ़ गया है । मैं समझता हूं कि इसका मुख्य कारण यह है कि सरकारी अधिकारी इनकी ओर ध्यान नहीं देते । इसलिये मैं निवेदन करूंगा सरकार से श्रीमन् आपके माध्यम द्वारा कि इसके लिये बहुत ही कड़े आदेश होने चाहिये । सरकारी कर्मचारियों को काम करना पड़ता है, उनके लिये सख्त आदेश होने चाहिये, उनके लिये पाबन्दी होनी चाहिये और अगर वे नहीं करते हैं तो उनको निलम्बित किया जाना चाहिये तब जाकर सुधार होगा । हम लोगों से शिकायतें सुनते हैं, वे कहते हैं कि इसकी ओर ध्यान नहीं

[राजा रणंजय सिंह]

देते। तो मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि इसके लिये तत्काल आदेश दिये जायें कि नशा-बन्दी पूरे प्रदेश में लागू की जाय। मैं समझता हूं कि यह बहुत जल्दी से जल्दी होना चाहिये अगर हमें सुधार लाना है। यह महात्मा गांधी की शताब्दी का वर्ष है, इसमें अन्य क्षेत्रों में काम हुआ है लेकिन इस दिशा में बहुत कम हुआ है। तो ये बातें हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सुधार किया जाय, आमूल परिवर्तन किया जाय और उसकी प्रणाली सुधारी जाय। शिक्षकों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। तो इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। व्यायामशालाओं के बारे में क्या कहूं वह भी एक बहुत ही आवश्यक कार्य है। मैं समझता हूं कि जितना पढ़ना लिखना आवश्यक है उतना ही खेलना कूदना आवश्यक है। लोग समय-समय पर खेले कूदें और पढ़े लिखें। जो सरकार का ध्यान है व्यायामशालाओं की ओर उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि इस ओर और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां देशी व्यायाम है। उन्हें बढ़ाना आवश्यक है। कुश्ती हमारे यहां की प्राचीनतम विद्या है और हमारे देश के पहलवान संसार में सम्मान पाते रहे हैं। यहां बहुत बड़ा इतिहास पहलवानों का लिखा जा सकता है और वर्णन किया जा सकता है। हमारे यहां शुद्ध भोजन और शुद्ध घी क्या आज कल देखने में आता है कि नकली घी जिसका मैं विरोधी हूं, वह भी नहीं मिलता है। व्यायाम करने के लिये दूध और घी की जरूरत है। मैं समझता हूं उस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। इससे लोग सतो-गुणी होंगे उनकी सन्तान सतोगुणी होंगी और वह बिद्या और शक्ति के क्षेत्र में भी उन्नति करेंगे। हमारे यहां पहलवानों के लिये कुश्ती को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। हमारे यहां बीच में लोग देशी खेलकूद और देशी संगीत पर हंस रहे थे लेकिन संतोष है कि इस ओर अब ध्यान जा रहा है। अभी मैंने देखा कि वाराणसी का एक पहलवान स्वर्णपदक ले आया। हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो स्वर्णपदक ले आये हैं और भीम गदा भी प्राप्त की है। व्यायाम के संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि देशी व्यायाम को जरूर प्रोत्साहन दिया जाय। अन्य खेलों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह भी देखने की जरूरत है कि जो विदेशी खेल हैं उनको भी प्रोत्साहन मिले ताकि हमारे यहां के लोगों का स्थान फारेन खेल में भी अच्छा रहे। यह बात सही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका ध्यान विदेशी खेलों की ओर ज्यादा है और देशी खेलों की ओर कम है। तो मेरी प्रार्थना है कि देशी खेलों कुश्ती, कबड्डी आदि सभी प्रकार के खेलों की ओर ध्यान दिया जाय।

इसी प्रकार मैं श्रीमान् जी से निवेदन करूंगा कि सिंचाई की बहुत व्यापक समस्या है। लोगों को सिंचाई के लिये समुचित प्रबन्ध होना चाहिये ताकि लोगों को समय से और सस्ता पानी मिल सके। मैं समझता हूं कि जैसा माननीय गंगा प्रसाद जी ने कहा कि केवल लगान माफ करने से उतना लाभ नहीं हो सकता है जितना कि किसानों को सिंचाई तथा अन्य चीजों की सुविधा से लाभ होगा। अगर किसानों की भलाई करनी है तो सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाय।

श्रीमन्, इसी प्रकार बहुत सी समस्यायें हैं। मैंने १९५४ में ही एक प्रस्ताव रखा था निःशुल्क शिक्षा के लिये। वह प्रस्ताव मेरा पारित हुआ था कि आठवीं कक्षा तक के लिये शिक्षा निःशुल्क होगी परन्तु इतने साल हो गये हैं उस दिशा में प्रयत्न नहीं किया गया है। इस बात का मुझको आश्चर्य भी है। जब हमारा संविधान बना उसमें बहुत सी चीजें सोच समझ कर हमारे नेताओं ने, विद्वानों ने रखी हैं और उसमें यह भी है कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। यदि हमारे संविधान में ये धारायें हैं तो इस दिशा में हमारी केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार दोनों को ही प्रयत्न करना चाहिये और शिक्षा को निःशुल्क करना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर हम उस पर ध्यान दें तो शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो सकती है जो हमको करना भी चाहिये। मैं इस बात की आशा करता हुआ कि हमारी सरकार दृढ़ता के साथ काम करेगी और नीतियों पर भी दृढ़ रहेगी। प्रदेश की बहुत सी समस्यायें हैं, पालिसीज हैं और उन पर सच्चाई के साथ काम

हो रहा है परन्तु साथ ही साथ गड़बड़ियां भी हैं उनको सुधारने की तरफ भी हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैं बड़े विश्वास के साथ, जो हमारा बजट रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझको बोलने का अवसर दिया. . . .

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सामान्य बजट पर चौथे दिन की चर्चा चल रही है। आपने अन्य दलों के कई-कई व्यक्तियों को बोलने का अवसर दिया लेकिन जो सदस्य अकेले हैं, अथवा जिनकी संख्या ४-५ है उनको यह अवसर नहीं मिला है। आज अन्तिम दिन है इस कारण से हम लोगों को भी यह अवसर मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय मैंने श्री ओझा को बोलने का अवसर दिया है। आप इनके बाद यदि चाहें तो समय ले लें।

श्री गोपाल दत्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से चुन कर आ रहा हूं जो नेपाल और तिब्बत से मिलता है। हमारा क्षेत्र प्रदेश का बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और उसकी अपनी कितनी ही समस्यायें हैं। हमारे क्षेत्र के अत्यधिक पिछड़े होने के कारण वहां की जनता बहुत ही असन्तुष्ट है और उसके मन में निराशा की भावना व्याप्त हो गई है। हमारे वित्त मंत्री महोदय नैनीताल जिले के हैं और उन्होंने जो बजट बनाया है उसमें कुछ बातें तो प्रगतिशील हैं परन्तु बहुत-सी बातें ऐसी हैं जो छूट गयीं हैं जैसे राज्य कर्मचारियों, अध्यापकों और गरीबों की समस्या जिन चीजों से कुछ सुधार हो सकता है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इससे प्रकट होता है कि वह निराशाजनक है। इन लोगों के विषय में भी बजट में प्राविधान होना चाहिये। मैं कह रहा हूं कि हमारे उत्तराखण्ड में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान बनाने के लिये कोई भी जमीन नहीं है। यहां पर अधिकांश हरिजन, भोटिया व अन्य जाति के लोग हैं और जिनकी बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। मैं यह भी आशा करता हूं कि हमारे यहां उत्तराखंड में, पहाड़ों पर जो भूमि है और तराई-भावर में जो भूमि है उसमें पहाड़ के रहने वालों के लिये कम से कम ५ परसेंट भूमि अवश्य दी जाय जो हमेशा से पिछड़े हुये हैं, गरीब हैं और खेतिहर भूमिहीन मजदूर हैं, अन्यथा जो लोग भूमिहीन तिब्बत से मिले हुए हैं, इस देश के लिये संकट पैदा कर सकते हैं, नक्सलबाड़ी की भावना उभड़ सकती है, उनको रहने की जमीन अगर नहीं देंगे तराई भावर में तो वहां के लोग बहुत निराश होंगे। सनवाल साहब ने एक रिपोर्ट तराई-भावर लैंड कमेटी की दी उसमें कहा गया है कि २० हजार आदमी करीब ५० हजार एकड़ से ज्यादा जमीन पर जबरदस्ती काबिज हैं। अभी भी करीब तीन–चार लाख एकड़ जमीन खाली है। वहां क्यों नहीं लोगों को बसाया जाता? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं, पिछले वर्ष कहा था कि युवकों में डिसीप्लिन होना चाहिये, उन्हें रचनात्मक कार्य करना चाहिये। युवक कल्याणकारी परिषद् बनाने का आपने गत वर्ष एनाउन्स किया था। उसको कार्यान्वित करते तो अच्छा होता। मुझे खेद है कि युवक हुते हुए भी आपने उस प्रगतिशील कार्यक्रम को छोड़ दिया।

मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पौड़ी और टेहरी में मद्य निषेध कर दिया। लेकिन अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में केवल दो–तीन शराब की दुकानें बन्द कीं। श्रीमन्, उत्तराखंड के लोग मृत्यु संजीवनी सुधा या चन्द्रहास का नाम नहीं जानते थे। लेकिन अब वहां तमाम दुकानें इसकी खुल गयीं हैं और एक–एक कस्बे में बीस–बीस दुकानें हो गयीं, इससे लाखों

[श्री गोपाल दत्त]

रुपया लोग कमा रहे हैं। उस मृत्यु संजीवनी सुधा को पीकर वहां के जवान और भूतपूर्व सैनिक अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। इसके लिये आप कोई कानून बनायें अन्यथा जो आपने मद्य निषेध कर रखा है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा।

श्रीमन्, पिथौरागढ़ में अधिकतर सैनिक और भूतपूर्व सैनिक हैं। करीब साठ हजार उनकी संख्या होगी। गत वर्ष प्रेसीडेन्ट रूल में कहा गया था कि एक्स सोल्जर्स के बच्चों के लिए हाई स्कूल तक फीस माफ की जायगी। हमको इस बात की बड़ी आशा थी। लेकिन इस बजट में न तो तराई में कोई भूमि देने की व्यवस्था है और न उनके बच्चों की फीस माफी की ही कोई योजना है। श्रीमन्, मुदालियर कमीशन ने एक योजना बनाई थी कि ५० लाख की आबादी पर एक मेडिकल कालेज होना चाहिये। उस हिसाब से हमारे यहां १७ मेडिकल कालेजों की आवश्यकता है जबकि यहां केवल ७–८ ही हैं। ऐसी कमेटी या कमीशन से क्या फायदा जिसकी सिफारिशें नहीं मानी जातीं? कम से कम एक्स सोल्जर्स के बच्चो के लिये कोई योजना अवश्य होनी चाहिये। उनको आप जमीन नहीं देंगे, फीस नहीं माफ होगी, तो क्या होगा? क्या कुछ सड़कों और बिल्डिगों से आप उनको खुश करना चाहते हैं? आज हमारे यहां इतने सी० आई० डी० के और दूसरे कर्मचारी हैं। मैं समझता हूं करीब तीन करोड़ उनकी तनख्वाह में जाता है। वहां के वेलफेयर के लिये एवं बच्चों के लिये आपने क्या किया? पहिले केन्द्रीय सरकार उसके लिए पैसा देती थी। पढ़ाई के लिये, सड़कों के लिए, पुलों के लिए, आपने कोई उचित व्यवस्था नहीं की है। सन्तुलित विकास का इसमें कोई प्राविधान नहीं है। उत्तराखंड और विशेषकर पिथौरागढ़ के लोग अभी भी जहां ५० मील से कचहरी में काम करने जाते हैं, जहां फर्टीलाइजर की बात कई लोग भी नहीं जानते, वहां आपने क्या किया? मैं आशा करता हूं वित्त मंत्री जी उत्तराखंड के लिये कोई विशेष योजना बनायेंगे। वहां सड़कें बनायेंगे, डिग्री कालेज बनायेंगे।

श्रीमन्, उत्तराखंड यूनीवर्सिटी की बात उठी। तो गत वर्ष मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम 'उत्तराखंड यूनीवर्सिटी' के पक्ष में नहीं हैं। तो मैं कैसे आशा कर सकता हूं कि नैनीताल में कुमायूं–उत्तराखंड यूनीवर्सिटी वह बनायेंगे। क्या विशेषज्ञ समिति में भेज कर इस मसले को टालना चाहते हैं? अगर आप उत्तराखंड विश्वविद्यालय नहीं खोलना चाहते हैं तो कम से कम २० डिग्री कालेज कुमायूं और उत्तराखंड में खोले जायं जैसा कि माननीय भक्त दर्शन सिंह जी की राय है ताकि बच्चों को राहत मिले। मैं कहना चाहता हूं कि आपके बजट में कोई समाजवादी चीज नहीं है। जसा कि हम सोचते थे कम से कम माननीय वित्त मंत्री जी संविधान के अनुसार छोटे बच्चों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे, प्राइमरी शिक्षा में कम्पल-सरी एजूकेशन एवं सार्वभौम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे लेकिन वह बात इस में नहीं है। दूसरे देशों में भी प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क, सार्वभौम दी जाती है लेकिन हमारे देश में इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है। रूस में भी आप देखेंगे कि वहां करीब ७०० यूनिवर्सिटी हैं, हमारे यहां तो बहुत कम हैं लेकिन उसका प्रयास होना चाहिये। ईराक-ईरान में भी निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा दी जाती है। तो इस तरह से बच्चों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। मेरा निवेदन है कि इस बात पर आप सोचने की कोशिश ऐसी करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन में बारबार चर्चा होती है इस सरकार ने राज्य कर्म-चारियों के लिये कुछ नहीं किया है। माननीय वित्त मंत्री जी तथा मुख्य मंत्री जी ने राज्य कर्मचारियों के लिये बहुत गलत रुख अपनाया हुआ है। उनके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। उनकी केवल चार मांगें हैं। दंडित कर्मचारियों को वापस लेकर बहाल किया जाय। रोडवेज कर्मचारियों के लिये नियम बनाये जायं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये २० फीसदी तनख्वाह बढ़ाई जाय, केन्द्र में और दूसरे राज्यों में जो महंगाई-भत्ता मिलता है वह भत्ता यहां पर बढ़ाया जाय। उनकी ये चार मांगे हैं। सरकार का कोई भी हर्ज नहीं है।

वे आपका शासन चलाते हैं मगर सरकार उनके लिये कुछ भी सोच नहीं रही है। इसी तरह से मुझे दुख है कि उत्तराखंड जिला सन् ६० में बनाया गया था तब से वह जिले कन्फर्म नहीं किये गये हैं। वहां के सरकारी कर्मचारी भी कन्फर्म नहीं किये गये हैं। उनको काम करने में उत्साह नहीं होता है। उनकी एफिशियेन्सी भी गिर चुकी है तो यह सरकार उनके विषय में कब सोचेगी ? उत्तराखंड के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको स्थायी किया जाय। सरकार उनके विषय में सोचे और उन लोगों को राहत दे।

सन् ६२ स ६४ तक प्राक्कलन समिति के २५ सदस्य हमारे उत्तराखंड जिले में गये थे और सरकार का उस विषय में बहुत रुपया खर्च हुआ था। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी कि उत्तराखंड के हर एक जिले में बिजली की योजना बनाई जायगी और उस सारे एरिया को जगमगाया जायगा। १० वर्ष उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली के जिलों को बने हुये हो गया लेकिन वहां के लिये जो समस्या है उनका समाधान नहीं किया गया है। उस जिले की सीमा नेपाल से मिली हुई है। वहां पर उद्योग बढ़ाने के लिये वादा किया गया था कि वहां के लोगों को खुशहाल बनाया जायगा लेकिन अभी तक पिथौरागढ़ में बिजली की कोई दूसरी योजना नहीं बनी है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी के चेयरमैन से बात की थी तो उन्होंने मुझ से कहा था और वादा किया था कि मार्च, १९७० के पहले तक आपकी सभी योजना पूरी हो जायगी लेकिन आज तक उसका कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। उत्तराखंड के प्रतिनिधि से इस प्रकार की बात कही जाय और उसको पूरा नहीं किया जाय तो फिर वहां की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। जैसा कि डूंगरसिंह जी ने एक बार कहा था कि पर्वतीय राज्य की मांग आ रही है तो इस पर भी आपको सोचना है। मैं नहीं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े किये जायं परन्तु जो मनोवृत्ति अब उभरी है उस विषय में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि समस्याओं का समाधान बिना स्थानीय जानकारी के कैसे होगा। लखनऊ में बैठ कर आप बड़ी-बड़ी योजनायें बनाते हैं तो वहां के लिये भी इस तरह की योजना बना दी जाती है जिनसे कोई लाभ नहीं होता है।

बजट में सांख्यकी विभाग पिथौरागढ़ के लिये साइकिल देने की बात है तो वहां साइकिल का कैसे प्रयोग होगा ? वहां लोग पूछते हैं कि वहां के विकास के लिये क्या किया जा रहा है ? इस विषय में सरकार को सजग होना है। यह जो कहा जाता है कि पहाड़ों में नक्सलवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है और यह प्रवृत्ति तराई-भावर में भी बहुत बढ़ रही है और यह खतरा हमेशा वहां पर बना रहता है। धारचूला के कुछ नागरिक दोनों जगह वोट डालते हैं। क्योंकि बीच में काली नदी है तो प्रश्न यह है कि सुरक्षा कैसे हो सकती है। सुरक्षा के बारे में आप सोचें कि किस तरह से इस हालत में सुरक्षा हो सकती है ? एक देश के नागरिक २ देशों में कैसे वोट दे सकते हैं और २ जगह के नागरिक कैसे हो सकते हैं ? इधर भी वोट दें और उधर भी वोट दें और दोनों तरफ चुनाव लड़ें, यह क्या सुरक्षा के लिये, लड़ाई आदि में खतरे की बात नहीं है ? धारचूला और नेपाल में दोनों जगह वोट दें इस को कहां तक उचित कहा जा सकता है।

इस के अतिरिक्त हमारे यहां वन बहुत हैं, पहाड़ में ४८ प्रतिशत वन हैं और मैदान में केवल ५ प्रतिशत ही हैं। वहां पर फारेस्ट पंचायतें बनाई गई हैं लेकिन उन का कोई वास्तविक उपयोग नहीं है, तमाम जंगल बरबाद हो रहे हैं। सार्वजनिक हित में कोई काम उन का नहीं हो रहा है और कोई अच्छा प्रभाव भी उन का नहीं हो रहा है जिससे जंगलों को हानि हो रही है। निश्चय ही अगर वहां के जंगल अच्छे होंगे तो वहां पहाड़ों में खुशहाली होगी और उससे वहां के लोगों की दशा सुधरेगी।

एक बात की तरफ मैं और आपका ध्यान दिलाऊंगा कि उत्तराखंड में जिला परिषदों के अध्यापकों तथा दूसरे अध्यापकों के वेतन-क्रम में एकरूपता और समानता होनी चाहिये, एक जगह वेतन कम मिले और दूसरी जगह उसी काम को करने वाले अध्यापक को वेतन अधिक

[श्री गोपाल दत्त]

मिले यह बहुत गलत चीज होगी। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को १०० रुपए मिले या ९० रुपए मिलें इस से समाजवादकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो कुठारी आयोग की सिफारिश है उस को माना जाय और इन अध्यापकों के वेतन क्रम के सम्बन्ध में उसे लागू की जाय। ऐसा हो तभी हम समझ सकते हैं कि आप इस प्रदेश में समाजवाद ला रहे हैं।

अन्त में मैं यह भी कहूंगा कि माननीय चौधरी चरणसिंह जी ने तो एक तरह से जो हमारे यहां पंचायत राज की व्यवस्था थी उस को भी समाप्त कर दिया है। जिला परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सब को खत्म कर दिया। इस के अतिरिक्त जो आर० टी० ओ० की कमेटी में जो मेम्बर रहते थे उन को भी आप ने खत्म कर दिया। मैं नहीं समझता कि आप जन प्रतिनिधियों की क्या इज्जत करना चाहते हैं, आप उन को सब जगह से हटाकर उनमें अफसरों को रखना चाहते हैं और उन्हीं पर आप विश्वास करते हैं और आप का जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं रह गया है। मैं चाहता हूं कि इस कमेटी में माननीय सदस्यों को यथावत् रखा जाय।

इसके अतिरिक्त मैं कहूंगा कि तबादलों का बड़ा जोर हो गया है। हमारे यहां पिथौरागढ़ में जिला मैजिस्ट्रेट थे और उन्होंने एक साल में वहां बड़ी जानकारी हासिल की, पहाड़ में तमाम चीजों की जानकारी में ही एक साल लग जाता है और उन का तबादला एक साल बाद कर दिया जाता है, इस तरह से क्या स्वच्छ प्रशासन होगा वहां से अगर-इतनी जल्दी-जल्दी जिलाधीशों को हटाया जायगा तो स्वच्छ प्रशासन आप का नहीं चल सकेगा। इन शब्दों के साथ में इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वित्तीय वर्ष के बजट के समर्थन में और अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने जहां प्रदेश के तमाम जन-कल्याणकारी कार्यों के लिये बजट बनाया है और देश-विदेश की संसदीय पद्धतियों का अनुसरण कर के जो बजट भाषण यहां दिया है उस को मैंने गौर से सुना। साथ ही मैंने उधर के माननीय सदस्यों की समस्त आलोचनाओं को सुना और उन को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज हम सब चाहते हैं कि इस प्रदेश में एक प्रगतिशील समाजवाद कायम हो। लेकिन इस प्रदेश में या देश में वह तभी कायम हो सकता है जब हम उसकी गहराई में जायं। देखा यह जाता है कि हम सभी साथी इस के लिये उतारू हैं कि यहां से गरीबी मिटे समानता आये, हमारे पिछड़े इलाकों में जहां बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लाखों आदमी बेरोजगार हैं इस सब को दूर करने के लिये इस बजट में कोई ठोस कार्यक्रम नहीं रखा गया है।

कहा जाता है कि प्रदेश दिनोंदिन प्रगति की ओर जा रहा है और हम समानता ला रहे हैं लेकिन कोरे कागजी पन्ने रंगने से और यहां पर लम्बी-चौड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। जिन क्षेत्रों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं अब प्रदेश की जनता में इधर कुछ ऐसी भावना प्रबल हो उठी है कि अब वह ज्यादा बातें नहीं सुनना चाहती, वह आज बहुत सतर्क है कि हमारे यह राजनैतिक प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? पिछली २६ फरवरी को माननीय राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा था कि प्रदेश के कुछ हिस्से अब भी पिछड़े हुये हैं और आज तक इतने प्रयत्नों के बाद भी उन क्षेत्रों का कल्याण नहीं हुआ है।

जहां तक हमारे प्रदेश में पिछड़े हुए वर्ग के सुधार का प्रश्न है चाहे कोई भी सरकार हो और वह चाहे कितनी ही स्वच्छ प्रशासन लाने में उतारू हो, और उसकी कोई भी योजना हो, जब तक कोई मंत्रिमंडल उनके लिए ठोस कार्यक्रम नहीं बना पायेगा, उनका हित नहीं हो सकता है।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं पर्वतीय क्षेत्र की समस्या शासन के समक्ष रखना चाहता हूं कि वहां पर कुछ नहीं किया जा रहा है। एक पर्वतीय विकास परिषद् की स्थापना की गयी लेकिन वह एक खिलवाड़ मात्र है। जब तक उसे प्रशासनिक अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं तब तक उस क्षेत्र की दशा में कुछ भी सुधार नहीं हो सकता है। हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रदेश के कोने-कोने के पिछड़े हुए इलाकों की भलाई की योजनाएं बनायी हैं लेकिन बजट को दखन स मुझ तो यह विदित होता है कि उन्हीं क्षेत्रों में जहां पहले से कुछ कार्य हुआ है, वहीं आज भी हो रहा है। आजादी प्राप्त होने के २२ वर्ष उपरान्त भी हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है जहां विकास के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया गया है और स्थिति ज्यों की त्यों है। तराई-भामर क्षेत्र की बात भी मैं बता दूं। वहां पर जमीदारी एबोलिशन का कानून लागू कर दिया है। यहां पर यह भी बताया गया कि सरकार कृषकों को जोत-बही देने जा रही हैं लेकिन इनसे क्या किसानों का भला हो जायगा ? इनका हित तभी हो सकेगा जब इन जोत बहियों का जो जाल वहां पर फैलाया जा रहा है, उन पर सम्बन्धित किसानों के फोटो लगवा दिए जायं। इस समय सरकार के पास जवाब देने के लिये या माल विभाग को जवाब देने के लिये कोई सबूत नहीं है कि अमुक किसान कौन असली मालिक है ? बड़े-बड़े फार्म्स हैं, जो पूंजीपति हैं। जिनके बड़े-बड़े फार्म्स हैं, तो वे उन्हें अपने परिवार के सदयों में, एम्प्लाइज में और जो उनके मजदूर हैं, सरकार के माल विभाग के कर्मचारियों से मिलकर, जमीनें बांट देंगे लेकिन जब जोत-बही पर फोटो लग जायें तब मालूम हो सकेगा कि कितनी भूमि, भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए रह जायगी। यद्यपि हमारे वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि तराई क्षेत्र में एक लाख एकड़ भूमि खेतिहर मजदूरों को बांटेंगे लेकिन कहा तो पिछली सरकार ने भी, और एस० बी० डी० की सरकार ने भी, पर आज भी वहां पर उसी प्रकार खेतिहर मजदूर हैं और उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हो सका है और न कोई सुधार हो सकेगा।

प्रदेश से बेकारी को हटाने के लिये हमारे माननीय मंत्री जी ने १० लाख की धनराशि रखी है, जिसे, मैं समझता हूं कि दिखावा मात्र है। यदि बेकारी हटानी थी तो जिस पर्वतीय क्षेत्र से लाखों का रा मेटिरियल दूसरे स्थानों पर जा रहा है तो वहां पर ही कोई फैक्ट्री लगा दी जाती। सरकार को चाहिए था कि इन पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे कारखाने बनाये जायं जहां पर रा मेटिरियल पैदा होता है, वह वहां पर खप सकता।

तराई भावर क्षेत्र में गन्ने की समस्या भी विशेष है। मेरा क्षेत्र और माननीय वित्त मंत्री जी का जो क्षेत्र है वह मिला हुआ है। हमारे क्षेत्र की इस मामले में भी उपेक्षा की जा रही है कि, वहां पर किच्छा शुगर फैक्ट्री का कार्य अधर में पड़ा है। हमारे सूचना मंत्री जी ने पिछले साल इस बात पर जोर भी दिया था कि गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण कराया जाय, लेकिन हमारा खयाल था कि प्रगतिशील शासन के होते हुए, शायद हमारे माननीय मंत्री या शासन का ध्यान इस ओर जायगा, लेकिन आज जहां लाखों क्विन्टल गन्ना तराई भावर में खड़ा हुआ है और किसान इसके लिये बिल्कुल तबाह हो रहा है लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में इस फैक्ट्री को लगाने के लिये सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है जबकि इस किच्छा शुगर फैक्ट्री का बनना यहां के कृषकों के हित में एक भारी विकास व जन-कल्याणकारी कार्य है। जबकि लाखों रुपये उस फैक्टरी में पिछली सरकार ने खर्च किया है और वह योजना ज्यों की त्यों बनी हुई है।

जहां तक बजट में करोड़ों रुपया वन विभाग, पी० डब्लू० डी० और सिंचाई योजनाओं के लिए तथा दूसरी योजनाओं के लिये रक्खा गया है, मैं नहीं समझ पाता कि इस रुपये का सदुपयोग होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आप के द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित करूंगा। उद्योग विभाग को ले लीजियेगा। पिछले वर्षों की आडिट रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उसमें यह मिलता है कि पचासों हजार रुपये जो खर्च के लिए स्वीकार हुए उनका कोई सदुपयोग ही नहीं हुआ। उनके हिसाब का कुछ पता ही नहीं। अगर हमारे उद्योग मंत्री यहां होते तो अच्छा था। मुझे खुशी है कि सूचना मंत्री यहां मौजूद हैं। वे मेरी शिकायत को पहुंचा देंगे। उद्योग

[श्री इन्द्र लाल]

विभाग के अन्तर्गत एक रेशम का उद्योग विभाग भी कायम हुआ है । केवल सरकारी धन का दुरुपयोग करने के अलावा उसका कोई काम नहीं है । होता क्या है—ऐसी जगहों पर जहां प्राकृतिक वृक्ष तो खड़े नहीं हो पाते हैं मैं नहीं समझ पाता हूं कि उस उद्योग विभाग के अन्दर ऐसे कौन से टेक्नीकल अधिकारी या कर्मचारी हैं जो लाखों रुपया गवर्नमेंट का पानी की तरह बहा रहे हैं ।

इसी प्रकार कृषि सुधार के लिए बजट में करोड़ों रुपयों की पूंजी रखी गई है । मैंने माननीय वित्त मंत्री की बजट स्पीच में देखा है । हमारे यहां पन्तनगर स्टेट एग्रीकल्चर फार्म है । अपनी स्पीच में उन्होंने यह कहा कि ५९ लाख रुपये खर्च करके एक करोड़ रुपये की आमदनी होगी । यह साधारण-सी बात है । जहां हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं और दूसरे तराई भावर के क्षेत्र हैं अगर उन किसानों को यही सुविधा दी जाय तो मैं समझता हूं कि दुगुनी पैदावार वे भी बढ़ा सकते हैं । जैसे कृषि यंत्रों में ट्रैक्टरों का मसला है । अभी पिछले दिनों प्रश्न हुआ था । माननीय कृषि मंत्री ने बतलाया था जो "प्रथम आया, प्रथम आया" । समझ में नहीं आता है कि वास्तविक प्रगति कैसे कायम होगी । उन अविकसित कृषकों के साथ भी न्याय करना होगा तभी हम प्रगति की व्याख्या कर सकते हैं और आस्था रख सकते हैं ।

मैं अबफारेस्टडिपार्टमेंन्ट की ओर ध्यान दिलाऊं । वन विभाग तो उत्तर प्रदेश में ऐसा विभाग हो गया है जिसने करोड़ों रुपया प्लान्टेशनों की आड़ में पानी की तरह बहा दिया है और प्लान्टेशन के नाम से उसका दुरुपयोग हो रहा और दूसरी तरफ जो करोड़ों रुपयों की सम्पदा है वह वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा नाजायज तौर पर काटकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है । दूसरी तरफ कृषक अपने हकहकूक पाने पर दुःखी है जिसके निवारण के लिये सरकार ने एक कुमायूं फारेस्ट फैक्टरी फाइंण्डिग कमेटी नियुक्त की थी । कितने दिनों तक उस कमेटी ने भ्रमण किया और स्थानीय लोगों की दिक्कतों को पेश कर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत की । मैं ने पिछली बार भी सदन में इस बात को कहा था कि शासन ने मान लिया है उस रिपोर्ट को, लेकिन शासन के आदेश के बावजूद उस पर कोई कार्यन्वाही नहीं हो पा रही है । मान्यवर, यहां पर हम लोग शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रश्न करते हैं लेकिन अफसोस है कि इस प्रदेश के मंत्रीगण किस नींद में सोये रहते हैं ? उन चीजों की इन्क्वायरी नहीं हो पाती है । आये दिनों की राजनैतिक अस्थिरता से उनको भी (सरकारी मशीनरी) यह खयाल है कि उनकी पार्टी शासन में रहे या न रहे । आज वे शासन में हैं तो कल दूसरी पार्टी शासन में हो जायगी । निश्चित नहीं है कि हमें स्वच्छ प्रशासन मिल पायगा या नहीं मिल पायगा । जहां तक बजट बनाने में जनकल्याण का प्रश्न है मैं तो यही कहूंगा कि यह पिछली सरकार का फोटो मात्र लगाकर रख दिया गया है और उसमें कोई भी ठोस कार्यक्रम नहीं रक्खा गया है जिससे जनता का हित हो सके । वैसे आलोचना तो सब जगह से होती है । हमारे उस तरफ के माननीय सदस्यों की भी आलोचना हुई है । लेकिन यह जरूर है कि आलोचना कर देना आसान काम है । लेकिन कथनी और करनी में रात-दिन का अन्तर होता है ।

अभी जिला परिषदों के बाबत माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि सरकार ने गलत किया । लेकिन मैं तो सरकार से कहूंगा कि सरकार ने सही किया और सरकार को चाहिये कि जैसा आये दिन जिला परिषदों के बारे में सदन में सुनते थे कि वहां-वहां पर गड़बड़ियां हो रही हैं, इतने जिला परिषद् सुपरसीड होने जा रहे हैं अब वह सुपरसीड हो गयीं । मैं इसके लिये सरकार का स्वागत करता हूं । लेकिन मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जिला परिषदों का सरकार स्पेशल आडिट कराये ताकि यह पता चल सके कि जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग हुआ है और किस प्रकार कितना गोलमाल है ताकि जनता के सामने आवे ।

कुमायूं विश्वविद्यालय का नाम लिया जा रहा है । कई वर्ष पूर्व से उसके लिये घोषणा होती आ रही है । वित्त मंत्री ने भी उसके लिये कहा था । सन् १९६९ में अक्टूबर-नवम्बर में जब पर्वतीय विकास परिषद् की मीटिंग हुई थी तो उसमें भी कुमायूं विश्वविद्यालय क नाम से घोषणा हुई । उसके बाद उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नाम की घोषणा हुई । लेकिन

अभी तक निश्चित नाम का पता नहीं चला कि सरकार ने क्या निश्चय किया है। कब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और न निश्चित है कि न मालूम किस खंड से प्रख्यापित हो।

जन-स्वास्थ्य के बारे में यद्यपि सरकार अधिक से अधिक ध्यान दे रही है, लेकिन अस्पतालों में डाक्टरों की जो व्यवस्था है वह बहुत खराब है। आज भी मरीजों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सैनीटोरियम की हालत यह है कि मंत्री महोदय के लिखने के बाद भी वहां मरीज को सीट नहीं मिलती है। जो सुविधायें सन् ६७–६८ में थीं, आज उतनी भी नहीं रह गयी हैं।

शिक्षा संस्थाओं में भी आज बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं। इसके कारण अध्यापकों में बड़ा असंतोष है। आज जरूरत इस बात की है कि समस्त शिक्षा संस्थाओं का रष्ट्रीयकरण किया जाय।

प्लानिंग और पी० डब्लू० डी० में पुलिस से भी ज्यादा भ्रष्टाचार है। इन विभागों ने पुलिस विभाग को भी मात कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय समाप्त।

एक सदस्य––

मुझे आपने अवसर नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं जिस पद्धति से चल रहा हूं उसी से चलूंगा। आप अभी-अभी आये हैं। इसके पहले मैंने देखा आप यहां नहीं थे। आप नाम दे करके बाहर क्यों चले गये ?

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मुख्य मंत्री जो कुछ समय पूर्व विरोध पक्ष के नेता विरोधी दल थे, उन्हीं का अनुसरण करते हुये अपने बजट भाषण को एक प्रोटेस्ट के साथ शुरू करता हूं। पिछले वर्ष इसी सदन में जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो माननीय चरणसिंह जी ने एक रहस्योद्घाटन किया था और कहा था, वे इस सदन के बहुत दिनों से सदस्य हैं, फिर भी वे बजट की बारीकियों को नहीं समझ सकते। उन्होंने मांग की थी कि माननीय सदस्यों को समझाने के लिये यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि वित्त विभाग के अधिकारी आयें और एक स्थान पर बैठ कर जहां विधायक लोग इक्ट्ठा हुये हों, उनको बजट की बारीकियों को समझायें। उनके मुख्य मंत्री बनने के बाद हमें आशा थी कि वे अपने इस सुझाव पर गौर करेंगे परन्तु खेद है कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी कोई व्यवस्था नहीं की। माननीय गेंदासिंह जी यहां मौजूद हैं, वे कृपा करके मेरे इस प्रोटेस्ट को माननीय मुख्य मंत्री तक पहुंचा दें।

श्रीमन्, बजट पर बोलते समय कुछ गरमागर्मी पैदा हो जाती है। इसलिये मैंने सोचा यह है कि मैं प्रारम्भ में ही शान्त चित्त से कुछ सुझाव इस सरकार के समक्ष रखूं। और मैं आशा करता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी, जो एक मात्र मंत्री इस समय सदन में उपस्थित हैं, मेरे सुझावों पर उसी प्रकार से विचार करेंगे, उन्हें नोट करेंगे और यदि उचित समझेंगे तो जब उनकी तरफ से उत्तर दिया जाए तो बतलाने की कृपा करेंगे कि उन सुझावों में से कौन से और किस हद तक वह मानने को तैयार हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रताप सिंह]

श्रीमन्, मेरा पहला सुझाव है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में एक-एक कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए, उसी प्रकार का जैसा कि पन्तनगर में चल रहा है। अपना राज्य हरियाणा की तुलना में ५ गुने से अधिक बड़ा है। हरियाणा राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय चल सकता है तो कोई कारण नहीं कि यहां पर ५ विश्वविद्यालय न कायम किये जाएं। जिस समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी खोलने का प्रश्न था, सरकार की तरफ से कहा गया था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक ग्रामीण यूनिवर्सिटी होगी, परन्तु आज उसकी क्या स्थिति है? मैं चाहूंगा कि जो पुराना नेक इरादा था, वहीं से काम शुरू किया जाए। गोरखपुर विश्वविद्यालय को वास्तविक अर्थों में एक ग्रामीण यूनिवर्सिटी बनाकर उसका काम उसी प्रकार प्रारम्भ किया जाय। यदि यह सम्भव नहीं है तो कम से कम पन्तनगर यूनिवर्सिटी का एक कैम्पस गोरखपुर में स्थापित किया जाय, उसके बाद बुन्देलखंड एरिया में किया जाय, मध्य क्षेत्र के लिये कानपुर में खुल चुका है, एक पश्चिमी क्षेत्र के लिये और खुलना चाहिये। मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश में आर्थिक प्रगति होनी है तो वह कृषि के द्वारा ही सम्भव हो सकेगी।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन जो विदेशों से यंत्रों का आयात करता है, उन यंत्रों को अमेरिका या रूस से न मंगायें। जापान से मंगाया जाए। इसका कारण यह है कि एक तरफ तो हम जोत की सीमा बांधकर उसको तीस एकड़ पर उतारना चाहते हैं और एक तरफ ऐसे कृषि यंत्रों का आयात करते हैं जो ३–३ सौ और ४–४ सौ एकड़ जमीन पर खेती करने के योग्य हैं। जापान में छोटे-छोटे फार्म हैं, हमारे उद्देश्य के लिए उपयुक्त यंत्र यदि कहीं से मिल सकते हैं तो वह जापान में ही मिल सकते हैं। कोई कारण नहीं मुझे दिखाई देता है कि अमेरिका और यू० एस० एस० आर० के बजाए जापान से कृषि यंत्रों का आयात न किया जाय।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि ग्रामीण–सड़कों का एक विभाग अलग से खोला जाए। पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत रखने से ग्रामीण सड़कों का विकास और सुधार सम्भव नहीं है। ग्रामीण सड़कों को पी० डब्लू० डी० से निकाल कर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर की देखरेख में चलाया जाए।

एक सुझाव यह है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यक्रम को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिलकुल अलग रखा जाए और इसे भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमिश्नर की देखरेख में चलाया जाए।

संसार के अधिकांश देशों में यह समस्या सामने आई है। अमेरिका जैसे देश में भी ग्रामीणों का काम बिजली उत्पादकों से नहीं चला, इसलिये उनकी अपनी कोआप्रेटिव्स हैं। मुझे संदेह है कि यहां पर कोआपरेटिव का तरीका सफल हो सकता है। इसलिये एक विभाग ऐसा हो जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक और सस्ते से सस्ते दामों पर बिजली बनाना हो। जब तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हाथ में ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युतीकरण का काम रहेगा, तबतक उनके साथ न्याय नहीं हो सकता है।

पांचवां सुझाव यह है कि ग्राम समाज की भू-प्रबन्धक समितियों को एबालिश कर दिया जाए। कारण यह है कि इन समितियों को जो काम सौंपा गया था उसको करने में इन्होंने इतनी लापरवाही बरती है, इतना भ्रष्टाचार दिखाया है, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं समझता हूं कि जिला परिषदों को भंग किया जा सकता है, विधान परिषद् को भंग किया जा सकता है, तो यह जो भू-प्रबन्धक समितियां हैं, उनको भंग करना भी आवश्यक है।

जिस समय जमींदारी उन्मूलन हुआ था इन समितियों को ५० लाख एकड़ भूमि मिली थी। इसके लिये व्यवस्था यह थी कि यह सबकी सब जमीन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दी जाय। परन्तु इसमें से ४० एकड़ लाख भूमि निकल चुकी है जिसमें से अधिकांश उन लोगों के हाथ में गयी है जिनके पास पहले से जमीनें थीं।

इसक साथ मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर तैयार कराया जाय जिसमें केवल भूमिहीन खेतिहरों का नाम दर्ज हो, जैसे आज भी दो रजिस्टर हैं, एक भाग ३ का रजिस्टर कायम हो जिसमें भूमिहीन खेतिहरों के नाम दर्ज हों। कोई ऐसा रजिस्टर न होने की वजह से कोई भी भूमिहीन बन जाता है। जब यह रजिस्टर रहेगा तो वह पट्टा करते समय अधिकारियों के लिये यह देखना जरूरी होगा कि क्या उनका भूमिहीन के रजिस्टर में नाम दर्ज है या नहीं। श्रीमन्, यह काम ग्राम सभाओं द्वारा होने वाला नहीं है। विशेष अधिकारियों को नियुक्त करके जिस प्रकार कोई रेकार्ड आपरेशन होता है उसी तरह से एक कम्पेन चला कर एक निश्चित अवधि के अन्दर गांव समाज के पास जितनी भूमि है, जितनी भूमि सीलिंग से उपलब्ध हो, सारी भूमि का प्रबन्ध कर दिया जाय। यह जमीन जो सरकार या गांव सभा रखे हुए हैं, यह झगड़े की जड़ है, भ्रष्टाचार की जड़ है। इसका प्रबन्ध एक कार्यक्रम बना कर एक निश्चित अवधि के अन्दर होना आवश्यक है।

एक सुझाव और देता हूं। सरकार एक ऐसा ब्यौरा तैयार कराये जिसमें प्रत्येक जिले में कितने किलोमीटर सड़कें बनी हैं, कितने किलोमीटर बिजली का तार खींचा गया है, कितने सिंचाई के साधन दिये गये हैं, इनका ब्योरा तैयार करायें और प्रत्येक सदस्य को वह ब्यौरा दिया जाय। मैं यह केवल इस लिए कह रहा हूं, यहां जितने माननीय सदस्य बोलते हैं वे अपने क्षेत्र की कमी की ओर ध्यान दिलाते हैं। कुछ सत्य होता है कुछ उतना सत्य नहीं होता। सरकार कह कर टाल देती है कि आप पूर्व और पश्चिम की बात करते हैं, आप झगड़ा बढ़ाने की बात करते हैं। यदि सरकार के पास इस प्रकार का कोई ब्योरा हो कि प्रत्येक जिले में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करने के लिये अब तक सरकार ने क्या किया है? तो सरकार भी उत्तर दे सकेगी और विधायकों को भी संतोष होगा कि ठीक है, काम हो रहा है। मैं इस तरह की असमानताओं की ओर केवल ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं न पूर्व पश्चिम की बात करता हूं न कभी बटवारे की बात करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि बटवारे के लिए वह राजनीतिक दलील पेश करते हैं जिनको मंत्रिमंडल में घुसने का मौका नहीं मिला। जो सोचते हैं कि छोटा-सा प्रान्त बने तो उनके प्रास्पेक्ट्स बढ़ जायं। परन्तु यह जो असमानताएं हैं इनको दूर करना चाहिये और शिकायत का कारण रुकना चाहिये।

मैं मेरठ जिले और बस्ती जिले की तुलना करना चाहता हूं, सिंचाई के साधनों के सम्बन्ध में। ७९ फीसदी जमीन कृषि योग्य, मेरठ जिले में, सरकारी साधनों से सींची जाती है। मुजफ्फरनगर जो सिंचाई मंत्री जी का अपना जिला है उसमें ६४ फीसदी जमीन सरकारी साधनों से सींची जाती है। हमारे बस्ती जिले में सिर्फ १२ प्रतिशत जमीन में सरकारी साधन उपयुक्त किये गये हैं। अगर पूरे पश्चिमी क्षेत्र का लिया जाय जिसका खेती का रकबा १ करोड़ ७० लाख एकड़ है और इत्तिफाक की बात है कि पूर्वी क्षेत्र में भी खेती का रकबा उतना ही है। इस १ करोड़ ७० लाख एकड़ जमीन में पश्चिम में ६४.८३ लाख एकड़ जमीन पर सरकारी साधनों से सिंचाई की व्यवस्था है। जबकि पूर्वी क्षेत्र में ३०.९८ एकड़ के लिये व्यवस्था है। दूसरी असमानताओं के विषय में भी मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। घरेलू उद्योग धंधों में बिजली की खपत पश्चिमी क्षेत्र में ८.९ प्रतिशत है, पूर्वी क्षेत्र में ३.९ प्रतिशत, केन्द्रीय क्षेत्र में १.९ प्रतिशत बुन्देलखंड में १.३ प्रतिशत तथा सबसे कम पर्वतीय क्षेत्र में १.१ प्रतिशत है। जिस प्रकार से सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि शेड्यूल्ड कास्ट तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जगहें सुरक्षित रहेंगी और उसका परसेंटेज सर्विसेज में बढ़ा दिया जायगा जब तक वह सबके बराबर में नहीं आ जाता है। उसी को मद्देनजर रख कर मैं यह मांग करता हूं कि इस प्रकार का ब्योरा सरकार तैयार कराये कि जब तक कोई पिछड़ा हुआ जिला राज्य के कम से कम औसत के बराबर न आ जाय तब तक औसत के ऊपर वाले जिले में कोई विकास कार्य न किया जाय अन्यथा आज जो विधायकों में हम बटवारे की बात देख रहे हैं यह चीज ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जैसे आन्ध्र में तेलंगाना के प्रश्न ने स्थिति पैदा कर दी है।

एक अन्य सुझाव में यह देना चाहता हूं कि सरकार एक आयोग गठित करे और वह कृषि के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन तथा उनके मूल्य के विषय में नीति निर्धारित करे और

[श्री भानुप्रताप सिंह]]

अपने सुझाव सरकार को दे। माननीय वित्त मंत्री ने बजट की परिभाषायें देने की कोशिश की है। मैं इसमें केवल इतना ही जोड़ देना चाहता हूं कि एक अच्छे बजट की परख क्या है? अच्छा बजट वह है जो जनसाधारण की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को अधिक से अधिक पूरा करे। यह एक माप दंड है जिससे हमको बजट को देखना चाहिये। उत्तर प्रदेश की जनसाधारण की सबसे बड़ी आवश्यकता तथा आकांक्षा क्या है? यह सभी को विदित है कि गरीबी में सबसे आगे तथा सबसे दरिद्र राज्य हो गया है शायद एक दो राज्यों को छोड़ कर। सबसे बड़ी आवश्यकता तो यह है कि हम इस गरीबी को दूर करें और हर व्यक्ति की आकांक्षा यह है कि वह रोजगार पा सके। यदि गौर से देखा जाय तो गरीबी का दूर होना, राष्ट्रीय आय का बढ़ना तथा रोजगार के द्वार खुलना एक ही बात है। जिस किसी देश में सम्पन्नता आती है उस देश में रोजगार के बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं और फिर वहां सामाजिक न्याय भी संभव हो जाता है। संसार के देशों की ओर अगर निगाह उठा कर देखें तो मालूम होगा कि जो देश राष्ट्रीय आय में आगे हैं वे देश रोजगार भी दे सकते हैं और सामजिक न्याय भी दे सकते हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कुछ आंकड़े दिये हैं। यदि उनको मैं असत्य नहीं कह सकता लेकिन वह अर्द्धसत्य जरूर है। हमारे मुख्य मंत्री जी कहा करते हैं और ठीक कहते हैं कि हमारे इस प्रदेश के पिछड़ेपन का एक कारण यह भी है कि लोगों में संतोष की भावना है। वह कहते हैं कि संतोष में ही परमसुख है और यही पिछड़ेपन की जड़ है। मगर मैं सरकार से इस बात को कहना चाहता हूं कि इसमें किस प्रकार से मिथ्या-संतोष किस प्रकार से आंकड़ों के पीछे अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास किया गया है। इसमें लिखा है १९६०-६१ के स्थिर मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय १९६८-६९ के २४८ रुपये से बढ़कर १९६९-७० में २५३ रुपये हो गई और इस प्रकार जनसंख्या में २.२ प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय में लगभग २ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसा मालूम होता है कि आबादी से ज्यादा तेजी से हम लोगों की आय बढ़ रही है। श्रीमन्, आप पीछे की ओर देखें तो १९६०-६१ की तुलना में १९६९-७० में इतनी बढ़ गई है कि जहां १९६०-६१ में २४६ रुपया था वह १९६९-७० में २५३ रुपये हो गई है यानी ७ रुपये प्रति व्यक्ति वृद्धि हुई है। यदि ९ वर्षों का हिसाब लगाया जाय तो श्रीमन्, आप देखें कि १ प्रतिशत चौथाई से भी ज्यादा नहीं है। वास्तविक तथ्य को पीछे रखकर इस अर्द्ध सत्य को आगे रखा गया है कि हमारी तो आय आबादी से ज्यादे तेजी से बढ़ रही है।

इसी प्रकार कृषि के सम्बन्ध में लिखा है कि पिछले वर्ष से १६१ लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई थी और इस वर्ष १७२ लाख मीट्रिक टन हो गई और इस प्रकार ६.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। श्रीमन्, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मैंने पिछले वर्ष कहा था कि उत्तर प्रदेश की खेती की पैदावार गिरी हुई है तो उस समय के खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री जो थे उन्होंने कहा था कि झूठा बयान देकर भानु प्रताप सिंह इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। किन्तु आज वह बात सामने आयी और १९६७-६८ में १६६ लाख टन के मुकाबले १९६८-६९ में उत्पादन १६१ लाख टन रह गया। इस बात को उस समय सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। एक वर्ष के आंकड़े देकर यह वर्तमान सरकार भी विधायकों को गुमराह कर रही है। वास्तविक स्थिति क्या है। यह भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि की पैदावार में कितनी वृद्धि प्रतिवर्ष होती रही है और १९५२-५३ से १९६४-६५ तक जो वृद्धि हुई है उसकी सूची है इसमें आंकड़े दिये हुये हैं--ये आंकड़े इकानोमिक ऐण्ड स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट तथा मिनिस्टरी आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर के हैं। श्रीमन्, पंजाब में ५.६, गुजरात में ५.१, मद्रास में ४.९१ मैसूर में ४.०६ और इसी क्रम से यह काफी लम्बी सूची है। किन्तु इस पूरी सूची के अन्दर केवल आसाम राज्य को छोड़कर उत्तर प्रदेश की कृषि की प्रगति सबसे पीछे रही है और वह केवल १.८२ ही है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रगति को कोई संतोषजनक प्रगति नहीं कहा जा सकता है वह एक दम मिथ्या-संतोष है क्योंकि इस

वर्ष पैदावार बढ़ी हुई बताई गई है कि वह १७२ लाख मीट्रिक टन हुई है। वह उसके बराबर नहीं है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राप्त करनी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य १८५.७ लाख टन था और उसे घटाकर रिवाइज करके उसे १८३ लाख टन रखा गया था किन्तु आज दो साल बाद भी १८३ लाख टन भी नहीं हो पाया है। माननीय मुख्य मंत्री जी नागरिकों को कहते हैं "संतोषम् परम् सुखम्" की भावना लेकर चलें किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने मिथ्या संतोषम् परम् सुखम् की भावना जोड़ दी।

श्रीमन्, समय कम है इसलिये मैं थोड़ी सी बातें और कहूंगा कि माननीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, माननीय शिवराज सिंह कहा करते थे कि छोटी-छोटी सिंचाई योजनायें ज्यादा लाभप्रद हैं। हमें जो सिंचाई योजनाओं का अनुभव हुआ है वह यह है कि सिंचाई योजनायें महंगी हैं। बड़ी सिंचाई योजनायें किसानों के लिए अनुपयुक्त हैं और उनसे भ्रष्टाचार भी ज्यादा होता है, फिर भी इस सरकार ने बड़ी और मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाओं पर पैसा घटाने के बजाय बढ़ाया है।

इस बजट में, और बजटों की भांति, शहरी और देहाती क्षेत्रों के बीच भेद भाव बरता गया है। शहरी क्षेत्रों में १३ फीसदी जनता रहती है। लेकिन उसके शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करने के लिये २ करोड़ ८८ लाख रुपया व्यय किया जा रहा है। जब कि गांवों में ८७ फीसदी आबादी रहती है, जिनके शुद्ध पेय जल पर २ करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। यह कौन सा सामाजिक न्याय है। क्या देहात में किसी दूसरे किस्म के जानवर रहते हैं क्या वहां किसी दूसरी श्रेणी के नागरिक रहते हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार की आज आप जो योजनायें बनायें वह आबादी के आधार पर बनायें। जिस अनुपात में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बसते हैं, उसी अनुपात में वहां के लिये रुपया रखें। क्या देहात से जो टैक्स वसूल किये जाते हैं वे शहरों की जनता पर खर्च करने के लिये वसूल किये जाते हैं। मैं ऐसे बजट और ऐसी सरकार को किसी भी प्रकार से जनहितकारी नहीं कह सकता।

इसी प्रकार से शहरी हाउसिंग के लिये अनेक योजनायें हैं। ३-३ पैसा उसके लिये हैं लेकिन ग्रामीण आवास योजना का पूरे बजट में कोई नाम तक नहीं है। यह इस बात का क्या प्रमाण नहीं है कि यह सरकार ग्रामीणों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझती है।

प्रदेश और देश में खुशहाली लाना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, यह सरकार का काम नहीं है, यह नागरिकों का काम है। पिछले २० वर्षों में जिस विचारधारा से काम हुआ उसका फल यह हुआ कि प्रत्येक माननीय सदस्य जो यहां खड़ा होता है वह इस बात में गौरव अनुभव करता है कि वह पिछड़े हुए इलाके का है, यानी पिछड़ेपन में कम्पटीशन होता है क्योंकि उनको आशा है कि सरकार पिछड़ेपन को दूर कर देगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सरकार धन दौलत पैदा नहीं कर सकती। धन दौलत पैदा करने का काम नागरिक का है। सरकार जो कार्य कर सकती है उसको वह करना चाहिये। और सरकार जो कर सकती है वह यह है कि उसको ऐसा उचित वातावरण पैदा करना चाहिये जिसमें लोगों को ईमानदारी से रोजी कमाने का अवसर मिले। लेकिन इसके प्रतिकूल आज बेईमान, भ्रष्टाचारी और बैठकर तिकड़म करने वाले लोगों को उन्नति करने का अवसर ईमानदार लोगों की बनिस्बत अधिक मिलता है।

सरकार का दूसरा काम है टेक्नीकल जानकारी अधिक से अधिक लोगों में फैलाना। तीसरा काम है बुनियादी ढांचा खड़ा करना। बुनियादी ढांचे में मैं केवल बिजली की बात बता देना चाहता हूं। हार्स पावर पर मिनिमम हमको देना पड़ता है। लेकिन मैं दावे के

[श्री भानु प्रताप सिंह]

साथ कह सकता हूं और माननीय गेंदा सिंह जी भी इसको जानते हैं कि बस्ती जिले में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बिजली तो पहुंच गयी है लेकिन बिजली इतने कम समय आती है कि अगर पूरे समय भी उसका इस्तेमाल किया जाय तो भी हम मिनिमम बिजली खर्च नहीं कर सकते । क्या सरकार नहीं जानती कि इससे किसानों को कितना नुक्सान होता है। दो मिनट बिजली आयी और चली गयी, फिर पांच मिनट आयी और फिर चली गयी ।

सरकार को कम से कम अपने कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहिये । ऐसा काम सरकार को करना चाहिये जो नितान्त आवश्यक हो और अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाने वाली जो तीन आवश्यकतायें हैं यदि उसकी पूर्ति वह कर सके एक तो ऐसा वातावरण उपस्थित करे कि लोग मेहनत और ईमानदारी से जीविका पा सकें, दूसरे यह कि टेक्निकल जानकारी का प्रसार अधिक से अधिक हो और तीसरे यह कि बुनियादी ढांचा जो इस प्रदेश का है उसे मजबूत करें । अगर ये तीन काम हो जायं तो उससे इस प्रदेश की आवश्यतकताओं और इस प्रदेश के रहने वालों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकेगी, अन्यथा नहीं । धन्यवाद ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । बजट के विषय में जो बातचीत चल रही है उस पर मैं कहना चाहूंगा। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि बजट में कोई कमी नहीं है क्योंकि जिस चीज में कोई कमी न हो, ऐसी चीज तो केवल भगवान ही है, लेकिन जहां तक मेरा विचार है इस बजट को समाजवादी दृष्टि से ही सदन के सामने रखा गया है। समाजवाद का भी एक अर्थ मैं समझता हूं कि बड़े और छोटे के बीच के अन्तर को कम करना, यह एक समाजवादी रास्ता है। समाजवाद के चलाने का यह एक रास्ता होता है कि बड़े और छोटे के अन्तर को बजट में कम किया जाय । जहां तक इस बजट का प्रश्न है, इसमें छोटे आदमियों पर कर नहीं लगाया गया है। छोटी जोत वालों का लगान माफ कर दिया गया है और उस लगान को बड़ी जोत वाले आदमियों से या ऊंची आय वालों से पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो यह बजट है वह समाजवादी बजट है और इसलिये हमें इसका समर्थन करना चाहिये । लेकिन जो कुछ कमी उसकी मेरी समझ में आयी है उसे मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

सबसे पहली बात यह है कि इस सदन में पहले भी यह मांग की गयी है कि बजट का वर्ष अप्रैल से प्रारम्भ न हो कर अक्टूबर से शुरू किया जाना चाहिये । क्योंकि अक्टूबर में हमारा नया साल जो दिवाली के करीब शुरू होता है, किसान की दोनों फसलें लगभग कट चुकी होती हैं और इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हमारे प्रदेश में इस वर्ष कितनी पैदावार होगी ।

अप्रैल से बजट का वर्ष शुरू होना, यह एक विदेशी रिवाज है और विदेशी प्रणाली के अनुकूल है । वह हमारे अनुकूल नहीं है। हमें अपने देश के अनुकूल ही इस साल को शुरू करना चाहिये । । इस सिलसिले में सन् १९५८ में लोक सभा की एस्टीमेट कमेटी भी यह मांग कर चुकी है कि हमारा बजट बजाय अप्रैल से शुरू होकर अक्टूबर से शुरू किया जाना चाहिये ताकि हमें सही आंकड़े मिल सकें । हमने अपने यहां की गन्ना फैक्टरियों के सन् ६९ और ७० के बैलेंस शीट को देखा तो वे दो सालों में विभक्त हो गयीं । अगर अक्टूबर से हमारा बजट शुरू होगा तो उस साल के सेल्स टैक्स वगैरह का हिसाब उसी साल में हो जायेगा, उसको दो साल में बंटने की कोई जरूरत नहीं रहेगी ।

दूसरी चीज मैं बजट के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों इस हाउस की ऐसी समितियां हैं जिनका काम यह देखना होता है कि बजट के मुताबिक ही सरकार खर्च करे और यदि उसमें कोई कमी पावे तो उसके लिये अपने सुझाव दे । मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि बजट बनाते वक्त या बजट पेश करते

वक्त इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है । फल स्वरूप नतीजा यह है कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट्स होती हैं वे रखी की रखी ही रह जाती हैं और विभागीय अध्यक्ष अपने मनमाने तरीके से उस बजट को मंत्रिमंडल के सामने पेश करदेते हैं और मंत्रिमंडल बिना यह विचार किये कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट्स पर कोई ध्यान दिया गया है या नहीं उसको उसी प्रकार स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार वह जनतंत्र का बजट न होकर अफसरशाही का बजट हो जाता है और जब उनकी बातों पर कोई ख्याल नहीं किया जाता तो, जैसा कि मैंने बताया, महकमें के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनकी इच्छा के अनुसार ही बजट बनता है। इसलिये मेरा एक सुझाव यह है कि बजट पेश होने से पहले कम से कम दस दिन तक हाउस में लोक लेखा और प्राक्कलन समितियों के सुझावों पर बहस हो जाया करें और जो उसकी खामियां हैं वह हाउस के सामने आयें और उन कमियों को मद्देनजर रखते हुए हम अपना बजट बनायें । यह एक नया कदम होगा और इससे जो कमियां हैं उनको हम दूर कर पायेंगे ।

अगली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस राय से कोई भी अलग नहीं है कि इस प्रदेश की उन्नति को लेकर मुख्यत: तीन बातों पर निर्भर है, कृषि, लघु उद्योग और बड़े उद्योग ।अगर मैं बड़े उद्योगों की बात को लेकर चलूं तो बड़े उद्योग वालों को भी बढ़ावा नहीं मिल रहा है। इस प्रदेश के बड़े बड़े पूंजीपति बजाय इस प्रदेश में रुपया लगाने के दूसरे प्रदेशों में रुपया लगाना ज्यादा पसन्द करते हैं । हमें देखना है कि ऐसी कौन सी वजह है, जिसके कारण इस प्रदेश का पूंजी-पति इस प्रदेश में रुपया न लगा कर दूसरे प्रदेशों में लगाता है जिसके कारण दूसरे प्रदेश औद्योगिक मामलों में हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और जहां हमने और मामलों में तरक्की नहीं की है वहां बड़े उद्योगों में भी हम पिछड़ते चले जा रहे हैं और यही हाल रहा तो और काफी पिछड़ जायेंगे । आज जिस प्रकार किसान को निश्चिन्तता नहीं है, पहले ४० एकड़ भूमि पर सीलिंग थी, अब ३० एकड़ का सवाल उठने लगा है, कि वह अपने खेत में मेहनत करे या न करे, कही ऐसा न हो कि कल को उसकी जमीन निकल जाय क्योंकि आज को कोई रूलिंग पार्टी हैं और कल को दूसरी रूलिंग पार्टी हो सकती है उसकी पालिसी दूसरी हो सकती है। इन सब कारणों से उसे निश्चिन्तता नहीं हो रही है। इसी प्रकार बड़े उद्योग वालों को भी निश्चिन्तता नहीं हो रही है क्योंकि हर साल यह सवाल उठता है कि फलां उद्योग का नेशनलाइजेशन हो जाय । मैं नेशनलाइजेशन का कतई विरोधी नहीं हूं । मैं बिल्कुल इस राय का हूं कि नेशन-लाइजेशन होना चाहिये । लेकिन इस नेशनलाजेशन के नारे में हमें कितना नुक्सान पहुंचाया है यह देखने की चीज है।

हमारे प्रदेश में चीनी उद्योग के लिये लगभग पिछले दो वर्षों से बड़े जोर का नेशनलाइ-जेशन का नारा लग रहा है जिसके कारण उनके दिल में अनिश्चितता पैदा हो गयी है । वह उस उद्योग को बढ़ाने की नहीं बल्कि उसमें अपनी लगी हुई पूंजी को निकालने की फिराक में हैं कि वह किसी तरह से निकाल लें उसके बाद कुछ प्राफिट हो तो हो और वह कुछ और उद्योग धंधा चलाने की सोच में है और उस उद्योग को बढाने में उन्हें खतरा महसूस होता है जिसके राष्ट्रीयकरण की आवाज उठाई जा ही है । दूसरी ओर राष्ट्रीयकरण में इतनी देरी होती जा रही है जिसके कारण उनकी क्रशिंग कैपेसिटी बिलकुल गिर गयी है और उसका सीधा असर किसान वर्ग को पहुंचा है। जितना नुक्सान इस राष्ट्रीयकरण के नारे ने किसान को पहुंचाया है उतना शायद किसी वर्ग को नहीं पहुंचा । किसान के पास गन्ना ही ऐसी मुख्य नकद फसल होती है जिससे वह अपना कुछ रुपया निकाल पाता है और जो दैवी विपदायें होती हैं उनसे मार नहीं खाता । इससे काश्तकार हर वर्ष गन्ना अधिक बोता है और सोचता है कि गन्ना ही ऐसी फसल है जिसमें रुपया मिल सकता है, क्योंकि गेहूं आदि के तो भाव गिरते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और दैवी आपदाओं में भी क्षतिग्रस्त होती हैं इसलिये ठोस फसल के रूप में गन्ने को ही वह पसन्द करता है, लेकिन उधर उसकी पेराई के समुचित साधन न होने के कारण वह बराबर निराश होता चला जाता है । मिलों की क्रशिंग कैपेसिटी कम होने के करण पूरा गन्ना नहीं मिलता फलस्वरूप प्रदेश में गन्ने में आग लगायी जा रही है । इतना गन्ना

[श्री नौनिहाल सिंह]

खड़ा हुआ है कि अधिकारियों की रिपोर्ट तो जून तक की है लेकिन मैं समझता हूं कि जुलाई तक भी अगर फैक्टरियां चलायें तब भी गन्ना नहीं पेर पायेंगी और आग की भेंट चढ़ाना होगा। यही राष्ट्रीयकरण ही हमारे बड़े उद्योग के ह्रास का कारण है और उससे जो स्थिति पैदा होती है वह इतनी गम्भीर है कि हमारा प्रदेश उद्योगों के मामले में बहुत पिछड़ा चला जा रहा है।

श्रीमन्, दूसरे प्रदेशों में जो स्टैम्प ड्यूटी लगायी जाती है वह केवल ढाई सौ होती है जबकि उत्तर प्रदेश में २२०० रुपया है। दूसरे प्रदेशों में जो बड़े उद्योगों को बिजली दी जाती है वह ४ पैसे पर यूनिट है और हमारे प्रदेश में ७ पैसा है। यह भी मान्यवर, एक बड़ा कारण है कि जितने व्यापारी तो वहीं अपना उद्योग लगाना पसन्द करते हैं जहां उनकी पूंजी कम लगे और लाभ ज्यादा हो।

लघु उद्योगों के बारे में यदि हम देखें तो हमारे प्रदेश ने कोई तरक्की ऐसी नहीं की है, परन्तु लघु उद्योग ऐसा साधन है जो देश की बेकारी की समस्या को हल करने का एक मात्र तरीका है। परन्तु सबसे बड़ी कमी जो प्रदेश में उनको बढ़ावा देने के लिए रुकावट है वह यह है कि सरकार द्वारा जो सुविधायें दी जाती हैं उनका जनता में प्रचार नहीं हो पाता, देहाती जनता उनको नहीं समझ पाती, या उसको ज्ञान नहीं हो पाता कि हमारी सरकार किन-किन लघु उद्योगों को बढावा दे रही है। यह जिम्मेदारी, मैं समझता हूं कि सूचना विभाग की अधिक है। क्योंकि यदि इसका जन-व्यापक प्रचार हो तो गांव में भी काफी आदमी लघु उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित किये जा सकते हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, बड़ी जल्दी समय हो गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको १३ मिनट हो गये बोलते हुये। दो मिनट और हैं।

श्री नौनिहाल सिंह--

मान्यवर, यह मेरा पहला मौका है।

श्री उपाध्यक्ष--

दो मिनट और लें लीजिये, आपका यदि पहला मौका है।

श्री नौनिहाल सिंह--

दूसरी चीज यह है कि लघु उद्योग के लिये, यदि हम बड़े उद्योग से उसकी तुलना करें तो बड़े उद्योगों में ८ रुपया लगाकर एक रुपया लाभ होता है और लघु उद्योग में दो रुपया लगाकर एक रुपये लाभ होता है, इसलिये लघु उद्योग की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

तीसरी चीज कृषि है, उसकी उन्नति ४-५ बातों पर निर्भर हो गयी है। पहले तीन बातें थीं। खाद, बीज और पानी, एक चौथी चीज है टेक्निकल ज्ञान, वह भी उसमें शामिल हो गया जिसके बिना कृषि उन्नत होना बहुत ही मुश्किल है। खाद, बीज और पानी की कठिनाइयों की तरफ आप देखें तो हम बिजली के मामले में इतना पिछड़े हुये हैं कि यदि हम पानी के लिये बिजली लेना चाहते हैं तो हमें ९ खाइयों को पार करना पड़ता है। मान्यवर, वह ९ खाइयां यह हैं जो किसान को पार करनी होती हैं। पहले तो एप्लीकेशन दी जाती है, फिर वह १ या डेढ़ महीने में मंजूर होती है। इसके बाद सर्वे होता है, फिर स्टीमेट होता है, इसके बाद ऐग्रीमेंट होता है, फिर लाइन खींची जाती है इसके बाद ट्रांसफर मिलने की बात होती है। फिर मीटर मिलता है और तब जाकर कनेक्शन देने की बात होती है। तो श्रीमन, ये ९

खाइयां हैं जिनको पार करना पड़ता है। और किसान का घोड़ा मुश्किल से छलांग मार पाता है। जिसकी पहुंच होती है उसको कनेक्शन पहले मिल जाता है। तो मेरा निवेदन है कि इसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये ।

श्रीमन्, ट्रांसपोर्ट के बारे में २ मिनट कहना चाहूंगा । कोई भी सदस्य इस बात से इनकार नहीं करेगा कि जो बस कूपन हम लोगों को दिये गये हैं उनको इस्तेमाल करने में कितनी परेशानी होती है। रेलवे के पास के इस्तेमाल करने में इतनी परेशानी नहीं होती । तो मान्यवर, क्या माननीय सदस्यों को यही काम रहा गया कि एक एक पैसे के कूपन के लिये दस्तखत किया करें । सरकार इसकी व्यवस्था करें ।

मान्यवर, मैं इतना कह कर, जो बजट पेश किया गया उसका समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णकांत (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री कृष्णकांत---

मान्यवर, यह जो बजट पर चर्चा के लिये समय दिया जा रहा है वह बहुत कम है। हर सदस्य अपनी बात कहना चाहता है परन्तु समय के अभाव के कारण वह अपनी पूरी बात कह नहीं पाता है। तीन दिन से उठा बैठी कर रहा हूं और बोलने के लिये समय नहीं मिल रहा है। बहुत से सदस्य तो निराश हो कर चले जाते हैं तो कृपया इसकी व्यवस्था करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आप ही लोग तय करते हैं । अगर एक महीना आप बहस के लिये रखें तो मुझे क्या एतराज होगा ।

(व्यवधान)

श्री गिरजाशंकर (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि जैसे एक सत्तारूढ़ पक्ष का व्यक्ति बोलता है उसके बाद आप विरोधी पक्ष के कई सम्मिलित दलों में से किसी एक को बोलने का अवसर देते हैं । तो क्या आप इस पर व्यवस्था देंगे कि जिनकी संख्या ज्यादा है उनको बोलने का मौका ज्यादा मिले ?

(व्यवधान)

एक सदस्य---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब से वाद विवाद शुरू हुआ है जनसंघ के सदस्यों को बहुत कम मौका मिला है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं निवेदन कर दूं, जनसंघ की बेंच बिल्कुल खाली थी और जो एक सदस्य जनसंघ के बैठे थे श्री विजय बहादुर सिंह वह पहले बोल चुके थे ।

श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बजट के सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं और इसलिये और अधिक आभारी हूं कि इस वर्ष पहली बार मुझे बोलने का अवसर मिला हैं । खेतिहर मजदूरों के लिये भूमिहीनों के लिये

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य बार बार मेरे पास आने की कोशिश करते हैं संसदीय पद्धति के अलावा कोई पद्धति अपनाना चाहते हैं उन्हें मैं हरगिज बोलने का मौका नहीं दूंगा। आप लोग बैठ जायं और श्री श्याम लाल जी को बोलने दें।

श्री श्याम लाल—

खेतिहर मजदूरों के लिये, भूमिहीनों के लिये यह निराशा का बजट है और इसमें गुप्ता मंत्रि मंडल का बजट दोहराया गया है। इस बजट में अलाभकर जोतों की सीमा में कमी की गई है। मान्यवर, यह बजट सामन्ती बजट है। यह बजट गरीबों के लिये कल्याणकारी नहीं है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में १९६२ और ६३ में भौगोलिक क्षेत्रफल जहां ७४४ लाख एकड़ का था। ६६ में २० लाख एकड़ घट कर ७२४ लाख एकड़ रह गया। उत्तर प्रदेश में जहां ५०,७१७ एकड़ कृषि भूमि योग्य है में सिर्फ ४५,३०३ एकड़ पर खेती होती है, और ९,४१४ हजार एकड़ जमीन ऊसर, बंजर और परती है, उसमें हिसाब लगाकर देखा जाय तो ३ एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से ४१ लाख परिवारों को भूमि मिल सकती है और उसकी जीविका चल सकती है। उनके अन्दर जमीन बांटी जा सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां २२ वर्षों के अन्दर कानून की तिकड़म बाजी करके कानून के धनी लोग हमेशा सरकार के अन्दर रह कर के जिस तरीके से तिकड़मबाजी करते आये हैं, जिस तरह से लोगों को शब्द जाल में फंसाते आये हैं, जिस तरह से हमेशा लोगों को भूलभुलइया में रखते आये हैं। वही तिकड़म इसमें खेला गया है।

श्रीमान् उत्तर प्रदेश में एक प्रथा प्रचलित रही है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े इलाके के अन्दर हमारी मातायें और बहिनें दिवाली के दिन सुबेरे सूप और बेना लेकर निकलती हैं और दलिद्दर खेदती हैं। डंडे से पीट-पीट कर कहती हैं ईश्वर आये और दलिद्दर जाये। कितने दिन हो गया दलिद्दर गया नहीं है। यह प्रथा प्रदेश के पिछड़े इलाकों के अन्दर पांच-छः हजार वर्षों से चली आई है। मैं समझता हूं कि इसी तरीके से नकली समाजवाद का रट लगाकर गरीबों को गुमराह किया जाता है, पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह किया जाता है, किसानों को गुमराह किया जाता है। यह अधिक दिन तक चलने वाला नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह का नाटक हिन्दुस्तान के अन्दर कलंकी धनियों ने बहुत खेला है। मैं आज एक-एक करके कहना चाहता हूं। जिस समय उत्तर प्रदेश के अन्दर जमींदारी तोड़ी गई उस समय उत्तर प्रदेश में ३०-३५ लाख एकड़ जमीन निकली थी और ग्राम समाज के सुपुर्द की गई थी, ग्राम पंचायतों के सुपुर्द की गई थी कि यह जमीन भूमिहीनों, हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों में बांटी जायगी। उस जमीन का क्या हुआ? आज तक सरकार के पास कोई लेखाजोखा नहीं है। उसी तरह सीलिंग कानून के बनने के पहिले जनता से कहा गया कि १४ लाख एकड़ जमीन सीलिंग से निकलेगी और धीरे-धीरे १४ लाख एकड़ से घट कर कभी १० लाख एकड़ कभी ८ लाख एकड़ कभी छः लाख एकड़ और कभी चार लाख एकड़ की बात कही गई। मैं श्रीमन् आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक उस जमीन का बटवारा नहीं हुआ और इस तरह की बात बराबर की जाती रही है। उस समय गरीब जनता का यह सपना था कि जब जमींदारी टूटेगी तो उससे हम गरीबों का भला होगा और उनको जमीन मिलेगी। परन्तु मान्यवर, हुआ क्या? गरीबों का तो खून चूसा गया और उसका भला मिल गया उन बड़े लोगों को। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जमींदारी को तोड़ने का नाटक किया गया और गरीबों के ऊपर १० गुना लगान थोपा गया और उस धन को लेकर सारी की सारी रकम, बड़े बड़े जमींदारों और सामन्तों को मुआवजे के रूप में दे दी गई, बांट दी गई और उससे गरीबों का कोई भी पुर्सेहाल नहीं रहा।

इसी प्रकार से यह भी कहा गया कि चकबन्दी की जायेगी और जो छोटे २ खेत होंगे उसको एक जगह चक दे दिये जायेंगे और सहकारी खेती होगी। उससे खेतों में सिंचाई की पूरी सुविधा

प्राप्त हो सकेगी। बराबर की साझेदारी में खेती का विकास होगी। इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि चकबन्दी के अन्दर जिस तरीके से गरीबों का, छोटे-छोटे काश्तकारों का, मजदूरों का हनन किया गया, उनके चकों पर डकैती डाली गई, वैसा उदाहरण आपको सारी दुनिया के अन्दर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चकबन्दी के पहले जिन गरीब काश्तकारों के पास १ या डेढ़ एकड़ भूमि थी आज वह घट कर पौना या आधा बीघा भूमि रह गई है। सरकार ने इसी प्रकार से उन गरीबों की दशा को सुधारने का दावा किया। साथ ही जिन बड़े-बड़े काश्तकारों या सामन्तों के पास ५०० एकड़ भूमि थी, आज वह बढ़ कर ७०० या ८०० एकड़ हो गई है। उन गरीबों की सारी भूमि बड़े-बड़े जमींदारों के पास आ गई है। उन बड़े-बड़े लोगों ने बेचारे गरीब काश्तकारों की भूमि को अपने नाम से करवा लिया है, दर्ज करवा लिया है। साथ ही इस चकबन्दी में यह भी हुआ है कि जो बंजर और खराब भूमि थी वह तो बेचारे गरीबों के पास आ गई है और जो अच्छी और उर्वरा भूमि थी उसको उन बड़े-बड़े जमींदारों ने अपने नाम से लिखवा लिया है। जो जो ज्यादतियां इन छोटे छोटे काश्तकारों और मजदूरों पर की गई हैं, आज उनमें से बहुत अधिक भूमिहीन हो गये हैं, उनकी कमर टूट गई है। आज जिस गांव में आप चले जायं, आप देखेंगे कि हरिजन आबादी की सारी की सारी जमींनें भूतपूर्व जमींदारों के चकों में दर्ज हो गई हैं। उनको हर तरह से दबाया जा रहा है और जमींदारों के इस अत्याचार में हमारी सरकार भी जमींदारों का साथ देती है। आज यह लोग गरीबों को हर तरह से परेशान कर रहे है, दबा रहे हैं और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको इस तरह से दबा दिया जाता है कि उसका फिर मुंह ही न खुल सके। सरकार ने इस तरह की कोई बात नहीं सोची और गरीबों पर कोई ध्यान नहीं दिया साथ ही उनके हिफाजत के लिये कोई भी कानून नहीं बनाये। आज गरीब आदमी इन जुल्मों से घबरा कर गांव को छोड़ कर जा रहा है, शहरों की तरफ। जहां पर वह कुली कबाड़ी बन कर फुट पाथों मर सो कर अपना नारकीय जीवन व्यतीत कर रहा है। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन अवश्य ही आयेगा जब वह मतवाला हो जायेगा और सरकार और उसके सारे कानूनों को उखाड़ फेंकेगा। वह अवश्य ही यहां पर एक इन्कलाब लायेगा।

जब माननीय गुप्ता जी का मंत्रिमंडल था उस समय अलाभकर जोतों की बात की जा रही थी। बी० के० डी० के लोग भी उस समय कहा करते थे कि जब हम आयेंगे तो लगान माफ कर देंगे, भूमि को मुक्त कर देंगे और इसी प्रकार की न जाने कितनी दलीलें दी जाती थीं। चौधरी साहब को इस बात का अवश्य ख्याल होगा कि अलाभकर जोतों के बारे में उन्होंने भी क्या कहा था। अधिकतम जोत की जो सीमा चौधरी साहब कहते थे उससे वे पीछे हट गये हैं। सवा ६ एकड़ तक लगान माफ करो, हमारी यह मांग है। पहले चौधरी साहब की ओर से यह दलील दी जाती थी उस समय कि किसान के पास रसीद नहीं होगी तो उसका मालिकाना हक समाप्त हो जायेगा। इस सम्बन्ध में मैंने यह कहा था और फिर कहता हूं कि गांवों में बगीचे तथा मकानों की कोई लगान नहीं होती फिर भी उसका मालिकाना हक उस पर होता है। इस प्रकार से यह बेबुनियाद दलीलें हैं जिनको गलत ढंग से बताया जाता है। यह कहना कि रसीद नहीं रहेगी तो किसानों के पास क्या सबूत रहेगा। आज यह सारी बातें उनके सामने आ रही हैं और अब वह मानने के लिये तैयार होते जा रहे हैं। उसी तरह से किसानों को पास बुक देने वाली बात थी। लेखपालों के द्वारा तहसीलों में भ्रष्टाचार होता था। एक एक नकल के लिये, खसरा-खतौनी की नकल के लिये दो-दो सौ रुपया देना पड़ता था और गरीबों को लूटा जाता था। हमारी पार्टी के लोगों ने, हमारे दल के नेताओं ने कहा था कि किसानों को पास बुक दी जायं। गुप्ता मंत्रिमंडल ने जहां तीन रुपये की बात कही, हम इस मामले में चौधरी साहब को मुबारकवाद देंगे, उसको घटा कर उन्होंने एक रुपया कर दिया। यदि आप देश प्रदेश के अन्दर चाहते हैं कि गरीबी खत्म हो, बेकारों की फौज खत्म हो, गरीबों, भूमिहीनों और हरिजनों में जमीन का बटवारा हो, तो आपको नये सिरे से सोचना होगा, नये सिरे से काम करना होगा।

श्रीमन्, सीलिंग की बात कही जाती है। बार-बार उसका जिक्र करके भूतपूर्व जमींदारों को इतना सजग कर दिया गया है कि वे सारी की सारी जमीन बेटे, बेटी, नाती, नातिन और परिवार

[श्री श्याम लाल]

के दूसरे लोगों के नाम से वे लिख मारे हैं, और फिर अब सरकार कहेगी कि जमीन नहीं है। श्रीमन्, इस सदन के अन्दर गरीबों के वोटों को लेकर और पूंजीपतियों के नोटों को फेंक कर वही लोग आते हैं जो भूतपूर्व जमींदारों की वकालत करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। गरीबों के कल्याण के लिये कोई कानून नहीं बन पाता।

श्रीमन्, अपने जिले के बारे में भी दो चार बातें कहना चाहता हूं। आजमगढ़ जिले में भ्रष्टाचार जोरों पर है। वहां असन्तोष का वातावरण है। वहां के पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह जिस तरह से थानाध्यक्षों को मिलाकर काफी रकम हासिल कर रहे हैं उस तरह की मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के लड़के डकैतों के गिरोह में शामिल हैं। वहां कोई ऐसा थाना नहीं है जहां दिन रात में आठ नौ डकैतियां, कत्ल और राहजनी न होती हों और ऐसी घटनायें न होती हों। नागरिक जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। पुलिस थानों के अन्दर डकैतों को पनाह मिलती है। पुलिस की उन पर छत्रछाया रहती है और उनके यहां बैठ कर वह डकैती की योजना तैयार करते हैं। डकैती की धनराशि में पुलिस का हिस्सा होता है। यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। इसलिये पुलिस के भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिये।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ६ अप्रैल को संसोपा प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली में हमला किया गया, लाठियां बरसायी गयीं। उसमें मैं भी बुरी तरह घायल हुआ था। १८-१९ दिन तक लगातार प्लास्टर बंधा रहा, मुंह से खून आता रहा। जब इस प्रश्न को लेकर विधान सभा के अन्दर हम लोगों ने नियम ५१ की नोटिस दी तो हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, पी० ए० सी० और सी० आई० डी० ने संसोपा विधायकों को दिल्ली में पहचनवा पहचनवा कर पिटवाया, और इसमें चौधरी साहब की इन्दिरा सरकार से सांठ-गांठ रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार पर अंकुश आपके माध्यम से न लगाया गया, सरकार को मजबूर न किया गया कि वह सही रास्ते पर आये तो एक दिन ऐसा आयेगा कि उनको मजबूर होकर झुकना होगा। हम जानते हैं और हमको डा० लोहिया ने बताया था कि हमको सिविल नाफरमानी हो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम इसको मानते हैं। हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहते लेकिन जब मजबूर होंगे तो हम यह भी करने के लिये विवश हो जायंगे। इसलिये मेरा उपाध्याय महोदय, यह निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की सारी चीजों को देखते हुये, उत्तर प्रदेश की अराजकता की स्थिति को देखते हुये, उत्तर प्रदेश की भूमिहीनों की स्थिति को देखते हुये और उत्तर प्रदेश में हरिजनों की स्थिति को देखते हुये इस चीज को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। सरकार को सोच कर एक क्रान्तिकारी कदम उठाना होगा। इन शब्दों के साथ इस बजट का विरोध करता हूं।

श्रीमती सरस्वती देवी (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। यह बजट समाजवादी व देश के उत्थान का बजट माना गया है क्योंकि इस बजट को समाजवादी लोगों ने बनाया है लेकिन यह बजट इसके विपरीत भावना का है। इसमें गरीब किसानों, मजदूरों और हरिजनों के उत्थान के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसमें कहीं-कहीं वित्त मंत्री जी ने जनहित की बात रखी है इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। मालूम होता है यह बजट वित्त मंत्री जी ने स्वच्छ प्रशासन की सरकार के सामने अपनी भावना को दबाकर पेश किया है। वैसे तो हमारा सारा प्रदेश ही पिछड़ा हुआ है लेकिन इसमें पूर्वी जिले, बुन्देलखंड और पर्वतीय जिलों के बारे में विकास की बात कही गई है। मान्यवर, मैं पर्वतीय उस पिछड़े क्षेत्र से चुनकर आती हूं जहां पर हमारे प्रदेश की सीमा है वहां पर आवागमन के साधन पैदल मार्ग तक बिलकुल नहीं है। इससे आप उस इलाके का पिछड़ेपन की दशा का अन्दाजा लगा सकते हैं। वहां पर समय समय पर अकाल की समस्या भी पैदा होती है जिससे लोगों को भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अधिकतर उस इलाके के लोग सेना में है और बाकी

लोग मैदानी इलाके में मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करते हैं। पर्यटन की दृष्टि से वहां पर रोड का होना जरूरी है। कर्मी–बधि याकोट औ र लोहार खेत–पिंडारी गर्मी के दिनों में पर्यटकों के लिये वह बहुत सुन्दर स्थान है। पिंडारी ग्लेशियर हमारे देश का एक दर्शनीय स्थान है और वहां की ऊंचाई लगभग १३ हजार फिट से ऊपर है। वहां र बहुत से पर्यटक गर्मी के दिनों में देश तथा विदेशों से आते हैं उन्हें यातायात के साधन न होने की वजह से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है भोजन व विश्राम की कोई सुविधा नहीं मिलती है। उन पर्यटकों को २-२, ३-३ मील की दूरी पर पीने के लिये पानी मिलता है। श्रीमन्, पेय जल की कठिनाई हमारे पूरे जिले में है। हमारे जिले अलमोड़ा में खरही पट्टी है जहां की आबादी १०, १२ हजार है वहां पर पेय जल की नितान्त आवश्यकता है। वहां से २, ३ मील के फासले पर नीचे सरयू नदी है जहां से इस पेय जल की समस्या को हल किया जा सकता है। सरकार इस पर ध्यान दे तो यह समस्या हल हो सकती है।

श्रीमन्, मैं उस इलाके के कुछ पुलों के बारे में आपसे निवेदन करना चाहती हूं। उस क्षेत्र में छोटी बड़ी कई नदियां हैं। उन नदियों के आर-पार कई गांव बसते हैं। उनके आर-पार कई स्कूल प्राइमरी शिक्षा के, जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा के और हाई स्कूल की शिक्षा के हैं तो इस कारण बच्चों को नदी के इस पार और उस पार अपनी शिक्षा के लिये जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में ये नदियां भयंकर रूप धारण कर लेती हैं जिसमें कई बच्चे हर साल बह जाते हैं। दो महीने तक बरसात के दिनों में वहां पर यातायात का रास्ता बिलकुल अवरुद्ध हो जाता है। जनहित की दृष्टि से इन पुलों का बनाना नितान्त आवश्यक है। मैं इन पुलों के नाम भी बताये देती हूं। पिंडर नदी पर किलपारा में पुल हरसीला के पास सरयू नदी का पुल। बमराड़ी के पास गोमती नदी का पुल। सोमेश्वर में कोसी नदी पर पुलों की उस इलाके में बहुत ही सख्त जरूरत है। श्रीमन्, लोहार खेत के पास सुड़िंग गांव धस रहा है सरयू से कटता जाता है। सन् ५७ की बाढ़ में उसी के पास का गांव बह गया था। ५० आदमी और कई पशु पानी में बह गये थे। श्रीमन्, उन ग्रामवासियों का जीवन खतरे में है। उस क्षेत्र का और उस गांव का मैंने स्वयं दौरा किया है, वहां के मकान टेढ़े हो गये हैं और उनमें दरारें पड़ गई हैं। मैं चाहती हूं कि वहां के ग्रामवासियों को कहीं अन्यत्र बसाने की योजना शीघ्र बनाई जाय और उनको भूमि तथा आवास सुलभ कराये जायं। सन् ५७–५८ में सरकार द्वारा वहां का सर्वेक्षण करा के घोषणा की गयी थी कि यह गांव धंस जायगा और वहां के निवासियों को कहीं पर अन्यत्र बसाया जायेगा लेकिन आज १३ साल का समय बीत गया है सरकार ने वहां के ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त पर्वतीय जिलों में अधिकतर भूमिहीनों की समस्या है और वहां अधिकतर भूमिहीन लोग हरिजन ही हैं सरकार की घोषणा के द्वारा १ लाख ७० हजार एकड़ भूमि भूमिहीनों को दी जायगी। मेरा सुझाव है कि उसमें हरिजनों को प्राथमिकता दी जाय। इसके अतिरिक्त पहाड़ी प्रदेश के जिलों की शिक्षा के विषय में भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। पर्वतीय जिलों में शिक्षा की विशेष सुविधायें दी जानी चाहिये क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है कि जिससे वहां के लोगों की रोजी-रोटी की समस्या हल हो सकती है, वहां पर न कोई बड़े उद्योग धन्धे हैं न कोई कल कारखाने हैं जिससे वहां की गरीब जनता की रोजी-रोटी की समस्या हल हो सके। पिछले वर्ष पर्वतीय विश्वविद्यालय की बात कही गई लेकिन इस बजट में उसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है, वहां एक पर्वतीय विश्वविद्यालय होना चाहिये। चाहे वह गढ़वाल मंडल में हो या कुमायूं मंडल में हो। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में डिग्री कालेजों की बहुत आवश्यकता है, इंटर पास करने के बाद मैदानी क्षेत्रों में अभिभावकों को अपने बच्चों को पढ़ाने को भेजना पड़ता है और गरीबी के कारण वह ऐसा कर नहीं सकते और इस तरह से वहां के होनहार बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं मेरे क्षेत्र बागेश्वर में ५–६ इन्टर कालेज हैं। इस वास्ते बागेश्वर में एक राजकीय डिग्री कालेज होना बहुत आवश्यक है। श्रीमान पिछली एस० बी० डी० सरकार के समय में जब श्री प्रताप सिंह जी यहां स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने वादा किया था और घोषणा की थी कि बागेश्वर में एक सरकारी अस्पताल खोला जायगा और जनता ने भी उत्साह के साथ

[श्रीमती सरस्वती देवी]

वहां उसके लिये ३२ हजार रुपया तत्काल चन्दे द्वारा जमा किया था तथा मंत्री जी को दिया था। पता नहीं कि उस ३२ हजार रुपये का क्या हुआ और वहां अस्पताल भी आज तक नहीं खुल सका। उस पिछड़े हुये क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधा के लिये एक सरकारी अस्पताल का बागेश्वर में खुलना बहुत जरूरी है।

पहाड़ी जिलों में बिजली का भी पूर्णतः अभाव है, वहां पर शहरी भागों को छोड़ कर अन्यत्र बिजली का नितांत अभाव है और वह नहीं के बराबर है। वहां ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधा मिलना चाहिये। इस बजट में इन सभी बातों का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करती हूं। धन्यवाद।

*श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सामयिक उपयुक्त एवं सराहनीय बजट है। संक्षेप में यदि मैं यह कहूं कि उन्होंने इस में गागर में सागर भरने की चेष्टा की है तो वह अत्युक्ति न होगी। अनुदानों की अवधि बढ़ाने की प्रणाली को स्वीकार करके जो कदम उन्होंने उठाया है उससे जो अनुदान मार्च के मास में रिलीज होते थे और आज भी होते हैं अगर उसी मास में उन को खर्च करने के आदेश भी दिये जाते हैं, उसमें बड़ा आभारी अपव्यय होता था, जल्दी में सामान खरीदा जाता था और ऐसा सामान जिसकी जरूरत भी नहीं होती जल्दबाजी में खरीद लिया जाता था और इस तरह से एक प्रकार का बहुत बड़ा नेशनल वेस्टेज जिसे कहते हैं यानी राष्ट्रीय क्षति होती थी। लेकिन अब माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह नई प्रणाली अपनाई है उससे मैं समझता हूं कि अपने प्रदेश को बड़ा लाभ पहुंचेगा।

४२ हजार रुपये तक की आय पर कोई वृत्ति कर नहीं लगाया। इससे जो हमारे निम्न आय के लोग हैं, कम आय के लोग हैं, उनको भी लाभ पहुंचेगा। श्रीमन्, इसी प्रकार से फर्टिलाइजर से सेल्स टैक्स की जो माफी दी गयी है वह भी किसानों के लिए बड़ी हितकारी साबित होगी लेकिन इन सब बातों के बावजूद इसमें भी कुछ कमियां रह गयी हैं, उनकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना अपना फर्ज समझता हूं।

सबसे पहले मैं बिक्री कर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। इस प्रदेश में बिक्री कर पंजीकृत व्यापारियों को बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ रही है। यहां के व्यापारी इतने निराश हैं कि बिक्रीकरण की जटिलताओं के कारण ऐसी इच्छा होती है कि अपना व्यापार बन्द कर दें। यह अपने प्रदेश के लिये बड़ी शर्मनाक बात है। इस समस्या का समाधान इस सरकार को तुरन्त करना चाहिये।

इसके बाद मैं इस सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि बिक्रीकर में पंजीकृत व्यापारी जो उत्तर प्रदेश में जब वह अपना माल दूसरे किसी व्यापारी को जो स्वयं भी बिक्री कर में पंजीकृत है, बेंचता है तो उससे भी सेल्सटैक्स चार्ज करता है। यह पंजाब, मद्रास, दिल्ली और वैस्ट बंगाल में नहीं देगा लेकिन आश्चर्य है कि पिछले २० वर्षों से यह प्रणाली अपनाई जा रही है और उससे उत्तर प्रदेश के व्यापार को बड़ा धक्का लगता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो मैन्युफैक्चरर्स, उत्तर प्रदेश के अन्दर अपना माल बना रहे, जब वे उत्तरप्रदेश के अन्दर बेंचते हैं तो उस पर १० या ७ प्रतिशत सेल्सटैक्स चार्ज करते हैं । उत्तर प्रदेश क अन्दर मैन्युफैक्चरर्स अपना सामान नहीं बेंच पाते हैं और बाहर जाते हैं और यहां क व्यापारी बाहर से अपना सामान मंगाते हैं, तो जो इसमें बड़ी कठिनाई होती है उसका समाधान होना चाहिये ।

बिक्री कर की अधिकतम सीमा १२ हजार रुपये पिछले २० वर्षों से चली आ रही है । मतलब यह है कि १२,००० रुपये तक की बिक्री पर कोई बिक्रीकर नहीं लगेगा । पिछले २० वर्ष से यह प्रथा चली आ रही है । गत २० वर्षों में हर चीज के दाम में बहुत बड़ी वृद्धि हुयी है । जो वस्तु १९५० में १ रुपये की आती थी वह अब ३ या ४ रुपये में आती है लेकिन बिक्री कर की सीमा वही २०,००० चली आ रही है जब कि उसको कम से कम ४८ हजार होना चाहिये था । यदि इतना भी नहीं तो कम से कम ३० हजार की लिमिट होनी ही चाहिये थी ।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिक्री कर जमा होने के बावजूद भी, आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है, कि बिक्री कर के कार्यालय से वारंट और कुर्की के आदेश इशू हो जाते हैं और कहा जाता है कि आपने जमा नहीं किया है जबकि उस व्यापारी ने बिक्री कर का कुल रुपया जमा किया होता है । जब यह भी सिद्ध हो जाता है कि गलत कुर्की हुयी है तब अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध कोई ऐक्शन नहीं लेते हैं । दूसरे यह भी देखने में आता है कि जो छोटे या निम्न वर्ग के लोग हैं, उनकी कुर्की करा ली जाती है लकिन जो बड़े लोग हैं, मिल मालिक हैं, जिनके ऊपर लाखों और करोड़ों रुपया रहता है, उनके दरवाजों पर बैठे हुए दरबान, उनको सलाम करके कुर्की के वारन्ट को वापस ले आते हैं, उनकी कुर्की नहीं होती है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार को इस ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिये ।

श्रीमन्, एक कठिनाई और है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जब से सेंट्रल सेल्सटैक्स लगा है एक फार्म 'सी' होता है। जब यहां क व्यापारी बाहर से सामान मंगाते हैं, अगर यह फार्म सेल्स टैक्स से इशू नहीं होता है तो उसके बिना व्यापारी अपना माल नहीं छुड़ा पाते हैं और रेलवे की बिल्टी पर डैमरेज देना पड़ता है तो बिना रिश्वत के उन्हें फार्म 'सी' नहीं मिल पाता है । ऐसा आदेश होना चाहिये कि व्यापारी को जैसे ही वह मांगता है फार्म 'सी' तुरन्त मिलना चाहिये । वह फार्म नहीं दिया जाता है इसलिये भी मे आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन्, अच्छा तो यह हो कि····

चुनाव के झगड़ों के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे । इस समय चार बज गये हैं । आज नियम ५६ के अन्तर्गत दो कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें मिली हैं । यह कार्य स्थगन प्रस्ताव चुनाव के संबंध में है । चुनाव में झगड़ा वगैरह व रुकावट डालने के प्रयत्न किये गये हैं । एक रामधारी शास्त्री का है और दूसरा है श्रीइन्द्रजीत तथा अन्य सदस्यगणका है । तो चूंकि यह विषय चुनाव का है और इसमें इलेक्शन पिटीशन भी हो सकती है । अगर उसके लिये यहां डिस्कशन होता तो सबूत तैयार हो जाता है कि हमने यह कहा था और उन्होंने यह कहा था । इसलिये यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकते ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

इसके अतिरिक्त नियम ५१ में कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं । पहला श्री शम्भू नाथ चौधरी का है । वे कहते हैं कि विक्टोरिया काटन मिल, कानपुर को वर्तमान सरकार नियंत्रण में रखने से कतरा रही है जिससे चार हजार मजदूरों के बेकार होने की संभावना है । उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने दस लाख रुपये की मदद भी दी थी और अब की सरकार इनको लेने से कतरा रही है । तो इस पर माननीय मंत्री वक्तव्य दे दें । क्योंकि अगर नहीं दिया जाता है तो बहुत से लोग बेकार हो जायेंगे । दूसरा प्रस्ताव श्री चेतराम गंगवार का है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिला बरेली में कन्या महाविद्यालय, भूड तथा कुंवर दयाशंकर ई०एम० इंटर कालेज भ्रष्टाचार, कुप्रबन्ध के कारण तथा अध्यापकों के कई महीने से वेतन न मिलने से बन्द है और वहां इम्तहान नहीं हुये । इस पर वक्तव्य के लिये शिक्षा मंत्री ने पहले के लिये २२ तारीख रक्खी है और दूसरे के लिये २५ तारीख । तीसरा प्रस्ताव श्री कृष्णस्वरूप वैश्य और श्री हरिनाथ तिवारी की ओर से है जिसमें उन्होंने कहा है कि फैजाबाद जिले में लू लगने से कुछ आदमी मर गये हैं । लू के केसेज कई जगह हुये हैं । एक-एक केस लू लगने का मैं वक्तव्य के लिये नहीं दूंगा । अगर इस तरह के कई केसेज एक साथ आ जायेंगे तो मैं संबंधित मंत्री को वक्तव्य देने के लिये कहूंगा । चौथा प्रस्ताव श्री हुकुम सिंह परिहार का है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सीतापुर जिले में नरभक्षी जानवरों ने ३०० बच्चे खा लिये हैं । इसी तरह से मैं समझता हूं कि श्री शचीन्द्र नाथ ने भी कहा था । दोनों इकट्ठे कर लिये जायेंगे और उस पर संबंधित मंत्री वक्तव्य दें पांचवां प्रस्ताव श्री हरिवंश सहाय का है । अग्नि कांडों के विषय में मैं समझता हूं कि इसके लिय वक्तव्य देन की जरूरत नहीं है । प्रश्न पूछ कर ही इसे हल कर सकते हैं ।

छठा प्रस्ताव श्री हरी सिंह बिष्ट आदि का है जिसमें आदमखोर बाघ का एक वर्ष से प्रकोप बताया गया है और ५६ आदमियों की जानें गई हैं । इस पर प्रश्न पूछ लें तो ठीक हो जायेगा ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मैंने जो सूचना दी थी . . .

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना स्वीकर कर दी है वक्तव्य के लिये . . . .

श्री चेतराम गंगवार--

श्रीमन्, सुनाई नहीं देता है । पता नहीं आपका माईक खराब हो गया है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसे स्वीकार कर लिया है ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, हम और आप चुनाव पेटीशन के बारे में कोई विचार करने नहीं जा रहे हैं । मथुरा के चुनाव हो रहे हैं हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं । कोई हमारी तरफ से क्रांतिवाली बात नहीं हो रही है। हमारी तरफ से कोई हिंसा वाली बात नहीं हो रही है, लेकिन अपने प्रांत में जो भारतीय क्रांति दल की सरकार है, अगर उसके लोग हमारी पार्टी के लोगों पर गोली चलायें, तो हम लोग कैसे अपनी रक्षा कर सकेंगे, और आप कैसे अपन अधिकारों की रक्षा करवा सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

चुनाव आप करते हैं । सरकार से वक्तव्य लेंगे तो सरकार तो क्रांति दल की ही है और यह मामला भी उसी दल के लोगों के संबंध में है, तो क्या आप समझते हैं सरकार यह कबूल करेगी कि उनके आदमियों ने यह कर दिया ? इसका मतलब यह होगा कि आप पूछेंगे, बार-बार, उत्तेजित होंगे और सरकार को जो कहना है कहेगी, जिससे वातावरण गर्म होगा और आगे तक भी गड़बड़ी पहुंच सकती है । ऐसी हालत में लाना नहीं चाहता हूं । उससे एलेक्शन पिटीशन के सामने भी दिक्कत पैदा हो सकती है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

ठीक है, श्रीमन्, की जो आज्ञा होगी वह तो हमें माननी ही पड़ेगी, वह हमें शिरोधार्य है । लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूं आपने जो कहा वह दूरगामी परिणाम होगा, पता नहीं एलेक्शन पिटीशन होगा भी । श्रीमन्, वहां पर संसोपा प्रत्याशी की जीप में गोली मारी गई, मनीराम बागड़ी का प्रचार करने वाली जीप पर. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप इसके लिये एलेक्शन कमिश्नर को लिखें ।

श्री रामधारी शास्त्री—

जीप के टायर में गोली मारी गई और बाद में जब जीप रुक गई तो लाठी डंडे आदि तमाम हथियारों से लैस लोगों ने उसे चूर-चूर कर दिया । वहां एक आतंक की स्थिति है, एक प्रत्याशी को मारने की चेष्टा है। इससे उसके चुनाव पर आधारभूत रूप से बुरा असर पड़ेगा या नहीं ? यह आप सोचें जो हमें सुविधायें हैं, अधिकार हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, वह इससे नहीं होगा । प्रदेश की क्रांति दल की सरकार पर इसकी जिम्मेदारी है, यह सरकार इसमें प्रत्यक्ष रूप से आती है, उसकी विशेष जिम्मेदारी है कि वह शांति व्यवस्था को कायम रखे ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव संचालित हो सके । मैंने लिखा है कि कहा यह जाता है कि गोली मारने वाले और गोली चलाने वाले लोग भारतीय क्रांति दल के समर्थक हैं । मुझे सिवा सदन में इस चर्चा के उठाने के और क्या चारा रह जाता है । इसी प्रकार यदि हमारे तमाम अधिकारों का हनन होता रहेगा तो कैसे हम अपनी बात को कह सकेंगे । यह क्रांति दल की सरकार हर प्रकार से हमें परेशानी और तबाह करना चाहती है । यदि हम अपने अधिकारों की और जनता के अधिकारों की रक्षा यहां बैठकर नहीं कर पायेंगे तो ऐसी हालत में हम विधान सभा में रहकर क्या करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आपने ठीक बात कही कि आपको हैन्डीकैप है। जब सरकार क्रांतिदल की है, जब उसने हमला किया यह आपका आक्षेप है । देश ने यह निश्चय किया है कि चुनाव-कमीशन को एक स्वतंत्र संगठन बनाया जाये और चुनाव कमीशन को देश ने यह अधिकार दिया है कि वह निष्पक्षता से चुनाव कराये, उसके पास बहुत सी शिकायतें पहले ही से भेजी गई हैं और उन्होंने अपने आदमी जांच के लिये भेजे भी हैं और उसकी जांच में रुकावट भी डाली गई है, तो आपको तो कमिश्नर को तार देकर बुलवाना चाहिये, क्योंकि उनका कार्य निष्पक्ष ही होगा । सत्ता के वक्तव्य देने से वह निष्पक्ष ही होगा इस पर आपको विश्वास ही हो जाये तो उससे अच्छी बात क्या होगी, किन्तु सरकार निष्पक्ष कह रही है इस पर शायद ही आपको विश्वास होगा । उस पर आपको शायद विश्वास नहीं होगा ।

श्री रामधारी शास्त्री—

ठीक है, लेकिन चुनाव कमीशन चुनाव को सेट असाइड करेगा या कुछ करेगा लेकिन जीप की क्या मरम्मत करेगा या ला ऐंड आर्डर मेंटेन करेगा ?

श्री अध्यक्ष--

आप गलत समझ रहे हैं । चुनाव के बाद जो पेटीशन होगा उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं ।

श्री रामधारी शास्त्री--

असाधारण स्थिति है । १७ को चुनाव होगा । तीन दिन बाकी हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार को जो भी वक्तव्य देना हो दे । सरकार को वक्तव्य देना चाहिये । उसमें क्या है ? आखिर, कोई चुनाव नहीं लड़ सकेगा उत्तर प्रदेश में ?

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)--

मैंने जो क्वैश्चन दिया था. . . .

श्री अध्यक्ष--

कमीशन जो चुनाव का इन्तजाम कर रहा है, चुनाव निष्पक्ष हो इसका प्रबन्ध कर रहा है। उस कमीशन के पास आप को कम्प्लेंट करना चाहिये । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जब एलेक्शन पेटीशन में यह चीज जायगी तब यह बात होगी । अभी आपको यह करना चाहिये कि उनको कम्प्लेंट भेजें । वहां से किसी को बुलवायें । वह देखे कि इतना अत्याचार हो रहा है ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

नियम ५६ के अन्तर्गत कामरोको प्रस्ताव पांच छः आदमियों की तरफ से है। जैसी शास्त्री जी ने चर्चा की है वह घटना है। साथ ही साथ सुल्तानपुर, टांडा और गोरखपुर में जो चुनाव हो रहा है वहां खुल कर सरकारी साधनों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री गये तो पांच सौ सिपाही लगाये गये । वहां पर सरकारी गाड़ियों और सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है । वहां पर, मथुरा के अन्दर चुनाव में एक उम्मीदवार पर घातक प्रहार किया गया और सुल्तानपुर, टांडा और गोरखपुर में जिस प्रकार बी०के०डी० गलत तरीके से सरकारी साधनों का प्रयोग कर रही है और जनता में आतंक मचा रखा है, उस पर विचार करने के लिये सदन स्थगित कर दीजिये । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें । इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री ने जाकर अधिकारियों को बुला कर, अधिकारियों के सामने कहा है कि भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार श्री जयराम वर्मा को सपोर्ट करें, और गोरखपुर और सुल्तानपुर में कांग्रेस (इंडिकेट) के उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिये सरकारी अधिकारियों से कहा है। इस प्रकार गलत तरीके से सरकारी साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से जनतंत्र नहीं चल रहा है । हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं । आप सदन की कार्यवाही स्थगित करें और माननीय मुख्य मंत्री जी से जवाब तलब करें कि इस प्रकार जो सरकारी साधनों का प्रयोग कर रहे वह कहां तक वाजिब है। इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

कांस्टीट्युशन आफ इंडिया के सेक्शन ३२४ में यह है :

"The superintendence direction and control of the electoral rolls for and the conduct of all elections to parliament and to the Legislature of every State held under this Constitution shall be vested in a Commission (referred to in this Constitution as the Election Commission)".

सुपरिन्टेंडेंटस और उसका कंट्रोल, सभी एलेक्शन कमीशन के हाथ में है । मैं या सदन इसमें पड़ कर निश्चय नहीं कर सकता, न विचार हो सकता है यहां, इसलिये यह चीज उसमें नहीं आयेगी । मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं ।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

अध्यक्ष जी, जो क्वेश्चन मैंने . . . . ।

श्री अध्यक्ष—

बाद में ।

श्री लक्ष्मणस्वरूप—

जो चुपचाप बैठा रहता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता ।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत किया गया है वह केवल चुनाव से ही संबंधित नहीं है, बल्कि ला ऐंड आर्डर का प्रश्न भी उसके साथ जुड़ा हुआ है । मैं स्वयं मथुरा गया था, मुझ को इस घटना की जानकारी भी है । पुलिस थाने में रिपोर्ट भी नामजद करायी गयी है । उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है । उस घटना के अगले दिन माननीय मुख्य मंत्री ने दौरा किया है । दो सभायें उनकी हुई हैं । वहां मने जनता से जानना चाहा था कि क्या माननीय ख्य मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से इस घटना के संबंध में कुछ कहा है, इसका खंडन किया है ? मुझे बताया गया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से जनता के सामने उस घटना का खंडन नहीं किया । इससे साफ जाहिर है कि घटना के दूसरे दिन माननीय मुख्य मंत्री जी वहां जायं और उसका खंडन तक न करें, इससे कैसे जनतंत्र की रक्षा होगी ? कैसे इस तरह से जनतंत्र चल सकेगा ? इसलिये इस प्रश्न को आप इलैक्शन कमीशन पर ही न छोड़ें, चुनाव में बड़ा ही आतंक है, इसलिये इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विवाद के लिये आप समय दें ।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि माननीय सदस्यों ने इस सवाल को, जिसे यहां नहीं उठाना चाहिये था, उठाया । इस चुनाव में सरकारी अधिकारियों को स्पष्ट यह आदेश हैं कि वे किसी भी पार्टी का पक्ष न करें, वे न्यूटरल होकर चुनाव कमीशन की आज्ञा के अनुसार कार्य करें । श्रीमन्, प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री भी जब अपने चुनाव में जाते हैं तो वे प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि पार्टी के नेता की हैसियत से जाते हैं, कार्य कर्ता की तरह जाते हैं । मैं अपने तजुरबे के आधार पर यह कह सकता हूं कि इतने समय तक हम शासन में रहे, मगर कांग्रेस के वोट ही डलवाने में दिक्कत पड़ती रही । बड़े लोग हमेशा ही रुकावटें डालते रहे, वही लोग आतंक पैदा करते हैं । वोट नहीं डालने देते हैं (शोर) भारतीय क्रांति दल, आप (कांग्रेस विरोध पक्ष) हम सब एक ही दल में थे । यह दुर्भाग्य है कि आज उसकी तीन शाखायें हो गयी हैं । (शोर) इस समय सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोरखपुर आदि में चुनाव हो रहे हैं । जो भी पार्टियां चुनाव में दंगा फसाद फैलाती रही हैं वह सब को विदित है, मैं नाम नहीं लेना चाहता । लेकिन जो हमारी नीति है वह सदैव शांतिपूर्ण ढंग से, चाहे हम पर हमला ही क्यों न हो जाय, हम दूसरों पर हमला नहीं करेंगे, चुनाव कराने की रही है । यह सब चुनाव में प्रोपेगेंडा के खयाल से और पिटीशन की ग्राउन्ड तैयार करने के खयाल से किया जा रहा है । बी०के०डी० भी हमारी ही साथी है ।

(व्यवधान—शोरगुल)

बीच में बार-बार टोका जाता है यह उचित नहीं है । इस सदन में जो प्रश्न उठाया गया है वह नहीं उठाना चाहिये था । यह तो इलेक्शन कमीशन है जो यह सब देखेगा । देखने की बात है कि कहीं ला एंड आर्डर खराब होता है तो उसके लिये कानून बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट होगी, जांच होगी और मुकदमा चलेगा । इलेक्शन में अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो उसके लिये कानून बना हुआ है

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

पिटीशन का और इलेक्शन पिटीशन दायर की जा सकती है। लेकिन जब कोई हारने लगता है तो बिना वजह दूसरी पार्टियों पर चार्ज लगाने लगता है। माननीय सदस्यों के पैर हिलने लगे हैं इसलिये मैं कोई कारण नहीं देखता कि यह सवाल यहां पैदा किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने अब इसे खत्म कर दिया है। इस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने जो प्रश्न किया था वह लोक महत्व का है, किस आधार पर रिजेक्ट किया गया है ? पशुओं को जहर दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने रास्ता बतला दिया कि आप लिख कर दें।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

आपने जो आदेश दिया अध्यक्ष महोदय, वह हमें स्वीकार है लेकिन मैं एक जानकारी अवश्य करना चाहता हूं नियम ५८ के अन्तर्गत। यह नियम प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार पर निर्बन्धन से सम्बन्धित है। कार्य स्थगन प्रस्ताव निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन ग्राह्य होगा। इसमें उप नियम (३) में यह दिया हुआ है "प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा।" अब यह घटना मथुरा की है जिसके विषय में यह प्रस्ताव दिया गया है। कोई आदमी इलेक्शन लड़ रहा है और उस पर हमला होता है और सब जानते हैं कि वह चुनाव लड़ रहा है तो वह आदमी क्या यहां का नागरिक नहीं है ? इस विधान सभा का प्रथम कर्त्तव्य है और आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसका तथा हम एम० एल० एज० का भी यह कर्त्तव्य है कि अगर कहीं प्रजातंत्र की हत्या हो रही है तो उसकी चर्चा हम इस सदन में करें और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो न यह विधान सभा रहेगी और न प्रजातंत्र रहेगा।

आगे आप देखें कि नियमावली के नियम ५९ में यह कहा गया है "कि जो विषय न्यायाधिकरण से भी सम्बन्धित हों और उन पर चर्चा करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका न हो तो आपकी आज्ञा से उन पर भी यहां चर्चा की जा सकती है और कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है।" यह एक निश्चित घटना है जिस के बारे में यह कामरोको प्रस्ताव लाया गया है। आप इस पर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष—

चुनाव हो रहा है। उसमें अगर गड़बड़ियां हुई हैं.....

(व्यवधान—शोरगुल)

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

मैंने जो प्रस्ताव दिया है वह ४९ के अन्दर मान लिया है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं सदन को स्थगित कर सकता हूं। मैं अब किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं। इस विषय पर अब किसी की बात नहीं सुनी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह था। नियम ५६ में आप यह कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जगह-जगह पर मारपीट के केस हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को वक्तव्य के लिये तो स्वीकार कर लें और इस पर इस सदन में अपना वक्तव्य दें ताकि हम लोग भी उस में कुछ कह सकें और सरकार का इरादा भी साफ हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

यदि ऐसा किया जाता है तो वह नियम के विरुद्ध हो जायेगा। इसकी शिकायत आपको कमीशन के पास करनी चाहिये।

(व्यवधान) (अत्यन्त शोर)।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर २७ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
१४ मई, १९७०।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९६ पर)

१ जनवरी, १९६९ से ३० जून, १९६९ की अवधि में लखनऊ नगर के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुई कत्ल, डकैती राहजनी तथा आत्महत्या की रिपोर्टों का विवरण—

अपराध	अपराधों की संख्या	की गई कार्यवाही			विशेष विवरण
		चालान	अंतिम रिपोर्ट	जांच जारी	
कत्ल ..	२१	१३	७	१	
डकैती ..	५	५	..	..	डकैती के चार मामले शिया-सुन्नी दंगों से संबंधित थे। दोनों समुदायों के बीच सौहार्द्र बनाये रखने के लिये उन्हें शासन द्वारा वापस लिया गया।
राहजनी ..	१०	६	४	..	इनमें से एक में रिपोर्ट असत्य पाई गई। वादी के विरुद्ध धारा १८२ के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये रिपोर्ट भेजी गई।
आत्म हत्या ..	४	..	४	..	(संबंधित व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के कारण)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९६ पर)

तालिका

कत्ल (१९६७)

थाना	मामलों की संख्या						मामलों की संख्या जो एक्स-पंज हुये
	जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें जांच की गई	जो चालान किये गये	जो लापता रहे (अंतिम रिपोर्ट लगी)	जिसमें जांच अभी जारी है		
१	२	३	४	५	६	७	
१—कोतवाली ..	८	८	४	४	—	—	
२—सिकन्दराबाद ..	६	६	३	२	—	१	
३—दादरी ..	३	३	१	१	—	१	
४—दनकौर ..	४	४	३	१	—	—	
५—ककोड़ ..	२	२	१	१	—	—	
६—बिसरख ..	१	१	१	—	—	—	
७—खुर्जा ..	१०	१०	५	५	—	—	
८—डिबाई ..	९	९	७	२	—	—	
९—पहासू ..	२	२	१	१	—	—	
१०—शिकारपुर ..	६	६	२	३	१	—	
११—जेवर ..	—	—	—	—	—	—	
१२—स्याना ..	९	९	४	५	—	—	
१३—अनपशहर ..	७	७	६	१	—	—	
१४—औरंगाबाद ..	६	६	४	२	—	—	
१५—जहांगीराबाद ..	६	६	२	४	—	—	
१६—गुलावठी ..	२	२	२	—	—	—	
कुल योग ..	८१	८१	४६	३२	१	२	

तालिका

कत्ल (१९६८)

थाना	जिन की रिपोर्ट की गई	जिन में जांच की गई	जो चालान किये गये	जो लापता रहे (अन्तिम रिपोर्ट लगी)	मामलों की संख्या जो एक्सपन्ज हुये
	मामलों की संख्या				
१	२	३	४	५	६
१—कोतवाली	११	११	४	७	..
२—सिकन्दराबाद	४	४	४	..	..
३—दादरी	३	३	२	१	..
४—दनकौर	१	१	१	..	..
५—ककोड़	५	५	२	३	..
६—बिसरख	१	१	..	..	१
७—खुर्जा	३	३	२	१	..
८—डिबाई	१०	१०	७	३	..
९—पहासू	७	७	६	१	..
१०—शिकारपुर	३	३	३	..	..
११—जेवर	३	३	१	२	..
१२—स्याना	११	११	८	३	..
१३—अनूपशहर	४	४	४	..	..
१४—औरंगाबाद	५	५	५	..	..
१५—जहांगीराबाद	५	५	४	१	..
१६—गुलावठी	४	४	३	१	..
योग ..	८०	८०	५६	२३	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका

कत्ल (१९६९)

थाना	मामलों की संख्या					
	जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें जांच की गई	जो चालान किये गये	जो लापता रहे (अन्तिम रिपोर्ट लगी)	जिसमें जांच अभी जारी है	मामलों की संख्या जो एक्सपंज हुये
१	२	३	४	५	६	७
१—कोतवाली	१०	१०	४	३	३	—
२—सिकन्दराबाद	६	६	५	१	—	—
३—दादरी	४	४	३	१	—	—
४—दनकौर	१	१	—	१	—	—
५—ककोड़ा	३	३	—	२	१	—
६—बिसरख	१	१	१	—	—	—
७—खुर्जा	६	६	५	१	—	—
८—डिवाई	६	६	१	३	२	—
९—पहासू	५	५	१	१	३	—
१०—शिकारपुर	८	८	५	१	१	१
११—जेवर	३	३	२	१	—	—
१२—स्याना	४	४	३	—	—	१
१३—अनूपशहर	१२	१२	९	३	—	—
१४—औरंगाबाद	५	५	२	२	—	१
१५—जहांगीराबाद	७	७	५	१	—	१
१६—गुलावठी	९	९	५	३	१	—
योग ..	९०	९०	५१	२४	११	४

उत्तर प्रदेश सरकार

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० सं० ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०५ पर)

जिला जौनपुर के थाना मछलीशहर, बादशाहपुर, सुजानगंज में सन् १९६९ में व १-१-७० से ३१-३-७० के बीच हुई डकैती और कत्ल की घटनाओं के बारे में सूचना—

नाम थाना	अवधि	जिनकी रिपोर्ट की गई	जो चालान किये गये	जो न्यायालय में विचाराधीन हैं	जो लापता रहे (अंतिम रिपोर्ट)	जिनमें जांच अभी जारी है
१	२	३	४	५	६	७
			डकैती			
मछलीशहर	१-१-६९ से ३१-१२-६९	१	—		१ (पता न लगने के कारण)	—
	१-१-७० से ३१-३-७०	१	१	१		—
बादशाहपुर	१-१-६९ से ३१-१२-६९	२	२	२	—	—
	१-१-७० से ३१-३-७०	१	—	—	—	१
सुजानगंज	१-१-६९ से ३१-१२-६९	३	१	१	१ (साक्ष्य की कमी के कारण) मजीद जांच सी० आई० डी० कर रही है। अभी अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय नहीं भेजी गई है।	१ —
	१-१-७० से ३१-३-७०	१	—	—	—	१

नाम थाना	अवधि	जिनकी रिपोर्ट की गई	जो चालान किये गये	जो न्यायालय में विचाराधीन हैं	जो लापता रहे (अंतिम रिपोर्ट)	जिनमें जांच अभी जारी है
१	२	३	४	५	६	७
		कत्ल				
मछलीशहर	१–१–६९ से ३१–१२–६९ तक	–	–	–	–	–
	१–१–७० से ३१–३–७० तक	–	–	–	–	–
बादशाहपुर	१–१–६९ से ३१–१२–६९ तक	२	२	२	–	–
	१–१–७० से ३१–३–७० तक	–	–	–	–	–
सुजानगंज	१–१–६९ से ३१–१२–६९ तक	४	१	१	१	२
	१–१–७० से ३१–३–७० तक	–	–	–	–	–

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्र० सं० ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०८ पर)

थाना हाटा और कसिया, जिला देवरिया के अन्तर्गत सन् १९६९ में तथा १९७० में ३०-४-७० तक हुई कत्ल व डकैतियों की घटनाओं की संख्या ।

थाना	वर्ष	हत्या	डकैती
हाटा	१९६९	२	२
	१९७० (३०-४-१९७० तक)	१	—
कसिया	१९६९	२	१
	१९७० (३०-४-७० तक)	—	३

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये ता० प्र० सं० ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०८ पर)

जनवरी, १९७० से मार्च, १९७० तक थाना हाथरस, जिला अलीगढ़ में दर्ज चोरी, डकैती और हत्या की घटनाओं के संबंध में सूचना।

थाना हाथरस	दर्ज रिपोर्टों की संख्या	जिनमें जांच की गई	जिनमें जांच नहीं की गई	जो चालान किये गये	जो लापता रहे	जिनमें जांच जारी है	जो खारिज हुए	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
चोरी	१७	१६	१	४	७	४	१	५
डकैती	४	४	—	—	—	४	—	१२
हत्या	३	३	—	—	—	३	—	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०९ पर)

तालिका

जुलाई, १९६९ से १५-३-७० की अवधि में जिला इलाहाबाद के थाना नवाबगंज के अन्तर्गत कथित डकैती और कत्ल की घटनाओं के बारे में सूचना ।

स्थान जहां घटना हुई	व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध मुकदमें चलाये गये	मुकदमें का परिणाम वर्तमान स्थिति
डकैती		
१—ग्राम मोहरिया ..	४	न्यायालय में विचाराधीन
२—ग्राम मलकिया ..	८	न्यायालय में विचाराधीन
३—ग्राम मरबापुर ..	६	न्यायालय में विचाराधीन
४—ग्राम शृंगबेरपुर ..		इनमें विवेचना हो रही है ।
५—ग्राम फरीदपुर ..		
६—ग्राम मरघापुर ..		
७—ग्राम श्यामपुर ..		
८—ग्राम दुखियापुर ..		
९—ग्राम दुअरा जगदीशपुर ..		
१०—ग्राम टोडी का पुरवा ..		
११—ग्राम जरी पदमावत ..		
१२—ग्राम कमईपुर ..		
हत्या		
१—ग्राम सदरौली ..	४	न्यायालय में विचाराधीन ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१० पर)

जिला मेरठ के विभिन्न थाना अन्तर्गत माह अक्टूबर, १९६९ से मार्च, १९७० तक डकैती, कत्ल तथा राहजनी की हुई घटनाओं का विवरण।

थाने का नाम	डकैती	कत्ल	राहजनी	तादाद जो व्यक्ति डकैती में मारे गये	कब और कहां-कहां मारे गये	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
१—किठौर ..	४	२	७	—	—	—
२—पिथौरागढ़ ..	१	२	११	३	ग्राम पसवाड़ा, ता० ७–३–७०	अ० सं० ११९ अ/धा ३९६ भा० दं० वि०
३—सिविल लाइन्स, मेरठ..	२	२	३	—	—	मुकदमा जेर तफतीश है।
४—बरसावां ..	२	६	४	—	—	—
५—गढ़मुक्तेश्वर ..	३	४	८	—	—	—
६—मवाना ..	१	४	३	—	—	—
७—गाजियाबाद ..	—	४	१२	—	—	—
८—परतापुर ..	१	४	३	—	—	—
९—छपरौली ..	४	६	४	१	ग्राम काजीपुर ता० १५/१६–१–७०	अ० सं० ८ अ/धा ३९६ भा० दं० वि० २—मुकदमे चालान हुये १—में अंतिम रिपोर्ट की गई, और १—में तफतीश हो रही है।
१०—बड़ौत ..	६	४	७	—	—	—
११—बहादुरगढ़ ..	—	३	१	—	—	—
१२—बाबूगढ़ ..	३	२	—	—	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र० सं० ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१० पर)

सूची कर्मचारीगण थाना जी० आर० पी० प्रतापगढ़, जिनका स्थानान्तरण थानाध्यक्ष की सिफारिश पर किया गया :

नाम कर्मचारी		थाने पर तैनाती की तिथि	स्थानान्तरण की तिथि
१—हे० का० विश्वनाथ सिंह	..	२०—८—६९	५—२—७०
२—का० ७६२ मोलाराम	..	२—७—६८	१७—३—७०
३—का० ६०४ नागेश्वर राम	..	१४—७—६९	२३—३—७०
४—का० ७६० नथुनी गिरी	..	१४—७—६९	२३—३—७०
५—कां० ७४४ सत्यनारायन तिवारी	..	५—१०—६९	२०—१—७०
६—कां० ७९९ प्रह्लाद शुक्ला		२३—७—६९	२१—१२—६९
७—कां० ७५६ बलभद्र तिवारी	..	३—१२—६८	१४—१२—६९
८—कां० ८४३ राम दत्त पांडे	..	५—७—६७	१—१२—६९

विधान सभा उत्तर प्रदेश